[2019] 1 एस सी आर 371

भारतीय होटल और विश्राम स्थल

एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) और ए. एन. आर.

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(2016 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 576)

17 जनवरी, 2019

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) अधिनियम, 2016 - धारा 2 (8) (i)-की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि 'अभिव्यक्ति' प्रासंगिकता को जगाती है। दर्शकों की रुचि अस्पष्ट है, जो इसका सटीक अर्थ देने में असमर्थ है-आयोजितः इस तरह की याचिका इस कारण से स्वीकार नहीं की गई कि

यह समझाते हुए कि किस तरह की किताबें, पर्चे, कागजात, लेखन,

चित्र, चित्र, प्रतिरूप, आकृतियाँ या कोई अन्य वस्तु अश्लील मानी जाएगी। आई. पी. सी. का <आई. डी. 1] स्वयं इसी अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जब यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसी पुस्तकें आदि अश्लील मानी जाएंगी यदि वे 'कामुक' हैं या पीड़ितों को आकर्षित करती हैं।

ब्याज। '-एक तरह से, इसलिए, धारा 2 (8) आई. पी. सी. में निर्धारित अश्लीलता की परिभाषा को शामिल करती है जो अश्लील भी बनाती है।

किताबें आदि (s.292 आई. पी. सी.) के साथ-साथ अश्लील कृत्य और गीत (s.294 आई. पी. सी.) दंडनीय अपराधों के रूप में-नृत्य प्रदर्शन के संदर्भ में प्रबल रुचि एक ऐसा प्रदर्शन होगा जो यौन मामलों में अत्यधिक रुचि रखता है या जो प्रोत्साहित करता है-- यह नहीं कहा जा सकता है कि एक नृत्य जिसका उद्देश्य दर्शकों की प्रबल रुचि को जगाना है, वह अस्पष्ट शब्द है, जो निश्चित अर्थ में असमर्थ है-यह तब होता है जब एस. 292 आई. पी. सी. विशेष रूप से अश्लीलता से संबंधित प्रावधान में इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है-महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) नियम, 2016 दंड संहिता, 1860 - s.294-भारत का संविधान-कला। 14 , 15 , 19 (1) (ए) और 21। महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) अधिनियम, 2016 - धारा 6 (4)-लाइसेंस के अनुदान के लिए बोली लगाना

[2019] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए जहां इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है। 6 (4) संविधान के Art.19 (1) में निहित समानता खंड का उल्लंघन है-आयोजितः धारा 6 (4) के लिए लाइसेंस देने से मना करता है

डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा जहां इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया जाता है, इसके विपरीत यह इस अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से भी मना करता है।

जिस स्थान के लिए डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस दिया गया है-इसका मतलब है कि किसी विशेष स्थान के संबंध में, लाइसेंस या तो डांस बार या डिस्कोथेक/ऑर्केस्ट्रा के लिए दिया जाएगा और दोनों उद्देश्यों के लिए नहीं-विवादित प्रावधान पूरी तरह से है

मनमाना और तर्कहीन और प्राप्त किए जाने वाले तथाकथित उद्देश्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है - अधिनियम की धारा 6 (4) को असंवैधानिक माना गया है।

भारत का संविधान-Art.19 (1)।

महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) अधिनियम, 2016 - धारा 8 (2)-क्या धारा 8 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। 8 (2) अधिनियम भेदभावपूर्ण है और कला का अपमान करता है। 14 संविधान का-आयोजितः उप-धारा (2) को एस की उप-धारा (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। 8 – एस के तहत। 8 (1) , यदि स्थान का उपयोग एस के उल्लंघन में किया जाता है। 3 , इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है-इसका मतलब है कि जहां किसी होटल, रेस्तरां, बार रूम या किसी भी स्थान का उपयोग एस के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नृत्य करने के लिए किया जाता है। 3 अधिनियम, जिसे दंडनीय अपराध बनाया गया है-हालाँकि, यदि लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस स्थान का उपयोग अश्लील नृत्य प्रदर्शन के लिए या इसके लिए किया जा सकता है।

किसी भी अनैतिक उद्देश्य के लिए कामकाजी महिलाओं का शोषण करना

उप-धारा (2) के तहत दंडनीय बनाए गए कार्य-इस तरह से, एस के तहत अपराध। 8 (2) कुछ अलग है अपराध जो एस में निर्धारित है। 294 आई. पी. सी.-एस. की वैधता को चुनौती। 8 (2) इसलिए, अधिनियम विफल रहा-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 14 .

महाराष्ट्र में होटलों में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध,

रेस्तरां और बार रूम और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करने वाली) अधिनियम, 2016 - एस. 8 (4)-चाहे एस. 8 (4) अधिनियम मनमाना और कला का उल्लंघन है। 14 - इस प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए

शर्त संख्या। 6 , 7 और भाग बी का 8-इसने फेंकने या फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया।

सिक्कों, मुद्रा नोटों या किसी भी वस्तु या कुछ भी जिसे मंच पर मुद्रीकृत किया जा सकता है, एक नर्तक को व्यक्तिगत रूप से ऐसे नोट सौंपना और इसे एक अपराध के रूप में माना-इन प्रावधानों में आगे की शर्त यह है कि दी जाने वाली कोई भी टिप केवल बिल में जोड़ी जानी चाहिए और कलाकारों आदि को नहीं दी जानी चाहिए-भारतीय होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर) v.

महाराष्ट्र राज्य

राज्य द्वारा दिया गया औचित्य यह था कि धन की बौछार आदि प्रलोभन का एक तरीका है जिस पर इस बात को ध्यान में रखते हुए अंकुश लगाया जाना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हैः जहाँ तक

सिक्कों, मुद्रा नोटों आदि को फेंकने या वर्षा करने का संबंध है, यह प्रावधान पूरी तरह से उचित है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है क्योंकि उक्त अधिनियम में ऐसी स्थिति पैदा करने की प्रवृत्ति है

अभद्रता-इसलिए, जो भी पैसा हो, किसी की भी प्रशंसा।

नृत्य प्रदर्शन, दिया जाना है, ऐसे सिक्के आदि फेंके या बौछार किए बिना किया जा सकता है।

इस तरह के सुझाव देने का औचित्य केवल उस स्थान के प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले बिलों में जोड़कर-इसके विपरीत, यदि

ऐसा करने पर, जो व्यक्ति इस तरह की युक्तियों का सही प्राप्तकर्ता है, उसे इससे वंचित किया जा सकता है-इसके अलावा, राज्य किसी विशेष तरीके से छूट लागू नहीं कर सकता क्योंकि यह पूरी तरह से एक नियोक्ता और उसके बीच का मामला है।

एक ओर कलाकार, और दूसरी ओर कलाकार और आगंतुक-इसलिए, प्रावधान को बरकरार रखा जाता है। सिक्कों, मुद्रा नोटों या किसी भी वस्तु या कुछ भी जिसे मंच पर मुद्रीकृत किया जा सकता है, फेंकने या बौछार करने पर प्रतिबंध है-हालाँकि, व्यक्तिगत रूप से नर्तकियों को नोट सौंपना नहीं है।

अनुचित-सुझावों को केवल बिलों में जोड़कर देने का प्रावधान भी अलग रखा गया है-भारत का संविधान-Art.14।

महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिलाओं के सम्मान की रक्षा (उसमें कार्य करना) नियम, 2016 - आर. 3 (3) (i)-इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह अस्पष्ट है-इस उप-नियम के अनुसार, एक व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने या रखने का हकदार है जिसके पास एक अच्छा चरित्र और 'पूर्ववृत्त' है और उसका पिछले दस वर्षों में 'आपराधिक रिकॉर्ड' का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए-आयोजितः 'अच्छा चरित्र' या 'पूर्ववृत्त' या 'आपराधिक रिकॉर्ड' शब्द निश्चित या सटीक नहीं हैं-ये अभिव्यक्तियाँ किसी भी व्याख्या में सक्षम हैं और इसलिए, यह निर्णय लेने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि क्या

विशेष व्यक्ति के पास अच्छा चरित्र या अच्छी पृष्ठभूमि होती है।

इसी तरह, जहां तक आपराधिक रिकॉर्ड के इतिहास का संबंध है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड किसी मामले में दोषसिद्धि पर आधारित है या केवल प्राथमिकी दर्ज करने को कहा जाएगा

आपराधिक रिकॉर्ड-इसलिए, प्रावधान को वर्तमान रूप में रद्द कर दिया जाता है, लेकिन साथ ही, नियम बनाने वाले प्राधिकरण को सटीक प्रकृति [2019] 1 एस. सी. आर. का उपयुक्त प्रावधान रखने की स्वतंत्रता दी जाती है।

नतीजतन, वर्तमान रूप में भाग बी की शर्त संख्या 16 को भी अलग कर दिया गया है।

महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं के सम्मान का संरक्षण (उसमें काम करना) नियम, 2016-सामान्य शर्तों (जी. ओ. सी.) के भाग ए की शर्त संख्या 2-बार रूम में मंच होटल, रेस्तरां और बार रूम क्षेत्र के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ होना चाहिए-संक्षेप में, यह बार रूम क्षेत्र को होटल और रेस्तरां से अलग करता है अर्थात यह बार रूम क्षेत्र को होटल और रेस्तरां से अलग करता है। परमिट रूम और डांस रूम के बीच निश्चित विभाजन निर्धारित करता है-आयोजित करने का औचित्य - किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी शर्त लगाने में कोई तर्कसंगतता नहीं है, इसलिए इस प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है।

महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) नियम, 2016-भाग ए की शर्त No.11-यह आदेश कि जिस स्थान पर नृत्य किया जाना है वह शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से कम से कम 1 किमी दूर होना चाहिए-आयोजितः ऐसी स्थिति जमीन को ध्यान में नहीं रखती है।

वास्तविकताएँ विशेष रूप से मुंबई शहर में जहां किसी भी शिक्षा संस्थान से 1 किमी दूर कोई भी जगह ढूंढना मुश्किल है।

या एक धार्मिक संस्था-इसलिए, यह एक असंभव शर्त को पूरा करने के बराबर है और इसका प्रभाव यह है कि मुंबई में किसी भी स्थान पर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा-इसलिए, यह शर्त भी मनमाना और अनुचित है और प्रत्यर्थियों को शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से दूरी निर्धारित करने की स्वतंत्रता के साथ रद्द कर दी जाती है, जो उचित और व्यवहार्य है।

महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं के सम्मान का संरक्षण (उसमें काम करने वाली) नियम, 2016-भाग बी की शर्त संख्या 2 नियोक्ताओं पर इस आशय का दायित्व अधिरोपित करना कि कामकाजी महिलाओं, नर्तकियों और वेटर्स/वेट्रेस को मासिक वेतन पर एक लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाना चाहिए और उनका मासिक वेतन कानून के तहत आवश्यक सभी लाभों के साथ उनके बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिए और ऐसे अनुबंधों की प्रति लाइसेंस प्राधिकरण के पास भी जमा की जानी चाहिए-आयोजितः एक लिखित अनुबंध में प्रवेश करने के साथ-साथ बैंक खातों में पारिश्रमिक जमा करने से संबंधित प्रावधान उचित है क्योंकि यह उन शर्तों को बनाता है जिन पर ऐसी कामकाजी महिलाएं, नर्तकियां और भारतीय होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर)

वी. महाराष्ट्र राज्य

शोषण या अन्य विवादों की किसी भी संभावना को कम करना-हालांकि, ऐसे व्यक्तियों को मासिक वेतन पर नियुक्त करने की शर्त बाधित करती है। ऐसे श्रमिकों के अधिकारों पर भी जो अन्यथा एक से अधिक स्थानों पर अपना प्रदर्शन देने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं-यह एक विशेष तरीके से रोजगार की शर्त लगाता है अर्थात मासिक आधार पर कानून में अनुमत रोजगार के अन्य तरीके हो सकते हैं।

और नियोक्ताओं को ऐसे तरीकों को अपनाने का कानूनी अधिकार है-इसलिए, यह ऐसे कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगाता है और Art.19 (1) (g) के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार महिला कलाकारों की पसंद को कम करने के लिए कोई बाध्यकारी सार्वजनिक हित दिखाने में विफल रही-शर्त संख्या 2 का यह हिस्सा अलग रखा गया है-हालांकि, लिखित अनुबंध के प्रावधान, कर्मचारी के बैंक खातों में पारिश्रमिक जमा करने के साथ-साथ लाइसेंस प्राधिकरण के साथ इन लिखित अनुबंधों को जमा करना भारत का उचित संविधान है-Art.19 (1) (g)।

महाराष्ट्र में होटलों में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध,

रेस्तरां और बार रूम और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) नियम, 2016-भाग बी की शर्त संख्या 9

-

केवल शाम 6 बजे से 11 बजे के बीच नृत्य प्रदर्शन का समय निर्धारित करनाः 30 अपराह्न-आयोजितः यह स्पष्ट रूप से अनुचित नहीं है-केवल इसलिए कि

प्रतिष्ठान अन्यथा 1 तक खुले हैंः 30 सुबह (अगले दिन) या 12 बजेः 30 सुबह (अगले दिन) का मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास नृत्य प्रदर्शन के समय को 11 बजे तक सीमित करने का कोई अधिकार नहीं हैः 30 पी एम। यहां तक कि शाम 6 बजे से 11 बजे तक की अवधिः 30 नृत्य प्रदर्शन के लिए पी. एम. काफी पर्याप्त और पर्याप्त है क्योंकि यह इस तरह के प्रदर्शन के साढ़े पाँच घंटे की अनुमति देता है इस शर्त को बरकरार रखा जाता है।

महाराष्ट्र में होटलों में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध,

रेस्तरां और बार रूम और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) नियम, 2016-भाग बी की शर्त संख्या 12 में यह निर्धारित किया गया है कि बार रूम में शराब नहीं परोसी जानी चाहिए जहां नृत्य का मंचन किया जाता है-आयोजितः यह पूरी तरह से असमान है,

अनुचित और मनमाना-ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसे स्थानों पर शराब क्यों नहीं परोसी जा सकती है, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य गलत धारणा के तहत नैतिक भावों से अधिक प्रभावित है कि शराब पीने के बाद व्यक्ति नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे।

यदि ऐसा है, तो ऐसी धारणा समान रूप से लागू होगी -

बार रूम जहाँ महिला वेट्रेस द्वारा शराब परोसी जाती है-[2019] 1 एस. सी. आर.

हालांकि, अदालतों द्वारा ऐसी शर्तों को अनुचित माना गया है-इस तरह की विसंगतियां या छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं जो न केवल उन स्थानों पर हो सकती हैं जहां नृत्य प्रदर्शन का मंचन किया जाता है, बल्कि बार रूम और यहां तक कि मुख्य रेस्तरां सहित अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं-इस तरह की बारीकियों को रोकने के लिए अन्य उपायों को अपनाना होगा।

मादक पेय पदार्थ परोसने से-इसलिए, शर्त संख्या 12 है

निरस्त कर दिया। महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिलाओं के सम्मान की रक्षा

( ) नियम, 2016-भाग बी की शर्त संख्या 20-सीसीटीवी कैमरों की स्थापना-यह पूरी तरह से अनुचित होगा और गोपनीयता पर आक्रमण के बराबर होगा और इस प्रकार, कला का उल्लंघन है। 14 , 19 (1) (क) और संविधान की धारा 21-भारत का संविधान-कला। 14 , 19 (1) (ए) और 21।

नैतिकता-वह सीमा जिस तक राज्य लागू कर सकता है

अपने नागरिकों पर नैतिकता आयोजित की गईः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नृत्य

गरिमापूर्ण रूपों में प्रदर्शन सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं और कोई भी इसके अपवाद नहीं है-दूसरी ओर, अश्लीलता को अनैतिक माना जाता है-इसलिए, अश्लील नृत्य प्रदर्शन सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है।

यह स्वीकार्य नहीं है और राज्य अश्लील नृत्यों को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित कर सकता है-हालाँकि, एक ऐसी प्रथा जो सामाजिक मानकों द्वारा अनैतिक नहीं हो सकती है, उसे राज्य द्वारा नैतिकता की अपनी धारणा के साथ समाज पर अनैतिक नहीं माना जा सकता है और इस तरह 'सामाजिक नियंत्रण' का प्रयोग किया जा सकता है।

आंशिक रूप से रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. नैतिकता का तर्क-राज्य अपने नागरिकों पर 'नैतिकता' थोपने में किस हद तक जा सकता है?

कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं जिन्हें समाज अनैतिक मानता है। इसमें जुआ, वेश्यावृत्ति आदि शामिल हो सकते हैं। समाज में नैतिकता के मानक समय के साथ बदलते रहते हैं। एक विशेष गतिविधि, जिसे कुछ दशक पहले अनैतिक माना जाता था, अब शायद ऐसा नहीं है। सामाजिक मानदंड बदलते रहते हैं। सामाजिक

परिवर्तन दो प्रकार का होता हैः निरंतर या विकासवादी और

असंगत या क्रांतिकारी। परिवर्तन का सबसे सामान्य रूप निरंतर है। सामाजिक विश्लेषण में यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ परिवर्तन एक सूक्ष्म, लेकिन गतिशील कारक है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य

गरिमापूर्ण रूपों में नृत्य प्रदर्शन सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं और कोई भी इसका अपवाद नहीं है। दूसरी ओर, अश्लीलता को अनैतिक माना जाता है। इसलिए, अश्लील नृत्य प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हो सकता है और राज्य अश्लील नृत्यों को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित कर सकता है। हालांकि, एक ऐसी प्रथा जो सामाजिक मानकों द्वारा अनैतिक नहीं हो सकती है, उसे राज्य द्वारा नैतिकता की अपनी धारणा के साथ समाज पर अनैतिक नहीं माना जा सकता है और इस तरह 'सामाजिक नियंत्रण' का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, और किसी भी मामले में, इस प्रकृति के किसी भी कानून को पारित करना होगा संवैधानिक प्रावधान भी। [पैरा 77] [449-ए-डी]

पंजाब और अन्न राज्य। वी. देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और अन्न. (2004) 11 एससीसी 26: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 930; गोविंद बनाम. मध्य प्रदेश राज्य और अन्न। (1975) 2 एस. सी. सी. 148 [1975] 3 एस. सी. आर. 946-संदर्भित।

2. रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम का सिद्धांत। जहाँ तक नृत्य की बात है

प्रदर्शनों का संबंध है, यह पहले से ही माना जा चुका है कि यह अतिरिक्त व्यापार नहीं है। भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) में निर्णय मानव तस्करी, सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान और अतिरिक्त वाणिज्य के पहलुओं से संबंधित था। [पैरा 78] [449-ई; 450-सी, ई]

महाराष्ट्र राज्य और अन्न. वी. इंडियन होटल एंड

रेस्तरां एसोसिएशन और ओआरएस। (2013) 8 एससीसी 519:

[2013] 7 एस. सी. आर. 654-निर्भर।

3. रीः अधिनियम की धारा 2 (8) (i)-धारा 2 (8) अश्लील नृत्य को परिभाषित करती है। मुख्य भाग में, यह कहा गया है कि कोई भी नृत्य जो

आई. पी. सी. की धारा 295 के अर्थ के भीतर आता है और कुछ समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून को 'अश्लील नृत्य' माना जाएगा। तर्क यह है कि अश्लील नृत्य की परिभाषा का विस्तार आई. पी. सी. की धारा 295 से परे किया गया है। निवेदन यह है कि धारा 2 (8) (i) में, अभिव्यक्ति 'दर्शकों की प्रचलित रुचि को जगाती है' अस्पष्ट है, जिसका सटीक अर्थ देने में असमर्थ है। यह निवेदन इस कारण से स्वीकार नहीं किया जाता है कि स्पष्टीकरण में किस तरह की किताबें, पर्चे, कागजात, लेखन, चित्र, चित्र, प्रतिनिधित्व, आंकड़े या कोई अन्य वस्तु होगी

अश्लील मानी जाने वाली आई. पी. सी. की धारा 292 स्वयं इसी अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जब यह कहा जाता है कि ऐसी पुस्तकें आदि अश्लील मानी जाएंगी यदि वे कामुक हैं या [2019] 1 एस. सी. आर. को अपील करती हैं।

ब्याज. '। एक तरह से, इसलिए, धारा 2 (8) में आई. पी. सी. में निर्धारित अश्लीलता की परिभाषा को शामिल किया गया है जो अश्लील पुस्तकों आदि को भी बनाता है। (आई. पी. सी. की धारा 292) के साथ-साथ अश्लील कृत्य और गीत (आई. पी. सी. की धारा 295) दंडनीय अपराधों के रूप में। नृत्य प्रदर्शन के संदर्भ में रुचि एक होगी प्रदर्शन जो यौन मामलों में अत्यधिक रुचि रखता है या जो प्रोत्साहित करता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक नृत्य जिसका उद्देश्य दर्शकों की रुचि को जगाना है, वह अस्पष्ट शब्द है, जो निश्चित अर्थ में असमर्थ है। यह तब है जब आई. पी. सी. की धारा 292 विशेष रूप से अश्लीलता से संबंधित प्रावधान में इस अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। [पारस 79-81,84,89] [450-G-H; 451-A, C E; 452-C; 455-H; 456-A]

राज कपूर और ओआरएस। वी. राज्य और अन्य। (1980) 1 एससीसी 43:

[1980] 1 एस. सी. आर. 1081-पर निर्भर।

अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। ओम पाल सिंह

हून 1996 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 268: (1996) 37 डी. आर. जे 352

(डी. बी.) 87 संदर्भित।

ब्रॉकेट वी. स्पोकेन आर्केड्स इंक. 1985 एससीसी ऑनलाइन

यूएस एससी 165: 472 यूएस 491 (1985): 105 एस. सी. 2794;

पैट्रिक वी। सुरक्षा और सुरक्षा मंत्री 1996 एस. सी. सी.

ऑनलाइन जेड. ए. सी. सी. 8: [1996] ZACC7-संदर्भित।

4. रीः क्या अधिनियम की धारा 6 (4) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में निहित समानता खंड का उल्लंघन करती है?

यह प्रावधान डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस देने से मना करता है जहां इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया जाता है। इसके विपरीत जिस स्थान के लिए डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस दिया गया है, उसके लिए इस अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से भी मना करता है। इसका मतलब है कि किसी विशेष स्थान के संबंध में, लाइसेंस या तो डांस बार या डिस्कोथेक/ऑर्केस्ट्रा के लिए दिया जाएगा, न कि दोनों उद्देश्यों के लिए। विवादित प्रावधान पूरी तरह से मनमाना और तर्कहीन है और इसका तथाकथित उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है।

हासिल किया जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 6 (4) को असंवैधानिक माना जाता है। [पैरा 90] [456-बी, डी-ई]

5. रीः क्या अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत दी गई सजा भेदभावपूर्ण है और अधिनियम के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। संविधान?

उप-धारा (2) को धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 8 (1) के तहत, यदि उस स्थान का उपयोग उल्लंघन में किया जाता है

धारा 3 के अनुसार, इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसका मतलब है कि जहां किसी होटल, रेस्तरां, बार रूम या किसी भी स्थान का उपयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नृत्य करने के लिए किया जाता है, उसे दंडनीय अपराध बना दिया जाता है। हालांकि, अगर लाइसेंस भी प्राप्त हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस जगह का उपयोग अश्लील नृत्य प्रदर्शन के लिए या कामकाजी महिलाओं का शोषण करने के लिए किया जा सकता है। अनैतिक उद्देश्य। इन कृत्यों को दंडनीय बनाया गया है।

उप-धारा (2) के तहत। इस तरह से, धारा 8 (2) के तहत अपराध उस अपराध से कुछ अलग है जो आई. पी. सी. की धारा 294 में निर्धारित किया गया है जो धारा 294 की भाषा से स्पष्ट है। अतः अधिनियम की धारा 8 (2) की वैधता को चुनौती देने में विफल रहता है। [पारस 91,92] [456-जी-एच; 457-ए, डी]

6. रीः क्या अधिनियम की धारा 8 (4) मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?

इस प्रावधान को शर्त संख्या के साथ पढ़ा जाना है। 6 , 7 और भाग बी का 8. यह सिक्कों, मुद्रा नोटों को फेंकने या बौछार करने का काम करता है। या कोई भी वस्तु या कुछ भी जिसे मंच पर मुद्रीकृत किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से ऐसे नोट एक नर्तक को सौंपना प्रतिबंधित है और

अपराध के रूप में माना जाता है। इन प्रावधानों में आगे की शर्त यह है कि दी जाने वाली कोई भी टिप केवल बिल में जोड़ी जानी चाहिए और कलाकारों आदि को नहीं दी जानी चाहिए। जहाँ तक फेंकने की बात है या

प्रदर्शन, जिसे दिया जाना है, ऐसे सिक्कों आदि को फेंके या बौछार किए बिना किया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह के सुझाव देने में केवल उस स्थान के प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले बिलों में जोड़कर कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा करने पर, जो व्यक्ति इस तरह की युक्तियों का सही प्राप्तकर्ता है, उसे अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य एक विशेष व्यवस्था लागू नहीं कर सकता है।

टिपिंग का तरीका क्योंकि यह पूरी तरह से एक ओर नियोक्ता और कलाकार और दूसरी ओर कलाकार और आगंतुक के बीच का मामला है। [पैरा 93] [457-डी-एच; 458-ए]

7. नियम 3 (3) (i) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह काफी अस्पष्ट है।

इस उप-नियम के अनुसार, एक व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने या रखने का हकदार है जिसके पास 'अच्छा चरित्र' और 'पूर्ववृत्त' है और

उसका पिछले दस वर्षों में 'आपराधिक रिकॉर्ड' का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। हालांकि, 'अच्छा चरित्र' या 'पूर्ववृत्त' या 'आपराधिक रिकॉर्ड' शब्द निश्चित या सटीक नहीं हैं। ये अभिव्यक्तियाँ किसी भी व्याख्या में सक्षम हैं और इसलिए, यह निर्णय लेने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि क्या किसी विशेष व्यक्ति के पास अच्छा चरित्र है या अच्छी पृष्ठभूमि है या नहीं।

इसी तरह, जहां तक आपराधिक रिकॉर्ड के इतिहास का संबंध है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड किसी मामले में दोषसिद्धि पर आधारित है या केवल प्राथमिकी दर्ज करने को आपराधिक रिकॉर्ड कहा जाएगा। इसलिए, प्रावधान में रद्द कर दिया गया है वर्तमान रूप, लेकिन, साथ ही, नियम बनाने वाले प्राधिकरण को सटीक प्रकृति का उपयुक्त प्रावधान करने की स्वतंत्रता दी गई है। नतीजतन, वर्तमान रूप में भाग बी की शर्त संख्या 16 को भी अलग कर दिया गया है। [पैरा 95] 458-डी-एफ]

8. सामान्य स्थितियों (जी. ओ. सी.) के भाग ए की शर्त संख्या 2 यह थी कि बार रूम में मंच का आकार 10 फीट x 12 फीट से कम नहीं होना चाहिए। कि बार रूम में मंच होटल, रेस्तरां और बार रूम क्षेत्र के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ होना चाहिए। संक्षेप में, यह होटल और रेस्तरां से बार रूम क्षेत्र को अलग करता है और परमिट रूम और डांस रूम के बीच निश्चित विभाजन निर्धारित किया जाता है। इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है कि बार रूम में मंच का आकार 10 फीट x 12 फीट से कम नहीं होना चाहिए। हालाँकि, विभाजन के संबंध में, इसमें कोई तर्कसंगतता या औचित्य नहीं है।

ऐसी शर्त लागू करना जो काफी अनुचित प्रतीत होती है और इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कोई तर्क नहीं हो सकता है

किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। [पारस 96,97] [458-जी-एच; 459-ए-सी]

9. भाग ए की शर्त No.11 में कहा गया है कि जिस स्थान पर नृत्य किया जाना है, वह स्थान नृत्य से कम से कम 1 किमी दूर होना चाहिए।

शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान। इस तरह की स्थिति जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखती है, विशेष रूप से मुंबई शहर में जहां 1 किमी दूर कोई भी जगह ढूंढना मुश्किल है। या तो किसी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक संस्थान से। इसलिए, यह एक असंभव शर्त को पूरा करने के बराबर है और इसका प्रभाव यह है कि मुंबई में किसी भी स्थान पर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

इसलिए, यह शर्त भी मनमाना है और भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य

अनुचित और खारिज कर दिया जाता है, उत्तरदाताओं को शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से दूरी निर्धारित करने की स्वतंत्रता के साथ, जो उचित और व्यवहार्य है। [पैरा 98] [459-सी-ई]

10. भाग बी की शर्त संख्या 2 इस पर एक दायित्व लगाती है -

इस आशय के नियोक्ता कि कामकाजी महिलाओं, नर्तकियों और वेटर्स/वेट्रेस को मासिक वेतन पर एक लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाना चाहिए और उनका मासिक वेतन कानून के तहत आवश्यक सभी लाभों के साथ उनके बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिए और ऐसे अनुबंधों की प्रति लाइसेंस प्राधिकरण के पास भी जमा की जानी चाहिए। जहाँ तक संबंधित प्रावधान का संबंध है लिखित अनुबंध करने के साथ-साथ बैंक खातों में पारिश्रमिक जमा करने का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है

यह उचित होगा क्योंकि यह उन स्थितियों को पारदर्शी बनाएगा जिन पर ऐसी कामकाजी महिलाओं, नर्तकियों और वेटर्स/वेट्रेस को नियुक्त किया जाता है, जिससे शोषण या अन्य विवादों की किसी भी संभावना को समाप्त या कम किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों को मासिक वेतन पर नियुक्त करने की शर्त न्यायिक जांच में नहीं आती है।

इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों को एक विशेष तरीके से यानी मासिक आधार पर नियोजित किया जाना है। कानून में अनुमत रोजगार के अन्य तरीके हो सकते हैं और नियोक्ताओं को ऐसे तरीके अपनाने का कानूनी अधिकार है। उदाहरण के लिए, यह अनुबंध के आधार पर रोजगार हो सकता है यानी जहां प्रत्येक प्रदर्शन के लिए पारिश्रमिक तय किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ऐसे श्रमिकों के अधिकारों को भी बाधित करता है जो अन्यथा एक से अधिक स्थानों पर अपना प्रदर्शन देने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए, यह ऐसे कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगाता है और उनके अधिकार का उल्लंघन करता है अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत। राज्य सरकार महिलाओं की पसंद को कम करने के लिए कोई सम्मोहक जनहित दिखाने में विफल रही है

कलाकार। शर्त संख्या 2 के इस हिस्से को अलग रखा गया है। लिखित अनुबंध, में पारिश्रमिक जमा करने के प्रावधान

कर्मचारी के बैंक खातों के साथ-साथ लाइसेंस प्राधिकरण के साथ इन लिखित अनुबंधों को जमा करना उचित है।

शेष प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है। [पैरा 99] [459-एफ-एच; 460-ए डी]

11. भाग बी की शर्त संख्या 9 इस प्रकार का समय निर्धारित करती है।

केवल शाम 6 बजे से 11 बजे के बीच नृत्य प्रदर्शनः 30 पी एम। यह स्पष्ट रूप से अनुचित नहीं है। केवल इसलिए कि प्रतिष्ठान अन्यथा 1 तक खुले हैंः 30 सुबह (अगले दिन) या 12 बजेः 30 सुबह (अगले दिन)

इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास नृत्य प्रदर्शन के समय को 11 तक सीमित करने का कोई अधिकार नहीं हैः 30 पीएम। यहां तक कि शाम 6 बजे से 11 बजे तक की अवधिः 30 नृत्य प्रदर्शन के लिए पी. एम. काफी पर्याप्त और पर्याप्त है क्योंकि यह इस तरह के प्रदर्शन के साढ़े पाँच घंटे की अनुमति देता है। [पैरा 100] [460-ई-एफ]

12. भाग बी की शर्त संख्या 12 निर्धारित करती है कि शराब नहीं

बार रूम में परोसा जाएगा जहाँ नृत्यों का मंचन किया जाता है। यह पूरी तरह से अनुचित, अनुचित और मनमाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य गलत के तहत नैतिक निहितार्थ से अधिक प्रभावित है

यह धारणा कि शराब पीने के बाद लोग नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार करें। इस तरह की विसंगतियां या छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं जो न केवल उन स्थानों पर हो सकती हैं जहां नृत्य प्रदर्शन का मंचन किया जाता है, बल्कि बार रूम और यहां तक कि मुख्य रेस्तरां सहित अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं। इस तरह की बारीकियों की जांच के लिए अन्य उपाय अपनाने होंगे। मादक पेय पदार्थ परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

इसलिए, शर्त संख्या 12 को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 101] [460-एफ-एच; 461 ए]

13. भाग बी की शर्त संख्या 20 सीसीटीवी लगाना अनिवार्य करती है।

कैमरा पूरी तरह से अनुचित है और गोपनीयता पर आक्रमण के बराबर है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (ए) और 21 का उल्लंघन है। [पैरा 102] [461-बी]

के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य बनाम भारत संघ और

अन्य (2017) 10 एस. सी. सी. 1: [2017] 10 एससीआर 569

-

पीछा किया।

एम. पी. ए. आई. टी. परमिट ओनर्स एसोसिएशन। और एक अन्य वी। की स्थिति

एमपी (2004) 1 एससीसी 320: [2003] 6 पूरक। एससीआर 331;

इंजीनियरिंग कामगर यूनियन बनाम। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स

लिमिटेड और एक अन्य (2004) 6 एस. सी. सी. 36 [2004] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 301; निकेश ताराचंद शाह बनाम। भारत संघ

और एक और (2018) 11 एससीसी 1: [2017] 12 एससीआर 358; महाराष्ट्र राज्य बनाम। जॉयस ज़ी उर्फ टेमिको (1973)

आई. एल. आर. 1299 (बम); साधना बनाम। राज्य (1981) 19 डीएलटी 210;

नरेंद्र एच. खुराना बनाम पुलिस आयुक्त (2004) 2 माह एल. जे. 72; राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर.

तेंदोलकर और अन्य। [1959] एस. सी. आर. 279;

महाराष्ट्र और अन्र. वी. बसंतीबाई मोहनलाल खेतान और

खंडसारी और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। (1981) 2 एससीसी 600 [1981] 3 एस. सी. आर. 92; रंजीत डी. उदेशी बनाम।

आई. ए. एन. होटल और विश्राम संगठन की स्थिति (ए. एच. ए. वी.) महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र [1965] 1 एससीआर 65; पवन कुमार बनाम। हरियाणा राज्य और अन्र। (1996) 4 एससीसी 17: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 392; महानिदेशक, महानिदेशालय

दूरदर्शन और अन्य। वी. आनंद पटवर्धन और अन्र। (2006) 8 एससीसी 433: [2006] 5 पूरक। एससीआर 403; अजय गोस्वामी बनाम। भारत संघ और अन्य। (2007) 1 एससीसी 143: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 770; बॉम्बे राज्य बनाम। आरएमडी।

चमरबागवाला और अन्र। [1957] एस. सी. आर. 874; तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व इसके सचिव, गृह,

निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग और अन्य। वी. के. बालू और अन्र। (2017) 2 एससीसी 281 [2016] 11 एससीआर 244-संदर्भित

को। सीमा से नारीवादी योगदानः स्थानांतरण

मुंबई एक्स. एल. वी. आइकन के बार नर्तकियों के कार्य और प्रदर्शन की अवधारणाएँ। & पोल। साप्ताहिक (48) 2010; आर. सी. डब्ल्यू. एस. (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, मुंबई), 'वर्किंग वीमेन इन मुंबई बार्सः विवाद के पीछे की सच्चाई '

(जुलाई 2005); आर. सी. डब्ल्यू. एस. (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, मुंबई), प्रतिबंध के बाद-डांस बार में काम करने वाली महिलाएं '(दिसंबर 2006); दलवई, समीना,' प्रदर्शन जातिः मुंबई की कीले विश्वविद्यालय (2012) में बार नृत्य पर प्रतिबंध; एना मोर्कम, कोर्टिसंस, बार गर्ल्स और नृत्य

लड़केः भारतीय नृत्य की अवैध दुनिया (हैचेट इंडिया, 2014); ए. एट्ज़ियोनी और ई. एट्ज़ियोनी (संस्करण), सामाजिक परिवर्तन (1964); डब्ल्यू. मूर, सोशल चेंज (1963), डब्ल्यू. मूर और आर. कुक (संस्करण), रीडिंग्स ऑन सोशल चेंज (1967)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 7 एससीआर 654

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[2003] 6 पूरक। एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[2004] 1 पूरक। एससीआर 301

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[2017] 12 एससीआर 358

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2017] 10 एससीआर 569

पीछा किया।

पैरा 38

(1973) आई. एल. आर. 1299 (बम)

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(1981) 19 डीएलटी 210

संदर्भित किया गया है

(2004) 2 माह एलजे 72

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[1959] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[1986] 1 एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[1981] 3 एससीआर 92

पै

रा 45

संदर्भित किया गया है

[1965] 1 एससीआर 65

पै

रा 60

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 पूरक। एससीआर 392

पै

रा 61

संदर्भित किया गया है

[2006] 5 पूरक। एससीआर 403

संदर्भित किया गया है

पै

रा 62

[2006] 10 पूरक। एससीआर 770

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

[1957] एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

पै

रा 70

[2016] 11 एससीआर 244

संदर्भित किया गया है

पै

रा 70

[2003] 5 पूरक। एससीआर 930

संदर्भित किया गया है

पै

रा 75

[1975] 3 एससीआर 946

पै

रा 76

संदर्भित किया गया है

(1996) 37 डी. आर. जे. 352 (डीबी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 87

[1980] 1 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

576 2016 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

लेखन याचिका (सी) सं। 24 और 2017 का 119।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, जयंत भूषण, शेखर

नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रसेनजीत केसवानी, सत्यजीत साहा, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सृष्टि कुमार, श्रीमती वी. डी. खन्ना, मनोज के. मिश्रा, उमेश दुबे, ज्योति मिश्रा, संदीप कुमार द्विवेदी, निखिल नय्यर, सुश्री वीणा गौड़ा, एन. साई विनोद, धनंजय बैजल, दिव्यांशु राय, संदीप

देशमुख, वसीम सिद्दीकी, नर हरि सिंह, प्रतीक रूसिया, अभिकल्प प्रताप सिंह, श्रीमती दीपा कुलकर्णी, सुश्री सुवर्णा गानू, सुश्री सौदामिनी शर्मा, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, रवींद्र केशवराव अदसुरे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. तीन रिट याचिकाओं के इस समूह की सुनवाई एक साथ की गई थी और इस सामान्य निर्णय द्वारा इसका निपटारा किया जा रहा है क्योंकि इन सभी याचिकाओं में समान मुद्दे और प्रार्थनाएं उठाई गई हैं। 2. तत्काल रिट याचिकाओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) अधिनियम, 2016 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य का महाराष्ट्र निषेध और महिलाओं के सम्मान का संरक्षण (इसमें काम करने वाले) नियम, 2016 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत बनाए गए नियम, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 (1) (ए), 19 (1) (जी) और 21 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

3. 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 576 में याचिकाकर्ता संख्या 1 विभिन्न होटल मालिकों और बार मालिकों का एक संघ है और/या उसी के संचालक, जो मुंबई में रेस्तरां और बार चलाने का व्यवसाय करते हैं और ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत हैं। याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 का सचिव है और भारत का नागरिक है, जो एक रेस्तरां और बार चलाता है।

2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 24 में याचिकाकर्ता, आर. आर. पाटिल फाउंडेशन बॉम्बे के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत संघ है।

लोक न्यास अधिनियम और उसके अध्यक्ष को रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 119 में याचिकाकर्ता ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत भारतीय बारगर्ल यूनियन है और

अपने हॉनी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रपति। याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में महिला नर्तकियों, गायकों और वेट्रेस की ओर से प्रतिनिधि क्षमता।

4. तीनों रिट याचिकाओं में प्रतिवादी संख्या 1 महाराष्ट्र राज्य है। तीन याचिकाओं में अन्य उत्तरदाताओं में शामिल हैं -

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विभाग/प्राधिकरण।

5. इस अधिनियम और नियमों को लागू करने के पीछे एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण इस प्रकार है:

ईटिंग हाउस और रेस्तरां शुरू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को इसके तहत नगर निगम से अनुमति लेनी होती है।

मुंबई नगर निगम अधिनियम के साथ-साथ खाद्य और औषधि प्रशासन। प्रतिष्ठान को ग्रेड-I लाइसेंस दिए जाने के बाद, और प्रतिष्ठान बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत बनाए गए बॉम्बे विदेशी शराब नियम, 1953 के नियम 44 और 45 के तहत आवश्यकताओं का पालन करता है, प्रतिष्ठान को रेस्तरां में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आई. एम. एफ. एल.) की बिक्री के लिए एफ. एल. III लाइसेंस दिया जाता है। इसके अलावा, रेस्तरां में केवल बीयर परोसने के इच्छुक व्यक्ति बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत बनाए गए विशेष परमिट और लाइसेंस नियमों के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं।

अधिनियम, 1951। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 यानी पुलिस आयुक्त को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पुलिस आयुक्त न केवल सार्वजनिक मनोरंजन और मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देने और नियंत्रित करने के लिए बल्कि आवश्यक कदम उठाने के लिए भी नियम बना सकते हैं। निवासियों या राहगीरों को असुविधा आदि को रोकने के लिए- सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के हित में आवश्यक कदम उठाने के लिए। पुलिस आयुक्त ने तदनुसार सार्वजनिक स्थानों को लाइसेंस देने और नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं

मनोरंजन, 1953 और मनोरंजन नियम। उक्त मनोरंजन नियमों के अध्याय 8 के प्रावधानों के अनुसार, एक परिसर लाइसेंस नियम 108 और भारतीय होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर) v के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं के बाद दिया जाता है।

108 (ए) का पालन किया जाता है। उक्त मनोरंजन नियमों के अध्याय 9 में प्रदर्शन लाइसेंस देने के लिए सभी शर्तें निर्धारित की गई हैं। के रूप में याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके सदस्यों को इसके तहत वैध लाइसेंस दिए गए हैं।

उक्त मनोरंजन नियमों और मनोरंजन नियमों के प्रावधान और पिछले कई वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं और उनके लाइसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया है।

6. प्रतिवादी राज्य के अनुसार, उसने देखा कि होटल प्रतिष्ठानों में वेश्यावृत्ति रैकेट चलाए जा रहे थे जिनमें नृत्य कार्यक्रम चलाए जा रहे थे।

संचालित किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस तरह के नृत्य रूपों को भी राज्य द्वारा अश्लील माना जाता था। इसके परिणामस्वरूप ऊपर वर्णित पहलुओं से निपटने के लिए सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया गया। उपरोक्त समिति द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों और डांस बार में शामिल महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर स्वतंत्र अध्ययन पर विचार करने के बाद, धारा 33 ए और 33 बी को बॉम्बे पुलिस संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 (पूर्ववर्ती बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951) में जोड़ा गया, जो खाने के घर, परमिट रूम या बीयर बार में किसी भी प्रकार के नृत्य प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 33 बी ने धारा 33 ए के लिए एक अपवाद प्रदान किया, उन मामलों में जहां नृत्य प्रदर्शन एक थिएटर, या एक क्लब में आयोजित किया गया था, जहां प्रवेश केवल सदस्यों के लिए प्रतिबंधित था। उक्त संशोधन को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक के रूप में खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय के उस फैसले को इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मामले में बरकरार रखा गया था। वी. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन & Ors.[1] [इसके बाद 'इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1)' के रूप में संदर्भित]

7. इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 2014 में महाराष्ट्र पुलिस (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014 के रूप में संदर्भित संशोधन के माध्यम से एक नया प्रावधान पेश किया और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 में धारा 33 ए को जोड़ा, जबकि धारा 33 बी को हटा दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय होटल और रेस्तरां संघ की ओर से 2014 की रिट याचिका (सिविल) No.793 वाली एक याचिका इस अदालत में दायर की गई, जिसके तहत महाराष्ट्र पुलिस (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014, जो धारा 33 ए का अधिकार रखता है, को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (ए), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका और प्रतिवादी राज्य में नोटिस जारी किया महाराष्ट्र ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिससे रिट याचिका का विरोध किया गया।

इस न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2015 के आदेश के माध्यम से

1 (2013) 8 एस. सी. सी. 519 [2019] 1 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 33 ए (1) के तहत निहित प्रावधानों में कहा गया है कि नृत्य का कोई भी प्रदर्शन किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अश्लीलता का। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित अधिनियम और नियमों को अधिनियमित किया, जिनके कुछ प्रावधानों को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 793 को निष्फल बताते हुए निपटाया गया।

विवादित अधिनियम और नियमः

8. अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि यह होटल, रेस्तरां, बार रूम और अन्य स्थानों में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम है। अन्य प्रतिष्ठानों और काम की स्थितियों में सुधार करने के लिए, ऐसे स्थानों पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करें ताकि उनके शोषण को रोका जा सके। यह अधिनियम पूरे महाराष्ट्र राज्य में लागू है। अधिनियम की धारा 2 कुछ शब्दों की परिभाषाएँ प्रदान करती है और इनमें से प्रासंगिक नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

" 2 (3) " "बार रूम" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहाँ मालिक या स्वामी जनता को प्रवेश देता है और जहाँ ऐसे प्रतिष्ठान के मालिक या मालिक द्वारा या उनके कहने पर नृत्य का मंचन किया जाता है।

ग्राहकों का मनोरंजन;
(4) " नर्तक "का अर्थ है मंच पर नृत्य करने वाला कोई कलाकार या

परिसर के किसी भी हिस्से में;
(8) " "अश्लील नृत्य" से ऐसा नृत्य अभिप्रेत है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और उस समय लागू किसी अन्य कानून के अर्थ के भीतर अश्लील है और इसमें एक नृत्य शामिल होगा, -

((i) जिसे केवल लोगों के हित को जगाने के लिए बनाया गया है।

दर्शक; और

((ii) जिसमें एक यौन क्रिया, कामुक गतिविधियाँ, यौन प्रस्ताव के उद्देश्य के लिए इशारे या नर्तक के लिए यौन पहुंच की उपलब्धता का संकेत होता है, या जिसके दौरान, नर्तक अपने जननांगों को उजागर करता है या, यदि एक महिला, टॉपलेस है;

(10) " "स्थान" में एक प्रतिष्ठान, घर, भवन, तम्बू और अन्य शामिल हैं।

परिवहन का कोई भी साधन चाहे वह समुद्र, भूमि या वायु द्वारा हो।

9. धारा 3 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति होटल, रेस्तरां, बार रूम या किसी अन्य स्थान पर जहां नृत्य का मंचन किया जाता है, शुरू करने का हकदार नहीं है। इस अधिनियम के तहत और अधिनियम और नियमों द्वारा लगाई गई शर्तों और प्रतिबंधों का पालन किए बिना एक लाइसेंस।

धारा 4 में भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. को लाइसेंस देने का उल्लेख है। महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

प्राधिकरण, लाइसेंस देने के लिए सक्षम। धारा 5 कुछ शर्तों को निर्धारित करती है जिन्हें अधिनियम के तहत लाइसेंस देने के लिए प्राधिकरण के अभाव में पूरा किया जाना है। यह नीचे लिखा है:

" 5. अनुज्ञप्ति प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति तब तक नहीं देगा जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि -

(क) इस अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित शर्तें

निर्धारित किया गया है, और
(ग) उस स्थान पर पर्याप्त सावधानी बरती गई है, जिसके संबंध में लाइसेंस दिया जाना है, ताकि ऐसे स्थान पर आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान की जा सके।

10. धारा 6 लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। इस उद्देश्य के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन करना होगा और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। धारा 6 की उप-धारा (4) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राधिकरण से उस स्थान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है।

डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा प्रदान किए गए हैं। इस उप-धारा (4) की सटीक भाषा इस प्रकार है:

" (4) महाराष्ट्र पुलिस में कुछ भी होने के बावजूद

अधिनियम, डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उस स्थान पर जिसके लिए इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है, और न ही इस अधिनियम के तहत उस स्थान के लिए लाइसेंस दिया जाएगा जिसके लिए डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस दिया गया है।

11. धारा 8 उपयोग के लिए आपराधिक और नागरिक परिणाम निर्धारित करती है।

धारा 3 का उल्लंघन करने वाला स्थान, अर्थात लाइसेंस प्राप्त किए बिना। इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

उसकी ओर से, जो धारा 3 का उल्लंघन करते हुए स्थान का उपयोग करता है, दोषी ठहराए जाने पर, पाँच साल तक की अवधि के कारावास या बीस-पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा; और अपराध जारी रहने की स्थिति में, प्रत्येक दिन के लिए बीस-पाँच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना। जो अपराध
जारी है।

(2) मालिक या मालिक या प्रबंधक या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी अश्लील नृत्य या किसी भी काम का शोषण करने की अनुमति नहीं देगा।

किसी भी स्थान और व्यक्ति में किसी भी अनैतिक उद्देश्य के लिए महिला

ऐसा कार्य करने पर, दोषी ठहराए जाने पर, इसके लिए दंडित किया जाएगा -

तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ; और

अपराध जारी रहने का मामला, और जुर्माना जो इस तक बढ़ाया जा सकता है

प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये जिसके दौरान अपराध हुआ

जारी है। (3) उप-धारा (1) और (2) के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और प्रथम के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे।

वर्ग।

(4) कोई भी व्यक्ति सिक्कों, मुद्रा नोटों या किसी भी वस्तु या कुछ भी जिसे मंच या हाथ पर मुद्रीकृत किया जा सकता है, को नहीं फेंकेगा या न फेंकेगा।

कोई भी वस्तु या कुछ भी जिसका मुद्रीकरण किसी नर्तकी के लिए किया जा सकता है या कामकाजी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या अभद्र व्यवहार किया जा सकता है या किसी भी स्थान पर उसके व्यक्ति को छुआ जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का कार्य करता है या इस तरह के कार्यों को करने में मदद करता है, उसे दोषी ठहराए जाने पर दंडित किया जाएगा। छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ।

(5) उप-धारा (4) के तहत दंडनीय अपराध गैर-संज्ञेय और जमानती होगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य होगा।

प्रथम श्रेणी। (6) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

जिसके लिए कोई अन्य सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, उस पर

दोषसिद्धि, कारावास से दंडित किया जाए जो तीन महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो बीस रुपये तक बढ़ सकता है पाँच हजार, या दोनों के साथ। ”

12. इनके विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

लाइसेंस देने से इनकार करने वाला लाइसेंस प्राधिकरण। के अनुसार

12 पर, शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना है

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं की सेवा की शर्तें

जिस होटल, रेस्तरां, बार रूम और प्रतिष्ठान में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, उनका विधिवत पालन किया जाता है। इस समिति का काम ऐसी महिलाओं की शिकायतों का इस तरह से निवारण करना है

y निर्धारित किया जाए।

13. हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि इन रिट याचिकाओं में चुनौती है

धारा 2 (8) (i), धारा 6 (4), धारा 8 (1) (2) के प्रावधानों के लिए निर्धारित

और अधिनियम के (4)।

14. अधिनियम की धारा 14 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, जिसके लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की जानी है। इन नियमों को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना है। धारा 15 राज्य सरकार को देने में कोई कठिनाई होने की स्थिति में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित करना। 15. अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। नियम 3 लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है और इस तरह के आवेदन करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित भाषा में लिखा गया हैः

" 3. लाइसेंस के लिए आवेदन। - एक व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार होगा

या इन नियमों के तहत लाइसेंस रखता है, यदि वह,
((i) 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

((ii) भारत का नागरिक हो या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म का भागीदार हो या पंजीकृत कंपनी हो। कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत;

((ग) एक अच्छा चरित्र और पूर्ववृत्तियां रखता है और

अतीत में आपराधिक रिकॉर्ड का कोई इतिहास नहीं हैः

बशर्ते कि, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण विचार करेगा

आवेदक के दस साल तक के आपराधिक रिकॉर्ड का इतिहास

आवेदन की तारीख से पहले; और

((iv) अनुसूची के भाग-क में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करता है।

16. नियमों से जुड़ी अनुसूची में उन शर्तों का उल्लेख है जिनका पालन किया जाना है। इसका भाग ए उन शर्तों को निर्धारित करता है जिन्हें लाइसेंस देने से पहले पूरा किया जाना है जबकि भाग बी उन शर्तों को निर्धारित करता है जिन्हें लाइसेंस देने के बाद पूरा किया जाना है। उन सभी स्थितियों को पुनः उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है। चूंकि, शर्त संख्या। 2

और भाग ए का 11 और शर्त संख्या। 2 , 6 , 9 , 12 , 16 , 17 और भाग बी के 20 इन याचिकाओं में चुनौती का विषय हैं, हम इन शर्तों को नीचे पुनः प्रस्तुत कर रहे हैंः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" अनुसूची

सामान्य शर्तें

भाग-ए

धूपदान देने से पहले पालन की जाने वाली शर्तें

2. एक स्टेज 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए। x 12 फीट। बार रूम में आकार में, होटल, रेस्तरां और बार रूम क्षेत्र के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ। यदि आवेदक के पास परमिट रूम लाइसेंस है

फिर परमिट कक्ष और नृत्य कक्ष के बीच एक निश्चित विभाजन होगा।

XX

XX

XX

11. यह स्थान शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से कम से कम एक किलोमीटर दूर होना चाहिए।

भाग-बी

लाइसेंस देने के बाद पूरी की जाने वाली शर्तें

2. कामकाजी महिलाओं, नर्तकियों और वेटर्स/वेट्रेस को उनके बैंक खातों में जमा किए जाने वाले मासिक वेतन (भविष्य निधि सहित कानून द्वारा आवश्यक अन्य सभी लाभों के साथ) पर एक लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाना चाहिए और इस तरह के अनुबंध की एक प्रति लाइसेंस प्राधिकरण के पास जमा की जानी चाहिए।

XX

XX

XX

6. ग्राहक को सिक्के, मुद्रा नोट या कोई भी वस्तु या कुछ भी फेंकने या नहाने की अनुमति नहीं होगी जिसे नर्तक की दिशा में मंच पर मुद्रीकृत किया जा सके। हालाँकि, ग्राहक सभी नर्तकियों की सराहना में एक टिप का भुगतान कर सकते हैं। बिल की राशि में एक राशि जोड़कर। इस तरह की टिप का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा उस शाम के नर्तकियों को किया जाएगा।

ऐसी परिस्थितियों में मासिक वेतन से राशि की कटौती की जाएगी।

XX

XX

XX

9. जिस बार रूम में नृत्य का मंचन किया जाता है, वह जनता के लिए शाम 6 बजे से शाम 1 बजे के बीच ही खुला रहेगा।

XX

XX

XX

12. जिस बार रूम में नृत्य का मंचन किया जाता है, वहां कोई मादक पेय नहीं परोसा जाएगा।

XX

XX

XX

16. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के पास कोई अपराधी न हो।

पूर्ववर्ती।

17. लाइसेंसधारी किसी भी संशोधन या परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिसर में।

XX

XX

XX

20. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि बार रूम के सभी प्रवेश द्वार,

मनोरंजन या सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान और क्षेत्र

जो सार्वजनिक स्थान की परिभाषा के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत आएगा -

सीसीटीवी कैमरों और रिकॉर्डिंग को 30 दिनों के लिए संरक्षित किया जाएगा।

सक्षम पुलिस प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण, यदि वह उसके द्वारा अनुरोध किया गया। "

17. इससे पहले कि हम वकील द्वारा दी गई दलीलों का विज्ञापन करें

याचिकाकर्ताओं के लिए जिसके आधार पर अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) के मामले में 2013 में दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर चर्चा करना आवश्यक होगा। इस कार्रवाई का कारण यह है कि याचिकाकर्ताओं के कई तर्क इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अधिनियमों और नियमों में कुछ प्रावधान धारा 33 ए और 33 बी के समान हैं जिन्हें बॉम्बे पुलिस संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 में जोड़ा गया था। अन्यथा भी, याचिकाकर्ताओं ने उक्त निर्णय में निहित तर्क पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसके आधार पर उपरोक्त प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था।

18. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1)

जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, कोई भी व्यक्ति जो खाना शुरू करना चाहता है

घर और रेस्तरां के लिए बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत कुछ लाइसेंस होना आवश्यक है जिसे सार्वजनिक मनोरंजन लाइसेंस के रूप में जाना जाता है। इसी तरह, रेस्तरां में संगीत या नृत्य या संगीत या नृत्य करने के इच्छुक किसी भी रेस्तरां के मालिक को मनोरंजन नियमों के तहत परिसर और प्रदर्शन लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार लाइसेंस देने की यह शक्ति पुलिस आयुक्त के पास निहित है। धारा 33 ए और 33 बी को संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. 2005 के विधेयक संख्या 40 में संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण खंड, जैसा कि महाराष्ट्र विधान सभा में 14-6-2005 पर प्रस्तुत किया गया था, निम्नानुसार हैः

" (1) पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी, जो बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उप-धारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के तहत लाइसेंस देने वाले अधिकारी हैं, ने राज्य में अपने-अपने प्रभारों के तहत क्षेत्र में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए हैं। इस तरह के प्रदर्शन लाइसेंस देने का उद्देश्य सार्वजनिक मनोरंजन के लिए इस तरह के नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना है। यह राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाता है कि खाने के घर या परमिट रूम या बीयर बार जिन्हें नृत्य करने का लाइसेंस दिया जाता है प्रदर्शन, एक अभद्र, अश्लील या अश्लील तरीके से नृत्य के प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। यह भी है

सरकार के ध्यान में लाया गया कि इस प्रकार

नृत्यों का प्रदर्शन महिलाओं के शोषण को जन्म दे रहा है। सरकार को इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं

इस तरह के नृत्य प्रदर्शनों के आयोजन का तरीका। सरकार ने माना जाता है कि खाने के घरों में नृत्य का प्रदर्शन, अनुमति देता है

सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता। सरकार खाने में इस तरह के नृत्य प्रदर्शनों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाना समीचीन समझती है घर या परमिट कमरे या बीयर बार।

(2) राज्य विधानमंडल के अंतिम बजट सत्र में, वैसे

एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत, सरकार का ध्यान अवैध डांस बार के विकास और परिवारों को बर्बाद करने सहित सामान्य रूप से समाज पर उनके दुष्प्रभावों की ओर आकर्षित किया गया था। राज्य विधानमंडल के सदस्य, सत्तारूढ़ और विपक्ष से

पक्षों ने बताया कि इस तरह के डांस बार का उपयोग अपराधियों द्वारा मिलने के स्थान के रूप में किया जाता है और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए लड़कियों को उठाया जाता है और मांग की कि ऐसे डांस बार को बंद कर दिया जाना चाहिए। ये डांस बार युवा लड़कियों को आकर्षित कर रहे हैं।

आसानी से पैसा कमाने की इच्छा रखने वाली और इस तरह की लड़कियां अनैतिक गतिविधियों में शामिल होना। शिकायतों पर विचार करना

जनता सहित आम जनता से प्राप्त

प्रतिनिधियों, सरकार किसी भोजनालय और होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) में किसी भी प्रकार या प्रकार के नृत्य के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना समीचीन समझती है।

या बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 में उपयुक्त संशोधन करके पूरे राज्य में परमिट रूम या बीयर बार। हालांकि, एक प्रावधान यह भी किया गया है कि एक नाटक थिएटर या सिनेमा थिएटर या सभागार में एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन; पंजीकृत खेल

क्लब या जिमखाना; या तीन सितारा या उससे ऊपर के होटल; या किसी अन्य प्रतिष्ठान या वर्ग प्रतिष्ठान में, जिसे राज्य सरकार राज्य में पर्यटन या सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति के संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, प्रतिबंधित नहीं हैं, लेकिन ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उक्त नियमों के अनुसार प्रदर्शन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

3. विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

33 - A.Prohibition खाने के घर, परमिट रूम या बीयर बार और अन्य परिणामी में नृत्य के प्रदर्शन का

प्रावधान। (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद

या पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने संबंधित प्रभारों के तहत क्षेत्र के लिए धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियम, बॉम्बे पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ की तारीख से -

(क) किसी भी खाने के घर, परमिट रूम या बीयर बार में किसी भी प्रकार या प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन करना निषिद्ध है। (ख) पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य द्वारा उपरोक्त नियमों के तहत जारी किए गए सभी प्रदर्शन लाइसेंस।

(2) धारा 131 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो नृत्य आयोजित करता है या आयोजित करने का कारण बनता है या अनुमति देता है उप-धारा (1) के उल्लंघन में किसी खाने के घर, परमिट रूम या बीयर बार में किसी भी प्रकार या प्रकार का प्रदर्शन, दोषी ठहराए जाने पर, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसका विस्तार हो सकता है

तीन साल और जुर्माने के साथ जो दो लाख रुपये तक हो सकता हैः

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में

न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाने के विपरीत, ऐसा कारावास तीन महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(3) यदि लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति,

जिसके प्रदर्शन लाइसेंस को उप-धारा (1) के तहत रद्द कर दिया गया है, उसके खाने के घर, परमिट रूम या बीयर बार में किसी भी प्रकार या प्रकार का नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने का कारण बनता है या अनुमति देता है, तो लाइसेंस प्राधिकरण, धारा 33 के तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, खाने के घर के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट रूम या बीयर बार को जारी सार्वजनिक मनोरंजन स्थल (पीपीईएल) रखने के लिए लाइसेंस को निलंबित कर देगा और पंजीकरण और लाइसेंस के निलंबन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, लाइसेंसधारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, या तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश को वापस ले लेगा या पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा और

लाइसेंस।

(4) - (5)

(6) इस धारा के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

और गैर-जमानती।

33 - बी. कुछ मामलों में धारा 33-ए के प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता। इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 33 ए में कुछ भी नाटक थिएटर, सिनेमा थिएटर और सभागार में नृत्य प्रदर्शन के आयोजन पर लागू नहीं होगा; या खेल क्लब या जिमखाना, जहां प्रवेश केवल इसके सदस्यों के लिए प्रतिबंधित है, या तीन सितारा या उससे ऊपर के होटल या किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में, जो (ए) केंद्र या राज्य सरकार की पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पर्यटन नीति को ध्यान में रखते हुए।

राज्य में पर्यटन गतिविधियाँ; या (ख) सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राज्य सरकार, विशेष या सामान्य क्रम द्वारा, इसमें निर्दिष्ट कर सकती है।

की ओर से। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'खेल क्लब' या 'जिमखाना' का अर्थ है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या कंपनी अधिनियम, 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक प्रतिष्ठान।

19. यह इन प्रावधानों की वैधता है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों का विषय था क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक बताया, जो भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. का उल्लंघन है।

संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (ए) और 19 (1) (जी)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में ये प्रावधान थे -

अनुच्छेद 15 (1) और 21 के उल्लंघन के रूप में भी चुनौती दी गई। हालाँकि, इन आधारों पर चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये प्रावधान मनमानेपन से ग्रस्त हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये समान गतिविधियों वाले संस्थानों को नैतिकता के विभिन्न मानकों का प्रावधान करते हैं।

और धारा 33 ए प्रतिष्ठानों में गतिविधियाँ कम अश्लील हैं लेकिन फिर भी वर्गीकरण का संशोधन के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। यह भी माना गया कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन किया गया है क्योंकि नृत्य अभिव्यक्ति का एक रूप है और विवादित अधिनियम है अनुचित प्रतिबंध जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) द्वारा सुरक्षात्मक नहीं है। इसके अलावा, ये प्रावधान पेशे की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध के बराबर हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अनुमति दी है और ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए लाइसेंस दिए हैं और यह बार मालिकों को अपने पेशे को जारी रखने और बार नर्तकियों को अपने पेशे को जारी रखने के अधिकार से वंचित करता है।

20. उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, जो निंदनीय भेदभाव पर आधारित है और इस तरह, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संविधान, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण बताए:

" 118. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने प्रयास और शुभदा चौकर की रिपोर्टों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। साक्षात्कार किए गए उत्तरदाताओं की संख्या इतनी कम थी कि दोनों अध्ययनों को अर्थहीन बना दिया। जैसा कि पहले देखा गया है, एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत बाद की रिपोर्ट ने अन्य दो रिपोर्टों द्वारा किए गए निष्कर्षों का काफी हद तक खंडन किया है। यहाँ की स्थिति उन परिस्थितियों के समान नहीं है जिनके कारण रेडिस में निर्णय लिया गया [68 एल एड 690: 264 यूएस 292 (1924)]। उस मामले में, न्यूयॉर्क के एक क़ानून को चुनौती दी गई थी क्योंकि इसने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रेस्तरां में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया था। (1) नियत प्रक्रिया खंड, नियोक्ता और कर्मचारी को अनुबंध करने की उनकी स्वतंत्रता से वंचित करके,

और (2) एक अनुचित और मनमाना वर्गीकरण द्वारा समान संरक्षण खंड। न्यायालय ने पहले आधार पर कानून को बरकरार रखा कि राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रात का काम निषिद्ध है, इसलिए महिलाओं के विशिष्ट और प्राकृतिक कार्यों को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। राज्य के अनुसार, इस तरह का काम उजागर करता है
महिलाओं को बड़े [2019] 1 एस. सी. आर. में नाइटलाइफ के लिए आकस्मिक खतरों और खतरों के लिए।

हालाँकि, निष्कर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक पर आधारित था जो वह थाः (रेडिस मामला [68 एल एड 690: 264 यूएस 292 (1924)]

एल एड पी। 694)

" विधायिका के पास बहुत सारी जानकारी थी जिससे यह निष्कर्ष निकला कि रात का काम काफी हद तक और विशेष रूप से होता है

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक "।

हमारी राय में, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा इंगित किया गया है उत्तरदाताओं, वर्तमान मामले में, बहुत कम या कोई सामग्री नहीं थी

जिसके आधार पर राज्य यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि निषिद्ध प्रतिष्ठानों में नृत्य करने से सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को नुकसान पहुँचने, भ्रष्ट होने या नुकसान पहुँचने की संभावना थी।

प्रतिष्ठान बहुत कमजोर हैं। वे स्थूल रूप से आते हैं वंचित पृष्ठभूमि। अपीलार्थियों के अनुसार, उनमें से अधिकांश

बार नृत्य में तस्करी की जाती है। हम उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स के अवलोकन से पता चलता है कि विवादित कानून इस परिकल्पना पर आगे बढ़ता है कि विभिन्न डांस बार का उपयोग अपराधियों के मिलने और लड़कियों के पिक-अप पॉइंट के रूप में किया जा रहा है। लेकिन उद्देश्य और कारण किसी भी सबूत के बारे में कुछ नहीं कहते हैं जो प्रस्तुत किया गया है सरकार कि ये डांस बार सक्रिय रूप से शामिल हैं

महिलाओं की तस्करी। वास्तव में, महिलाओं की तस्करी के संबंध में इस याचिका को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में पेश किया गया था। ऐसा लगता है कि उपरोक्त याचिका केवल उन रिपोर्टों के आधार पर उठाई गई थी जो प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रस्तुत की गई थीं। हम पहले विभिन्न रिपोर्टों के उद्धरणों पर ध्यान दे चुके हैं। हमारी राय में, इस तरह के अलग-अलग उदाहरण धारा 33-ए के तहत आने वाले डांस बार का तस्करी से संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए हम अस्वीकार करते हैं। अपीलार्थियों का निवेदन कि प्रतिबंध कमजोर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है।

120. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया अगला औचित्य प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों में वातावरण को हो रहे नुकसान की मात्रा और आई. ए. एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v के आधार पर है।

आसपास के क्षेत्र। निस्संदेह, जैसा कि इस न्यायालय ने राम में अभिनिर्धारित किया है।

कृष्णा डालमिया मामला [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538], विधायिका नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को सीमित कर सकती है।

उन मामलों में जहां आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है। हम पैट्सोन मामले में अमेरिकी अदालत की टिप्पणियों से भी सहमत हैं [58 एल एड 539: 232 यू. एस. 138 (1914)] ताकि राज्य अपने कानून को बुराई के खिलाफ निर्देशित कर सके क्योंकि यह वास्तव में इसके बिना मौजूद है।

संभावित दुरुपयोग के पूरे क्षेत्र को शामिल करते हुए, लेकिन इस तरह के निष्कर्ष पर या तो अधिकांश आबादी द्वारा साझा की गई सामान्य सहमति के आधार पर या अनुभवजन्य डेटा के आधार पर पहुंचना होगा। हमारी राय में, राज्य के पास न तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए अनुभवजन्य डेटा था कि निषिद्ध प्रतिष्ठान में नृत्य करना अनिवार्य रूप से सार्वजनिक नैतिकता की भ्रष्टता और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है और न ही इस बात पर आम सहमति थी कि ऐसी स्थिति थी। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तीन रिपोर्टों ने वास्तव में अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, पैट्सोन [58 एल एड 539 में की गई टिप्पणियाँः 232 यू. एस. 138 (1914)] अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं हैं। हम मोहम्मद में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से भी अवगत हैं। हनीफ कुरेशी [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 731], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक धारणा है कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और उनकी सराहना करती है और इसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी विफल हो गया है।

121. हमारी राय है कि राज्य आसपास की परिस्थितियों के आधार पर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों और निषिद्ध प्रतिष्ठानों के बीच वर्गीकरण को उचित ठहराने में विफल रहा है, या असुरक्षा। निस्संदेह, नुकसान की मात्रा को मापने और उचित वर्गीकरण करने के लिए विधायिका सबसे अच्छी न्यायाधीश है, लेकिन जब इस तरह के वर्गीकरण को चुनौती दी जाती है तो राज्य का कर्तव्य होता है

प्रत्यक्ष निष्कर्षों के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य। हमारी राय में, वर्तमान मामले में, कानून एक अस्वीकार्य धारणा पर आधारित है कि तथाकथित अभिजात वर्ग यानी अमीर और प्रसिद्ध लोगों के पास शालीनता, नैतिकता या नैतिकता के उच्च मानक होंगे। अपने समकक्षों की तुलना में चरित्र की ताकत जिन्हें डांस बार में निम्न गुणवत्ता की कम सुविधाओं के साथ खुद को संतुष्ट करना पड़ता है। इस तरह की धारणा [2019] 1 एस. सी. आर. के संकल्प के लिए घृणित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के नागरिकों को "व्यक्ति की स्थिति और अवसर और गरिमा की समानता" की सुरक्षा के लिए संविधान की प्रस्तावना। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया कि एक समान नृत्य का प्रदर्शन

तीन सितारा से कम सुविधाओं वाले प्रतिष्ठानों में वस्तु

यह महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक होगा और सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को अपमानित, भ्रष्ट या चोट पहुँचाने की संभावना होगी; लेकिन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में ऐसा नहीं होगा। ये एक पुराने युग की गलत धारणाएँ हैं जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए।

122. असंगत रूप से, राज्य इसे महिलाओं की गरिमा के लिए अशोभनीय, अनैतिक या अपमानजनक नहीं पाता है यदि वे अन्य पद संभालती हैं

बारटेंडर। वे महिलाएँ जो ग्राहकों को शराब और बीयर परोसती हैं ग्राहकों में वासना न जगाएं लेकिन नृत्य करने वाली महिलाएं वासना जगा देंगी। हमारी राय में, यदि एक निश्चित प्रकार का नृत्य कामुक प्रकृति का है और यदि यह पुरुषों में यौन उत्तेजना का कारण बनता है तो इसे अधिक नहीं कहा जा सकता है।

निषिद्ध प्रतिष्ठानों में और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में कम

प्रतिष्ठान। पुरुषों और महिलाओं में यौन उत्तेजना और वासना और उसके स्तरों को उच्च या उच्च वर्ग द्वारा एकाधिकार नहीं कहा जा सकता है।

निम्न वर्ग। न ही यह माना जा सकता है कि यौन उत्तेजना

अलग-अलग चरित्र या व्यवहार उत्पन्न करेगा, इसके आधार पर

दर्शकों का सामाजिक स्तर। इतिहास उदाहरणों से भरा हुआ है

समाज के उच्चतम स्तरों के साथ-साथ समाज के निम्नतम स्तरों में किए गए वासना के अपराध। उच्च न्यायालय ने

उचित रूप से देखा गया, इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए

गौरव जैन बनाम. भारत संघ [(1997) 8 एस. सी. सी 114: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 25] किः (इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन मामला [(2006)

3 बॉम सीआर 705], बॉम सीआर पी। 744 , पैरा 48)

" 48. '27 ..... पाँच सितारा होटलों में वेश्यावृत्ति उच्च स्तर के व्यक्तियों को दिया जाने वाला लाइसेंस है। (गौरव जैन मामला [(1997) 8 एस. सी. सी 114: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 25], एस. सी. सी. पी. 132 , पैरा 27) "

21. इसी तरह, राय पर सवाल उठाने वाले राज्य के तर्क

उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (1) (जी) के प्रावधानों को अधिकार से बाहर होने के कारण इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित चर्चा की गईः

" 126. पूरी तथ्य स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा है कि नृत्य एक मौलिक अधिकार होगा और ऐसा नहीं किया जा सकता है। रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम के समान डबिंग करके बाहर रखा गया। द.

राज्य यह स्थापित करने में विफल रहा है कि प्रतिबंध उचित है या

कि यह आम जनता के हित में है।

उच्च न्यायालय ने ठीक ही आई. ए. एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

2 एस. सी. आर. 375], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिबंध जितना अधिक होगा, जांच की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। उच्च न्यायालय ने देखा कि विनियमन की आड़ में, कानून ने धारा 33-ए के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में नृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि कानून प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव के सिद्धांत को संतुष्ट करने में विफल रहा है। (देखें मेनका गांधी मामला [(1978) 1 एस. सी. सी. 248]। हम इसके साथ मतभेद करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष। हम श्री रोहतगी और डॉ. धवन से सहमत हैं कि पहले से ही पर्याप्त नियम हैं और

विनियमन और कानून जो यदि कुशलता से लागू किए जाते हैं, तो समाज के लिए सभी खतरों को समाप्त नहीं करते हैं या नियंत्रित करते हैं

आक्षेपित विधान की प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लिखित।

127. भोजनालय, परमिट कक्ष और बीयर बार की गतिविधियों को निम्नलिखित नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है:

((iv) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के अनुज्ञप्ति और नियंत्रण के लिए नियम, 1953; (v) सिनेमा के अलावा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देने और नियंत्रित करने के लिए नियम;

(vi) और अन्य आदेश जो सरकार द्वारा समय-समय पर पारित किए जाते हैं।

128. रेस्तरां/डांस बार मालिकों को भी नीचे सूचीबद्ध लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करनी होगी:

(i) बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत खाने के घर के लिए लाइसेंस और पंजीकरण;

((ii) बॉम्बे दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लाइसेंस; (iii) बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 394,412-ए, 313 के तहत खाने का घर लाइसेंस; [2019] 1 एस. सी. आर.

(viii) बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) खंड (डब्ल्यू) और (वाई) और उक्त मनोरंजन नियमों के तहत सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान रखने का लाइसेंस; (ix) बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 और बॉम्बे विदेशी शराब नियम, 1953 के नियम 45 के तहत एफ. एल. III लाइसेंस या आई. एम. एफ. एल. और बीयर बेचने या परोसने के लिए विशेष परमिट और लाइसेंस नियमों के तहत फॉर्म ई लाइसेंस;

(x) मनोरंजन नियमों के तहत उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

129. किसी भी लाइसेंस को देने से पहले, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

(i) परिसर लाइसेंस के लिए किसी भी आवेदन के साथ साइट प्लान होगा जो किसी भी धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से साइट की दूरी को दर्शाता है। ((ii) प्रस्तावित मनोरंजन स्थल और धार्मिक स्थल या अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान के बीच की दूरी

((ग) प्रस्तावित मनोरंजन स्थल भीड़भाड़ वाले और घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए। ((iv) प्रस्तावित स्थल 10 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए।

(v) प्रस्तावित मनोरंजन स्थल के मालिकों/भागीदारों को समाज विरोधी या ऐसी किसी गतिविधि के लिए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए या ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

(vi) वीडियो पार्लर में लगाई जाने वाली दो मशीनों के बीच की दूरी योजना में दिखाई देगी।

(vii) 75 मीटर के दायरे में सार्वजनिक मनोरंजन का ऐसा कोई स्थान मौजूद नहीं है। (viii) लाइसेंस में उल्लिखित शर्तों का पालन उस अवधि के दौरान किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है और यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के बाद लाइसेंस रद्द होने की संभावना है।

130. उपरोक्त सूची, अधिनियमों और विनियमों को महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाले विनियमों के साथ पूरक किया गया है। बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 और अधिक के प्रावधान विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 33 (1) (डब्ल्यू) लाइसेंस प्राधिकरण को नियम बनाने का अधिकार देती हैः

" सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देना या नियंत्रित करना या

मनोरंजन और निवासियों या राहगीरों को असुविधा से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए- सार्वजनिक सुरक्षा द्वारा या बनाए रखने के लिए और लोगों के हित में आवश्यक कदम उठाने के लिए

सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता "।

131. मनोरंजन नियम, 1960 के नियम 122 और 123 में भी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं:

" 122.प्रदर्शन के धारक द्वारा निषिद्ध कार्य लाइसेंस। इनके तहत प्रदर्शन लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं

नियम, शुरुआत में, किसी भी अंतराल के दौरान या किसी भी प्रदर्शन के अंत में, या किसी भी प्रदर्शन, प्रदर्शनी, उत्पादन, प्रदर्शन या मंचन के दौरान, अनुमति देंगे या स्वयं

मंच पर या सभागार के किसी भी हिस्से में समर्पण करें

((क) भाषा की कोई अपवित्रता या अनुचितता;

(बी) पोशाक, नृत्य, आंदोलन या हाव-भाव की कोई अभद्रता;

इसी तरह की शर्तें और प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं

प्रदर्शन लाइसेंसः

***

अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी प्रदर्शन, प्रदर्शनी, निर्माण, प्रदर्शन या मंचन से पहले, उसके दौरान या उसके बाद, किसी भी समय मंच पर या सभागार के किसी भी हिस्से में या उसके बाहर अनुमति नहीं देगा या खुद प्रतिबद्ध नहीं होगाः

(i) कोई भी प्रदर्शनी या विज्ञापन, चाहे वह पोस्टर के माध्यम से हो या समाचार पत्रों में, नग्न या कम कपड़े पहने हुए चित्र हों।

स्त्रियाँ;

((ii) इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई प्रदर्शन; (iii) दर्शकों के साथ कैबरे कलाकारों का कोई मिश्रण या किसी भी सदस्य के साथ स्पर्श या अन्यथा कोई शारीरिक संपर्क।

दर्शकों के लिए;

((iv) नियमों द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध कोई कार्य।

132. बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत नियम सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के हित में और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के साथ-साथ महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। राज्य द्वारा अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि मौजूदा कानूनों के ढांचे के भीतर स्थिति से निपटना संभव नहीं था, सिवाय निराधार कानूनों के।

प्रस्तावना में अभिलिखित निष्कर्षों के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण। [गुजरात राज्य बनाम देखें। मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात [(2005) 8 एससीसी 534: ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 212] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः (एस. सी. सी पी. 573, पैरा 75) की राशि के प्रतिबंध या प्रतिबंध की तर्कसंगतता का न्याय करने का मानक

निषेध समान रहता है, सिवाय इसके कि एक पूर्ण निषेध को इस परीक्षण को भी संतुष्ट करना चाहिए कि एक कम विकल्प होगा अपर्याप्त।] बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 (1) (डब्ल्यू) के तहत बनाए गए विनियम, विशेष रूप से विनियम 238 और 242 में यह प्रावधान है कि लाइसेंस प्राधिकरण लाइसेंस की शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है। विनियम 241 अधिकार देता है

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या कोई अधिकृत पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं है, किसी को भी रोकने का निर्देश देता है।

यदि प्रदर्शन आपत्तिजनक पाया जाता है तो तुरंत प्रदर्शन करें। बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 162 एक सक्षम प्राधिकारी/पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाती है।

अपनी शर्तों के उल्लंघन के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना। इस प्रकार, अश्लील नृत्यों के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के किसी भी कथित उल्लंघन की रक्षा के लिए लाइसेंस प्राधिकरण के पास पर्याप्त शक्ति निहित है। 133. विवादित विधान और स्वयं संशोधन के उद्देश्यों से, यह स्पष्ट है कि यह विधान आई. ए. एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v पर लाया गया था।

नियम और विनियम। अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियों में से एक इस आशय की थी कि जिन प्रतिष्ठानों में प्रदर्शन किए जाते हैं, उन्हें नियंत्रित करना संभव है। धारा 33-बी के भीतर; उपरोक्त के लिए दिए गए कारण केवल उन रूढ़िवादी मिथकों को उजागर करते हैं कि समाज के उच्च वर्ग के लोग व्यवस्थित और नैतिक तरीके से व्यवहार करते हैं। अनैतिकता की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए कोई स्वतंत्र अनुभवजन्य सामग्री नहीं है या

इन उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठानों में भ्रष्टता कम होगी। दूसरी ओर, यह अपीलार्थियों की विशिष्ट प्रस्तुति है।

कि धारा 33-ए के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के भीतर की जाने वाली गतिविधियों का वातावरण को दूषित करने का प्रभाव पड़ता है।

न केवल प्रतिष्ठानों के भीतर बल्कि आसपास के इलाके में भी। अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, सलाखों में नृत्य के दौरान नर्तकियों ने जानबूझकर उत्तेजक कपड़े पहने थे। जब इस तरह के व्यवहार को शराब के साथ मिलाया जाता है तो नृत्य और भी अधिक उत्तेजक और कामुक हो जाता है। इसमें अवांछनीय परिणाम देने की प्रवृत्ति होती है। रिलायंस को बॉम्बे राज्य पर रखा गया था

134. हम निस्संदेह उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से बंधे हैं, लेकिन ये वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। खोडे में डिस्टिलरीज लिमिटेड [(1995) 1 एस. सी. सी. 574], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं या दासों की तस्करी करने या अश्लील या अश्लील फिल्मों और साहित्य के प्रदर्शन और प्रकाशन का व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह मामला इस निराधार धारणा के कारण अलग है कि महिलाओं को सलाखों में ले जाया जा रहा है/तस्करी की जा रही है। पंजाब राज्य बनाम। देवन्स मॉडर्न

ब्रुअरीज लिमिटेड [(2004) 11 एस. सी. सी. 26] शराब के व्यापार से संबंधित था, जबकि [2019] 1 एस. सी. आर.

वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से अलग है। न्यूयॉर्क पर निर्भरता राज्य शराब प्राधिकरण [69 एल एड 2 डी 357: 452 यू. एस. 714 (1981)] पूरी तरह से निराधार है क्योंकि उस मामले में राज्य के प्रयास को टॉपलेस नृत्य को प्रतिबंधित करने की दिशा में निर्देशित किया गया था।

शराब परोसने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान। इसी तरह, आर. वी. क्विन [(1962) 2 क्यूबी 245: (1961) 3 डब्ल्यूएलआर 611: (1961) 3 सभी ई. आर. 88 (सी. सी. ए.)] एक अव्यवस्थित घर में अभद्र प्रदर्शन से निपटते थे। इसलिए,

यह मामला भी अपीलार्थियों की मदद नहीं करेगा। इसलिए, हम इनमें से किसी भी प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। सभी गतिविधियाँ

ऊपर उल्लिखित को मौजूदा नियमों के तहत नियंत्रित किया जा सकता है।

135. हम श्री सुब्रमण्यम के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि विवादित अधिनियम अतिरिक्त विनियमन का एक रूप है, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि लाइसेंस और परमिट की मौजूदा प्रणाली लगातार बढ़ते डांस बार की समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त थी। हम इन दलीलों से भी सहमत नहीं हैं कि जबकि छूट प्राप्त प्रतिष्ठान निर्धारित मानकों से उच्च मानकों पर हैं; खाने के घर, परमिट रूम और डांस बार नियमों के नियंत्रण से परे/नीचे काम करते हैं। एक अन्य औचित्य यह दिया गया है कि हालांकि मुंबई के भीतर स्थित इन परमिट कमरों और डांस बारों को विनियमित करना संभव हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के अर्ध-शहरी और ग्रामीण हिस्सों में ऐसे प्रतिष्ठानों को विनियमित करना संभव नहीं होगा। यदि ऐसा है, तो यह लाइसेंस/नियामक प्राधिकरणों की दक्षता पर एक दुखद प्रतिबिंब है।

कानून को लागू करना।

136. किसी भी प्रकार के नृत्य के निषेध का अंतिम परिणाम

धारा 33-ए के तहत आने वाले प्रतिष्ठान केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। यह है।

यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2005 के बाद से, अधिकांश नृत्य बार प्रतिष्ठानों को वास्तव में बंद कर दिया गया है। इससे 75,000 से अधिक महिला श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि उनमें से कई अपने रखरखाव के लिए आवश्यकता के कारण वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर हुए हैं।

परिवार। हमारी राय में, विवादित कानून पूरी तरह से प्रतिकूल साबित हुआ है और इसे अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अधिकार से बाहर होने के कारण बनाए नहीं रखा जा सकता है। भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v.

महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

याचिकाकर्ताओं की दलीलें:

22. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने अपनी दलीलें इस जोरदार याचिका के साथ शुरू कीं कि प्रतिवादी राज्य इस पर टिका हुआ है।

बार/परमिट घरों या रेस्तरां आदि में नृत्य प्रदर्शनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दें। उनका तर्क था कि उत्तरदाताओं द्वारा किए गए समान प्रकृति के पहले के दो प्रयास संवैधानिक समूह को पारित करने में विफल रहे। बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 में संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से अंतःस्थापित धारा 33 ए और 33 बी के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था।

असंवैधानिक होना संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। इसके बावजूद, राज्य ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया।

राज्य ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अवमानना याचिका दायर की जिसमें 05 मई, 2014 को नोटिस जारी किया गया था। उक्त अवमानना याचिका में नोटिस प्राप्त करने के बाद, राज्य ने 25 जून, 2014 को संशोधन अधिनियम द्वारा एक अन्य अवतार में धारा 33 ए को कानून की पुस्तक पर लाया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह शब्दशः धारा 33 ए के समान था जिसे पहले से ही असंवैधानिक माना गया था और इस कारण से, 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 793 में, जिसमें इस प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2015 को बॉम्बे पुलिस अधिनियम की नई जोड़ी गई धारा 33 ए के संचालन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। इसके बाद 26 नवंबर, 2015 को इस अदालत ने दो सप्ताह में लाइसेंस देने का निर्देश दिया। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को विफल करने के लिए, प्रत्यर्थियों ने लाइसेंस देने के लिए 26 नई शर्तें रखी। चूंकि याचिकाकर्ताओं को कुछ शर्तों पर आपत्ति थी, इसलिए 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 9793 में एक और आवेदन दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा 02 मार्च, 2016 के आदेशों को पारित किए जाने के बाद उक्त में से कुछ में संशोधन किया गया।

26 18 अप्रैल, 2016 की शर्तों के अनुसार, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। फिर से, निराश करने के इरादे से

इस न्यायालय के निर्णय के प्रभाव से, प्रत्यर्थियों ने विवादित कानून पारित किया और इसके तहत विवादित नियम भी बनाए।

23. श्री भूषण ने आगे बताया कि तब भी जब उच्चतम न्यायालय द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए कुछ आदेश पारित किए गए थे और

समानता के सिद्धांत पर अन्य आवेदनों को संसाधित करते हुए, आज तक किसी भी याचिकाकर्ता/संघ के सदस्य को एक भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। यह सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य का एकमात्र इरादा डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि प्रतिवादी राज्य यह सुनिश्चित कर रहा है कि लाइसेंस किसी न किसी आधार पर अस्वीकार किए जाएं। उन्होंने नए अधिनियम और नियमों के तहत भी लाइसेंस देने के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन को खारिज करते हुए राज्य द्वारा पारित आदेशों को पढ़कर इसे प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया।

24. श्री भूषण ने विशेष रूप से निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया हैः

पूर्ववर्ती निर्णय जिसमें जनहित या नैतिकता का अनुरोध किया गया था

एडः

" 53. इस संबंध में कि क्या अधिकारों का कोई उल्लंघन हुआ है

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत, यह विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन किसी भी कार्य को करने का मौलिक अधिकार पेशा, व्यापार या व्यवसाय अनुच्छेद में प्रतिबंधों के अधीन है।

19 (6) . इसलिए, धारा 33-ए के तहत नृत्य को प्रतिबंधित करके, नहीं

बार मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

धारा 33-ए और 33-बी केवल निषिद्ध के मालिकों को प्रतिबंधित करती है।

नृत्य आयोजित करने की अनुमति देने से प्रतिष्ठान

एक व्यापक अवधारणा और सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक नैतिकता को शामिल करती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में निर्भरता राज्य पर रखी गई थी

गुजरात बनाम. मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात [(2005) 8

एससीसी 534: ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 212] संदर्भ भी दिया गया था

नगर निगम। अहमदाबाद शहर बनाम। जान मोहम्मद

उस्मानभाई [(1986) 3 एस. सी. सी. 20], जिसमें इस न्यायालय ने एक विस्तृत निर्णय दिया।

जिसका अर्थ है "आम जनता का हित" और निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

(एस. सी. सी पी. 31, पैरा 19)

" 19. आम जनता के हित में अभिव्यक्ति 'की है

सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था को समझने के लिए व्यापक आयात

सुरक्षा, नैतिकता, समुदाय का आर्थिक कल्याण और संविधान के भाग IV में उल्लिखित उद्देश्य।

XX

XX

55. एस. एन. डी. टी. रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि केवल 17.40 बार का%

लड़कियाँ महाराष्ट्र राज्य की हैं। बार मालिकों ने प्राप्त सुझावों को साझा करके लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और

शराब परोसने और सुधार करने के लिए अपने प्रदर्शन का लाभ उठाना

बिक्री और व्यवसाय। फिर से टिप्पणियों पर निर्भरता रखी जाती है। पी. ए. एस. आर. पोर्ट में बनाया गया। 47 जो इस प्रकार हैः

" नर्तकी या वेटर के रूप में काम करने वाली महिलाएं नहीं थीं

किसी भी वेतन का भुगतान किया, लेकिन ग्राहकों द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्भर थे

बार में, जो दिन-प्रतिदिन और महिलाओं से लेकर

एक और। इस पैसे को अक्सर बार मालिक के साथ साझा किया जाता है। 30 से 60 प्रतिशत तक का एक निश्चित अनुपात।

XX

XX

59. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि युवा लड़कियों/महिलाओं को बार नर्तकियों के रूप में पेश किया जाना कोई अतिरिक्त व्यवसाय नहीं है। युवाओं द्वारा इस तरह की गतिविधि

पेशे से। समाज पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली किसी गतिविधि को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संरक्षण के लिए पेशे या व्यापार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऐसे नृत्य जो अश्लील और अनैतिक हैं, उन्हें एक ऐसी गतिविधि के रूप में माना जाना चाहिए जो अतिरिक्त व्यावसायिक है। उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है। बॉम्बे राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा रखा गया है। आरएमडी। चमरबागवाला [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 699]। उस मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि जुआ की गतिविधि को व्यापार, वाणिज्य या संभोग के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसे अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता है।

XX

XX

XX

72. इसी सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम में दोहराया गया था। बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड [(1997) 2 एस. सी. सी. 453] निम्नलिखित शब्दों में: (एस. सी. सी पी. 466, पैरा 17)

अदालत का दृष्टिकोण, जांच करते हुए

एक अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती, शुरू करना है

संवैधानिकता की धारणा के साथ। अदालत को कोशिश करनी चाहिए। यथासंभव इसकी वैधता को बनाए रखना। यह हड़ताल करनी चाहिए।

अधिनियम को केवल तभी कम करें जब इसे बनाए रखना संभव न हो। न्यायालय को इस दृष्टिकोण से अधिनियम के पास नहीं जाना चाहिए कि -

छेद चुनें या ड्राफ्टिंग के दोषों को खोजने के लिए, बहुत कम

प्रयुक्त भाषा की अक्षमता। वास्तव में, ऐसी कोई भी खामियां बनाए रखने के प्रयास के हिस्से के रूप में मसौदा तैयार किया जाना चाहिए

अधिनियम की वैधता/संवैधानिकता। आखिरकार, एक अधिनियम

विधायिका द्वारा बनाई गई जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और

इसमें हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। असंवैधानिकता

एक अधिनियम से पहले स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए

शून्य घोषित किया गया "।

XX

XX

85. श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि विवादित कानून ने विपरीत परिणाम प्राप्त किया है। नए रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय

महिलाएं जो भी नौकरी के अवसर पहले से हैं, उन्हें छीन लेती हैं।

उनके लिए उपलब्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध का प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। बार नर्तकियों की आजीविका के नुकसान ने उन्हें आजीविका कमाने के लिए बहुत ही अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। श्री रोहतगी ने कहा कि नर्तकियां केवल हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों के नृत्य चरणों और गतिविधियों की नकल करती हैं। वे पारंपरिक कपड़े जैसे घाघरा चोली, साड़ी और सलवार कमीज पहनते हैं। दूसरी ओर, फिल्मों में अभिनेत्रियाँ खुलासा करने वाले कपड़े पहनती हैंः शॉर्ट्स, तैराकी वेशभूषा और खुलासा करने वाले कपड़े। प्रार्थना रिपोर्ट और शुभदा चौक रिपोर्ट पर अपीलकर्ताओं द्वारा रखी गई निर्भरता की ओर लौटते हुए, श्री रोहतगी ने कहा कि दोनों रिपोर्टों का कोई महत्व नहीं है, विशेष रूप से प्रार्थना रिपोर्ट के मामले में जो केवल कुछ लड़कियों के साथ किए गए साक्षात्कार पर आधारित है। एस. एन. डी. टी. रिपोर्ट वास्तव में इंगित करती है कि कोई संगठित रैकेट नहीं है जो महिलाओं को डांस बार में लाता है। लड़कियों के साक्षात्कार ने वास्तव में संकेत दिया कि वे परिवार के माध्यम से डांस बार में आई थीं।

समुदाय, पड़ोसी और सड़क ज्ञान। इसलिए, श्री रोहतगी के अनुसार, बिचौलियों द्वारा डांस बार में तस्करी के संबंध में आरोप बिना किसी आधार के हैं। नृत्य करने वाली अधिकांश लड़कियाँ आम तौर पर अनपढ़ होती हैं और उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होती है। उनके पास नृत्य का कोई प्रशिक्षण या कौशल भी नहीं है। इससे वे स्पष्ट रूप से किसी भी अन्य नौकरी में लगभग बेरोजगार हो गए। इसलिए वह प्रस्तुत करते हैं कि एस. एन. डी. टी. रिपोर्ट प्रयास रिपोर्ट के विरोधाभासी है। इस प्रकार, राज्य के पास कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं था जिसके आधार पर विवादित कानून बनाया गया था।

25. विशेष रूप से अधिनियम और अधिनियमों के उन प्रावधानों को संदर्भित करते हुए जिन्हें असंवैधानिक के रूप में चुनौती दी गई है, श्री भूषण ने कहा कि जहां तक धारा 2 (8) (i) का संबंध है, उसमें निहित एनी नृत्य की परिभाषा पूरी तरह से अस्पष्ट है। उन्होंने तर्क दिया कि 'अश्लील नृत्य' के इस संस्करण में 'एक ऐसा नृत्य' शामिल है जिसे केवल डिजाइन किया गया है।दर्शकों की प्रासंगिक रुचि का उपयोग करें ', जो पूरी तरह से था

किसी भी सटीक अर्थ में असमर्थ अभिव्यक्ति।

26. यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसी परिभाषा अतिसंवेदनशील थी

व्यक्तिपरक राय के आधार पर हमारी धारणाएँ

अलग-अलग लोग और इसलिए, अलग-अलग व्यक्ति एक ही नृत्य प्रदर्शन को देखने के बाद अलग-अलग उपयोगों तक पहुंच सकते हैं।

श्री भूषण, जब अश्लील नृत्य को अधिनियम के तहत एक अपराध के रूप में बनाया जाता है, तो इस शब्द की एक अस्पष्ट परिभाषा अपराध विज्ञान के सिद्धांतों के लिए अभिशाप थी और कानून के शासन के खिलाफ थी।

27. एक अन्य प्रावधान, जिसकी वैधता पर सवाल उठाया जाता है

यह आधार कि यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, अधिनियम की धारा 6 (4) है। यह प्रावधान उस स्थान के संबंध में अधिनियम के तहत लाइसेंस देने पर रोक लगाता है जहां डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इसके विपरीत, यह डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस देने पर भी प्रतिबंध लगाता है जहां इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य यह देखना है कि किसी विशेष स्थान के संबंध में या तो लाइसेंस डांस बार या डिस्कोथेक के लिए दिया जाता है और

ऑर्केस्ट्रा और एक ही समय में डांस बार और डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा दोनों के लिए किसी स्थान के लिए लाइसेंस नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि समझ में आने वाले अंतर के आधार पर इस तरह के प्रावधान के पीछे कोई तर्कसंगत नहीं था। एम. पी. ए. आई. टी. परमिट में फैसले का संदर्भ दिया गया था

ओनर्स एसोसिएशन। और एक अन्य वी। एम. पी. 2 का राज्य, जिस पर भरोसा किया गया था

इंजीनियरिंग कामगर यूनियन बनाम में बाद का निर्णय। इलेक्ट्रो स्टील्स कास्टिंग्स लिमिटेड और अन्य 3 जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 21. केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम निर्विवाद रूप से शामिल हैं - एक ही क्षेत्र। कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल का अधिकार क्षेत्र

संसदीय विधान द्वारा अनुमति नहीं है। विषय के अधीन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में निहित प्रावधान, दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। संवैधानिक

इस संबंध में योजना बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट है। इसमें

मामला, यह न्यायालय परस्पर विरोधी विधानों से संबंधित नहीं है

द्वारा किए गए अधिनियमों के कारण एक ही क्षेत्र में कार्य करना

संसद और राज्य अपने-अपने विधान का प्रयोग करते हुए की सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची II में निहित शक्तियाँ

भारत का संविधान लेकिन स्वीकार्य रूप से क्षेत्र एक ही है, ए

एक अधिनियम के प्रभाव के संबंध में प्रश्न उत्पन्न होगा

यदि दूसरे के प्रावधानों का पालन किया जाता है तो अवज्ञा की जाती है। संघर्ष वहाँ भी मौजूद हो सकते हैं जहाँ दोनों कानून अलग-अलग कानूनी परिणामों की ओर ले जाते हैं।

XX

XX

2 2 (2004) 1 एस. सी. सी 320

3 (2004) 6 एससीसी 36 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से इस आशय के कानून को निर्धारित करते हैं कि यदि दो अधिनियम दो अलग-अलग कानूनी परिणाम उत्पन्न करते हैं, तो एक संघर्ष उठेंगे।

28. उन्होंने आगे कहा कि के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए

अधिनियम की धारा 6 (4), अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत प्रदान की गई सजा एक अवधि के लिए कारावास थी जो तीन साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना जो Rs.10 लाख या दोनों तक बढ़ सकता है। उनके अनुसार, यह अस्वीकार्य था क्योंकि इस तरह का कार्य, अर्थात् अश्लील नृत्य, अश्लीलता के बराबर होगा जिसे भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 295 के तहत अपराध बनाया गया है और यह अपराध दंडनीय है। कारावास जो तीन महीने तक बढ़ सकता है। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का प्रावधान न केवल अनुच्छेद 14 का मनमाना और उल्लंघनकारी था, बल्कि केंद्रीय कानून (यानी आई. पी. सी.) और राज्य अधिनियम (विवादित अधिनियम) के बीच स्पष्ट संघर्ष था। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में, यह केंद्रीय कानून है जिसे प्रबल होना है और इसलिए, इस आधार पर अधिनियम की धारा 8 (2) को निरस्त करने की आवश्यकता है।

29. अधिनियम की धारा 8 (4) के संबंध में चुनौती को स्वीकार करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस प्रावधान के तहत सिक्के, मुद्रा नोट या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जिसे मंच पर मुद्रीकृत किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से ऐसी चीजें आदि एक नर्तक को सौंपना भी शामिल है।

इस प्रावधान के तहत अपराध किया गया, जो फिर से मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहली बार में इस तरह का प्रतिबंध केवल नर्तकियों के लिए है न कि गायकों या वेट्रेस के लिए। तर्क यह था कि एक नर्तकी को इस तरह की चीजें देना केवल उसे उसके प्रदर्शन की सराहना करने के बराबर है जो कि एक ही बात थी एक गायक की उसके प्रदर्शन के लिए या उसकी सेवा के लिए एक वेट्रेस की सराहना करना और इसमें कुछ भी गलत नहीं था और इस तरह के कृत्य को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। उनके अनुसार, यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया कि

निकेश ताराचंद शाह बनाम में निम्नलिखित कथन। भारत संघ और एनोथेराः

" 23. जहाँ तक "स्पष्ट मनमानेपन" का संबंध है, यह महत्वपूर्ण है।

शायरा बानो बनाम में इस न्यायालय के बहुमत निर्णय का विज्ञापन करना। भारत संघ [शायरा बानो बनाम। भारत संघ, (2017) 9 एस. सी. सी. 1: (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 277] बहुमत, अनुच्छेद 14 के तहत मामले कानून की एक विस्तृत समीक्षा में, जो कानून से संबंधित है

4 (2018) 11 एस. सी. सी. 1 एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

इस आधार पर कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है, काम किया हैः (एससीसी पीपी। 91-92 & 99 , पैरा 87 और 101)

" 87. तर्कसंगतता का धागा पूरे क्षेत्र में चलता है। मौलिक अधिकार अध्याय। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है वह है

स्पष्ट रूप से अनुचित और कानून के शासन के विपरीत होने के कारण, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा। इसके अलावा, एक स्पष्ट है

मैकडॉवेल में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विरोधाभास [ए. पी. बनाम राज्य मैकडॉवेल एंड कंपनी (1996) 3 एस. सी. सी. 709] जब

यह आधार है कि एक कानून "असमान, अत्यधिक या अनुचित ", फिर भी ऐसी चुनौती जमीनी स्तर पर विफल हो जाएगी

कानून का "अनुचित, अनावश्यक या अनुचित" होना।

मनमानी सिद्धांत जब स्पष्ट रूप से कानून पर लागू होता है

बाद की चुनौती शामिल नहीं होगी लेकिन केवल एक शामिल होगी

कानून का असमान, अत्यधिक या अन्यथा होना

राज्य की कार्रवाई के बीच अंतर करने की कोशिश न करें प्रपत्र, जिनमें से सभी को बाधित किया जाता है यदि वे गलत होते हैं

आंशिक रूप से व्यक्तियों और नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार

संविधान का तीसरा भाग।

XX

XX

XX

101. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। संघ

भारत सरकार [इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड v.

भारत संघ, (1985) 1 एस. सी. सी. 641: 1985 एस. सी. सी. (कर) 121]

कहा कि यह तय किया गया कानून था कि अधीनस्थ कानून कर सकते हैं

चुनौती के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर चुनौती दी जाए

पूर्ण विधान के विरुद्ध। इस मामले में, वहाँ नहीं है

दो प्रकार के विधानों के बीच तर्कसंगत अंतर जब

यह अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के इस आधार पर आता है। यह परीक्षा प्रकट मनमानेपन का, इसलिए, जैसा कि में निर्धारित किया गया है

उपरोक्त निर्णय अमान्य किए गए विधान पर लागू होंगे -

साथ ही अनुच्छेद 14 के तहत अधीनस्थ विधान। प्रकटीकरण

इसलिए, मनमाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो

विधायिका मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त के बिना

सिद्धान्त निर्धारित करना। इसके अलावा, जब कुछ किया जाता है जो है अत्यधिक और असमान, ऐसा कानून [2019] 1 एस. सी. आर. होगा।

स्पष्ट रूप से मनमाना। इसलिए, हमारा विचार है कि स्पष्ट मनमानेपन के अर्थ में मनमानेपन जैसा कि इंगित किया गया है। ऊपर दिए गए हमारे द्वारा दिए गए निर्णय अनुच्छेद 14 के तहत भी लागू होंगे।

इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा कानून के इस दृष्टिकोण से कुरियन, जे. ने अपने फैसले के पैरा 5 में सहमति व्यक्त की थी।

24. जहाँ तक संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय का संबंध है, अनुच्छेद 21 वाचा का सन्दूक है। यह भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से कम पवित्र नहीं है। मौलिक अधिकार अध्याय (अनुच्छेद 20 के साथ) में यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

[संविधान का अनुच्छेद 359 (1) देखें]। वर्तमान में, अनुच्छेद 21 मेनका गांधी बनाम के बाद बड़ी संख्या में मूल और प्रक्रियात्मक अधिकारों का भंडार है। भारत संघ [मेनका]

गांधी बनाम. भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248]। इस प्रकार, राजेश कुमार में [राजेश कुमार बनाम। राज्य (2011) 13 एस. सी. सी. 706: (2012) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 836] पीपी पर। 724-26 , इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी. पैरा 56 63)

" 56. हमारे संविधान में अधिनियमित अनुच्छेद 21 निम्नानुसार हैः

'21 . जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई व्यक्ति नहीं।

अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा सिवाय इसके कि

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।

57. लेकिन यह अदालत बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] ने माना कि मेनका गांधी में अनुच्छेद 21 की विस्तारित व्याख्या को देखते हुए [मेनका गांधी बनाम। भारत संघ,

(1978) 1 एस. सी. सी. 248], इसे निम्नानुसार पढ़ना चाहिएः (बचन सिंह मामला [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684

: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580], एस. सी. सी. पी. 730 , पैरा 136)

‘ 136. ... .“ निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

वैध कानून द्वारा स्थापित "। इसके विपरीत सकारात्मक रूप में, विस्तारित लेख पढ़ा जाएगा

निम्नानुसारः

होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर)। महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

" किसी व्यक्ति को निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। वैध कानून द्वारा स्थापित "। : 9

58. मेनका गांधी में यह युगान्तकारी निर्णय

[मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] ने हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में उचित प्रक्रिया की अवधारणा को काफी हद तक शामिल किया है जब भी अदालत को नागरिकों या यहां तक कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रश्न से निपटना पड़ता है। कृष्ण अय्यर, जे. में एक सहमत राय दे रहे हैं

'81 . ..... " कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ", अपनी घातक क्षमता के साथ, जीवन और स्वतंत्रता को एक अनिश्चित खेल के रूप में कम कर देगी यदि हम उन भारी शब्दों में कानून के एक विशेषण नियम को आयात करने की आवश्यकता नहीं रखते हैं, जो अपनी आत्मा में सभ्य है, अपने दिल में निष्पक्ष है और प्रक्रियात्मक संरक्षण की उन अनिवार्यताओं को तय करता है जिनके अभाव में प्रक्रियात्मक पूंछ मूल सिर को हिला देगी। "करो या मरो" देशभक्ति के साथ शुरू किए गए मुक्ति के संघर्ष को सुरक्षित करने के मानव अधिकार के पवित्र सार को क्या आवश्यक मानकों की परवाह किए बिना औपचारिक और फरीसी अनुदेशों द्वारा समाप्त किया जा सकता है? एक अधिनियमित भूत एक संवैधानिक भ्रम है। प्रक्रियात्मक न्याय स्पष्ट रूप से लिखा जाता है अनुच्छेद 21. विधायिका के माध्यम से संसाधित एक काले अक्षर के अनुष्ठान द्वारा दरकिनार किया जाना बहुत गंभीर है।

59. मेनका गांधी के फैसले के तुरंत बाद

[मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने सुनील बत्रा बनाम में निर्णय दिया। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली) [सुनील बत्रा बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली), (1978) 4 एस. सी. सी. 494: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 155] ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आठवें संशोधन और अमेरिकी संविधान की "उचित प्रक्रिया" की अवधारणा जैसी एक धारा है हमारे संविधान पाठ में अधिनियमित नहीं किया गया है, लेकिन रुस्तम कावासजी कूपर [रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248] और मेनका [2019] 1 एस. सी. आर.

गाँधी [मेनका गाँधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] के परिणाम समान हैं। संविधान पीठ

'52 . यह सच है कि हमारे संविधान में कोई "उचित प्रक्रिया" खंड या आठवां संशोधन नहीं है; लेकिन, कानून की इस शाखा में, कूपर के बाद [रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248] और मेनका गांधी [मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248], इसका परिणाम है - एक ही '।

60. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में आठवां संशोधन (1791) वस्तुतः अंग्रेजी बिल ऑफ

अधिकार (1689)। आठवें संशोधन के पाठ में कहा गया है, "अत्यधिक जमानत की आवश्यकता नहीं होगी, न ही अत्यधिक जुर्माना लगाया जाएगा, न ही क्रूर और असामान्य दंड दिए जाएंगे।" एक सदी पहले तैयार किए गए अंग्रेजी अधिकार विधेयक में कहा गया है, "कि अत्यधिक जमानत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, न ही अत्यधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए, न ही क्रूर और असामान्य दंड दिए जाने चाहिए।"

61. हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मेनका गांधी मामले में इस अदालत के फैसले के बाद

[मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] न्यायशास्त्र की दृष्टि से स्थिति लगभग समान है और आठवें संशोधन में अंतर्निहित मानव गरिमा के लिए मौलिक सम्मान को हमारे न्यायशास्त्र में पढ़ा गया है।

62. जब तक यह निर्णय मेनका गांधी [मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248], अनुच्छेद 21 को इस न्यायालय द्वारा शायद ही कभी मूर्त रूप दिया गया था।

कानून के शासन की डाइसियन अवधारणा कि किसी को भी एक कार्यकारी कार्रवाई द्वारा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है

कानून द्वारा असमर्थित। यदि कोई कानून था जो किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रदान करता था तो यह किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त था। इस संबंध में, यदि हम एस. आर. दास, जे. द्वारा ए. के. में अपने निर्णय में दिए गए उदाहरण का उल्लेख करते हैं।

गोपालन [ए. के. गोपालन बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर 1950

एससी 27: (1950) 51 सी. आर. आई. एल. जे. 1383] कि यदि कानून भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v प्रदान करता है।

रोचेस्टर के बिशप को "तेल में उबाला जाए" यह अनुच्छेद 21 के तहत मान्य होगा। लेकिन मेनका गांधी के फैसले के बाद

[मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] जो हमारे देश में संवैधानिक कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस न्यायालय ने पहली बार यह विचार रखा कि अनुच्छेद 21 न केवल कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि उस कानून के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है जब तक कि वंचित करने का कानून उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष न हो। और यह माना गया कि

तर्कसंगतता की अवधारणा संविधान के पूरे ताने-बाने में एक सुनहरे धागे की तरह चलती है और यह नहीं है

एक की कुछ झलक प्रदान करने के लिए कानून के लिए पर्याप्त

प्रक्रिया। किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए और यदि अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है तो यह निर्धारित करना अदालत का काम है कि क्या ऐसी प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और न्यायसंगत है।

निष्पक्ष और अगर अदालत को पता चलता है कि ऐसा नहीं है, तो अदालत हड़ताल करेगी

उसी तरह नीचे।
63. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह से "कानून" की व्याख्या की गई है, वह केवल "लेक्स" से अधिक है। इसका तात्पर्य एक उचित प्रक्रिया से है, दोनों

प्रक्रियात्मक और मूल रूप से "।

25. इन निर्णयों में निर्धारित विधान की न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को देखते हुए, हमें यह देखना होगा कि क्या धारा 45 पारित हो सकती है।

संवैधानिक मस्टर "।

इस प्रावधान के संबंध में उनका आगे निवेदन था कि यह था

यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने वाले नर्तकियों, गायकों, वेट्रेसों आदि के लिए, टिप उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है जिसे इस प्रावधान द्वारा छीनने की मांग की गई थी। 30. नियमों के नियम 3 की वैधता पर हमला करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि शर्त संख्या 2 इनमें संलग्न अनुसूची के भाग ए में निहित है।

नियम इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1) के फैसले के विपरीत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूची के भाग ए की शर्त No.11 में निर्धारित शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से इस तरह के डांस बार की 1 किलोमीटर की दूरी अतार्किक और अनुचित है। अव्यवहारिक। उनके अनुसार, वास्तव में, मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में यह एक असंभव शर्त थी जिसे पूरा किया जाना था जहां शैक्षिक और

प्रत्येक भवन से 1 किलोमीटर के भीतर धार्मिक संस्थान मौजूद थे।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि शराब नियमों के तहत बार के लिए निर्धारित दूरी 75 मीटर है। , जो उचित और वैध प्रावधान था और जिसे यहां भी शामिल किया जा सकता था।

31. जहां तक अनुसूची के भाग बी में निहित शर्त संख्या 2 का संबंध है, इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इस शर्त की आड़ में प्रतिवादी चाहता था कि उक्त बार में बार नर्तकियों का रोजगार अनिवार्य हो जाए। यह मालिकों के साथ-साथ ऐसी महिलाओं के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन था।

32. जहां तक सुझाव देने से संबंधित शर्त संख्या 6 का संबंध है (जो भाग ए की शर्त संख्या 11 के साथ जाती है), तर्क यह है कि राज्य इस शर्त को लागू नहीं कर सकता है कि ऐसी राशि को बिल में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। 33. 6 से डांस बार का समयः 00 अपराह्न 11 बजे तकः 30 भाग बी की शर्त संख्या 9 में निर्धारित पी. एम. को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह नहीं है

किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करें। इसके अलावा, डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा और शराब बार

1 तक खुले रहने की अनुमति हैः 30 ए. एम.

34. इसी तरह, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया, शर्त No.12 जो डांस बार में मादक पेय परोसने पर प्रतिबंध लगाती है, तर्कहीन है।

35. नियम 3 (iii) के साथ पठित शर्त संख्या 16 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ऐसी स्थिति फिर से अस्पष्ट प्रकृति की है क्योंकि

'अच्छा चरित्र' और 'अतीत में आपराधिक रिकॉर्ड' अभिव्यक्ति कोई सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई दोषसिद्धि नहीं होती है, तब तक किसी व्यक्ति के रोजगार पर कोई रोक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, भले ही कोई दोषसिद्धि हो, प्रतिबंध केवल उन मामलों में लगाया जाना चाहिए जहां दोषसिद्धि एक गंभीर अपराध के लिए है।

36. अनुसूची के भाग बी की शर्त No.17 जो लाइसेंस प्राधिकरण की अनुमति के बिना परिसर में किसी भी संशोधन या परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है, मनमाना के रूप में प्रश्न किया जाता है। अदालत का ध्यान

2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 793 में पारित 02 मार्च, 2016 के आदेश के लिए तैयार किया गया था, जो इस प्रकार हैः

" पिछले अवसर पर, अदालत ने 7 (सात) शर्तों को नोट किया था, जिन्हें याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने अपवाद के रूप में लिया था। अपवाद संबंधित हैं।

शर्त संख्या। 1 , 2 , 5 , 10 , 12 और 15.

शर्त नं. 1 इस प्रकार पढ़ता हैः

" 1) यह लाइसेंस केवल 10 फीट के एक चरण के लिए मान्य है। x 12 फीट। में

उत्पाद शुल्क की स्वीकृत योजना के अनुसार रेस्तरां क्षेत्र में आकार

एफ. एल.-III के लिए गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ विभाग

रेस्तरां और परमिट कक्ष क्षेत्र "।

एफएल-III लाइसेंस के साथ परमिट कमरों के लिए आबकारी विभाग की अनुमोदित योजना, हमेशा एक गैर प्रदान करने की आवश्यकता होती है रेस्तरां और परमिट कक्ष क्षेत्र के बीच पारदर्शी विभाजन। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि उक्त शर्त को शामिल करने के पीछे आबकारी विभाग का इरादा परमिट कक्ष क्षेत्र को उस रेस्तरां क्षेत्र से अलग रखना है जहां शराब नहीं परोसी जाती है। यह ध्यान दिया जाए कि उक्त शर्त को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया गया हैः

" यह लाइसेंस केवल 10 फीट के एक चरण के लिए मान्य है। x 12 फीट। एफ. एल.-III के लिए आबकारी विभाग की अनुमोदित योजना के अनुसार रेस्तरां क्षेत्र/परमिट कमरे में आकार के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ रेस्तरां और परमिट कक्ष क्षेत्र "।

उक्त शर्त याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार की जाती है और,

इसलिए, हम उसी पर ध्यान नहीं देंगे।

जहां तक शर्त की बात है तो नं. 2 संबंधित है, यह के रूप में पढ़ता है

निम्नलिखित हैः

" 2) मंच को हर तरफ से हटाने योग्य नहीं होना चाहिए।

3 फीट का विभाजन। ऊँचाई। ”

राज्य द्वारा दायर हलफनामे में उक्त शर्त को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः

" (2) 3 फीट की रेलिंग होगी। नृत्य मंच के निकट ऊंचाई। 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। ग्राहकों के लिए रेलिंग और सीटों के बीच। डांस बार के संबंध में जिन्होंने पहले लाइसेंस प्राप्त किए हैं, प्रावधानों का उल्लेख किया गया है

ऊपर बाध्यकारी बनाया जाए। 3 फीट की रेलिंग के लिए नए लाइसेंस की मांग करने वाले डांस बार पर इसे बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। मंच से सटे ऊंचाई और रेलिंग के बीच 5 फीट की दूरी छोड़ते हुए

और ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था। "[2019] 1 एस. सी. आर.

श्री भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील, महाराष्ट्र राज्य में उल्लिखित सुझावों के संबंध में प्रस्तुत करेंगे।

& एन. आर. बनाम इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और अन्य। [(2013) 8 एस. सी. सी. 519,3 फीट की रेलिंग है। ऊंचाई को बाद के चरण में प्रचार किए जाने वाले आगे के तर्कों के अधीन रखा जा सकता है।

लेकिन गैर-हटाने योग्य विभाजन नहीं हो सकता है। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम श्री के निवेदन को स्वीकार करते हैं। भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील और निर्देश देते हैं कि 3 फीट की रेलिंग होनी चाहिए। ऊँचाई और गैर-हटाने योग्य विभाजन नहीं। रेलिंग का उद्देश्य कलाकारों और दर्शकों के बीच बाधा पैदा करना है।

शर्त संख्या 5 का प्रभाव निम्नलिखित हैः " 5) लाइसेंसधारी को केवल 04 नर्तकियों/कलाकारों को रखने की अनुमति है।

अनुमत मंच पर उपस्थित रहें।

श्री भूषण ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है

उक्त शर्त पर लेकिन यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अन्य कलाकार उस परिसर में उपस्थित रह सकते हैं जिस पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं कि चार नर्तक एक समय में मंच पर प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन परिसर के अंदर अन्य स्थानों पर अन्य कलाकार हो सकते हैं।

शर्त नं. 10 इस प्रकार पढ़ता हैः

" 10) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पुलिस द्वारा सभी कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाता है।

हालाँकि उक्त शर्त के संबंध में हलफनामे में कोई सुझाव नहीं है, लेकिन यह श्री भूषण, विद्वान वरिष्ठ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता, कि यह आपराधिक पृष्ठभूमि तक ही सीमित होना चाहिए। हम भी इसी बात से सहमत हैं। कोई भी कर्मचारी जो काम में लगा हुआ है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है।

शर्त No.11 इस प्रकार हैः

" 11) अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी अर्थात मुंबई के लिए डी. सी. पी. (मुख्यालय-I) की लिखित अनुमति के बिना या परिसर में किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

अन्य क्षेत्रों के लिए संबंधित डी. सी. पी./एस. पी.

उपरोक्त शर्त को इस हद तक संशोधित किया गया है कि आई. ए. एन. होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v के बिना परिसर को बदला/संशोधित नहीं किया जाएगा।

कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति। तथापि, एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत होगी, तो पक्षकार इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

शर्त नं. 12 इस प्रकार पढ़ता हैः " 12) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई छिपी हुई गुहा या गुहा न हो।

कमरे को छिपाने के लिए परिसर के भीतर बनाया जाता है

कलाकार/कर्मचारी "।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री भूषण ने कहा कि उन्हें उक्त शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक कमरा होना चाहिए

जिसका उपयोग ग्रीन रूम के रूप में किया जा सकता है। हम इतना निर्देशित करते हैं। यह स्पष्ट किया जाए कि ग्रीन रूम का अर्थ है जिस तरह से ग्रीन रूम है। शास्त्रीय अर्थ में समझा गया।

शर्त नं. 15 जिस पर पार्टियाँ वास्तविक गुहा में होती हैं, वह इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

" 15) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि पूरे परिसर को कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जो पुलिस नियंत्रण कक्ष को लगातार लाइव फीड करेंगे जो पूरे दैनिक प्रदर्शन को रिकॉर्ड करेंगे और एक मॉनिटर/डिस्प्ले पर विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। पिछले 30 दिनों के प्रदर्शन की दैनिक रिकॉर्डिंग को संरक्षित किया जाएगा और किसी भी सक्षम प्राधिकारी को देखने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

विचाराधीन परिसर का प्रवेश द्वार लेकिन नहीं होगा रेस्तरां या परमिट क्षेत्र या प्रदर्शन में तय किया गया

क्षेत्र।

जैसा कि हमने शर्तों को स्पष्ट किया है, संशोधित शर्तों के साथ-साथ उन शर्तों का पालन तीन दिनों के भीतर किया जाएगा जिन पर कोई कैविल नहीं है और प्रतिवादी दस दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करेंगे। हमें यकीन है कि अधिकारी इस न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे और भटकने का साहस नहीं करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध होने दें।

उल्लेख करने की स्वतंत्रता "।

39. 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 119 में रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री निखिल नय्यर ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संघ, अर्थात् भारतीय बार गर्ल्स यूनियन में महिला कलाकार और प्रतिभाशाली पेशेवर (सामूहिक रूप से 'महिला कलाकार' के रूप में जानी जाने वाली) शामिल हैं जो विभिन्न भूमिकाओं जैसे नर्तकियों, गायकों या बार, रेस्तरां, बीयर रूम आदि में वेट्रेस (सामूहिक रूप से 'डांस बार' के रूप में संदर्भित) में काम कर रही हैं। इसके 5000 सदस्य हैं जो अकेले महाराष्ट्र राज्य में ऐसे प्रतिष्ठानों में काम कर रहे थे। हालांकि, लंबे समय तक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप ये महिला कलाकार बेरोजगार हो गई हैं, सदस्यता घटकर 110 महिला कलाकार रह गई है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने वैकल्पिक रोजगार की मांग की है और यहां तक कि देश के अन्य हिस्सों में चले गए हैं और कई लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं क्योंकि वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों ने स्वेच्छा से डांस बार में पेशेवर नृत्य को अपनाया है (i) पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा और पसंद से; (ii) आजीविका अर्जित करने के लिए; और (iii) व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा। मौजूदा साहित्य और अनुभवजन्य अध्ययनों में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने की महिलाओं की इच्छा को डांस बार में काम करने के लिए प्राथमिक प्रेरणा के रूप में पहचाना। कई लोगों के लिए, डांस बार में काम करने के अवसर ने उन्हें कलंकित वंशानुगत या जाति के पेशे से अलग होने का मौका दिया है। इन अध्ययनों के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) मुंबई में सर्वेक्षण की गई महिला कलाकारों (500 के नमूना आकार में से) में से लगभग 82.6% प्रवासी थीं, और उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 'गरीबी और निर्धनता' और 'अपने और अपने आश्रितों के लिए बेहतर जीवन की तलाश' के कारण।

3 5 (2017) 10 एस. सी. सी. 1 6 देखें सीमा से नारीवादी योगदानः मुंबई एक्स. एल. वी. आइकन के बार नर्तकियों के काम और प्रदर्शन की अवधारणाओं को बदलना। & पोल।

(ii) एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 42 प्रतिशत महिला नर्तकियाँ (800 में से)

वे अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। उनमें से अधिकांश के पास बुनियादी शिक्षा या तकनीकी कौशल की कमी थी। उनमें से कुछ पहले लगे हुए थे

सेक्स वर्क, लेकिन सुरक्षित काम करने की स्थितियों के साथ एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए डांस बार की ओर रुख किया।

(iii) एक अन्य नृजातीय अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश

महिला कलाकारों ने शोषणकारी या संकुचित वातावरण में काम किया

हाशिए पर पड़े और पारंपरिक नृत्य करने वाले समुदायों से संबंधित थे (अर्थात। , बेदिया, देरदार, कंझर, नट, राजनट, आदि) और अन्य समाज जिनके पास एक था 'वैकल्पिक' यौन नैतिकता का इतिहास।

40. अन्य पेशेवर कलाकारों की तरह, और वर्ष 2004 तक,

महिला कलाकारों को यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है कि कौन से बार या रेस्तरां में प्रदर्शन करना है; उनके प्रदर्शन का दिन, समय या अवधि; और बार के साथ पारिश्रमिक पर बातचीत करने की सौदेबाजी की क्षमता थी।

मालिकों। दूसरे शब्दों में, महिला कलाकार कभी भी ऐसे प्रतिष्ठानों की 'कर्मचारी' नहीं थीं-या तो किसी अनुबंध के आधार पर या किसी वैधानिक प्रावधान के तहत। वास्तव में, कई महिला कलाकार बार मालिकों से किसी भी या पर्याप्त मुआवजे की उम्मीद नहीं करती हैं क्योंकि कलाकारों के लिए अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दिए गए संरक्षकों से सुझाव या पुरस्कार स्वीकार करने की प्रथा रही है। यह दशकों पुरानी प्रथा मुजरा, लावणी (पारंपरिक मराठी गीत और नृत्य) या तमाशा (पारंपरिक मराठी रंगमंच) की प्रथागत प्रथाओं के समान है जो दर्शकों द्वारा प्रस्तुत बख्शीसी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। उक्त प्रथा अभी भी पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचलित है।

41. गौण प्रभावों और औपनिवेशिक युग के कलंक की ओर रुख करते हुए,

श्री नय्यर ने बताया कि डांस बार में नाटकीय प्रदर्शन अक्सर बॉलीवुड प्रदर्शन या 'मुख्यधारा' की संस्कृति की नकल करते हैं।

-

रूप और चरित्र दोनों में। हालांकि, राज्य सरकार ने डांस बार को एक जन्मजात अश्लील, अवांछनीय और समाज के नैतिक ताने-बाने के लिए खतरा के रूप में देखा है। राज्य की धारणा कला और मनोरंजन से जुड़ी लोकप्रिय मान्यताओं और सार्वजनिक भावनाओं पर आधारित है।

42. इसके खिलाफ दमनकारी और नैतिक दृष्टिकोण का कारण

डांस बार एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से जड़ें जमा लेती हैं जिसमें महिलाएं शामिल होती हैं।

7 आर. सी. डब्ल्यू. एस. (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, मुंबई), 'वर्किंग वीमेन इन मुंबई बार्सः विवाद के पीछे की सच्चाई '(जुलाई 2005); आर. सी. डब्ल्यू. एस. (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, मुंबई),' प्रतिबंध के बाद-डांस बार में काम करने वाली महिलाएं '(दिसंबर 2006)

3 दलवई, समीना, 'परफॉर्मिंग कास्टः मुंबई की कीले विश्वविद्यालय में बार नृत्य पर प्रतिबंध (2012)

घर या घरेलू क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का काम या पेशा 'निम्न सामाजिक स्थिति' रखता है। एना मोर्कम, एक प्रसिद्ध विद्वान, का तर्क है कि 'बार गर्ल्स' पर सामाजिक विचार दमनकारी के साथ निकट समानता रखते हैं।

ब्रिटिश युग के दौरान पारंपरिक नृत्य समुदायों (देवदासी, दरबारी, नौच, आदि) के साथ व्यवहार किया जाता था।

43. जहाँ तक अधिनियम और नियमों को चुनौती देने का संबंध है, यह याचिका कुछ प्रावधानों को चुनौती देती है जो विषय भी हैं।

2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 576 में चुनौती का विषय, जिस पर हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण की दलीलों को नोट किया है। उन तर्कों को स्वीकार करते हुए श्री नय्यर ने कुछ अतिरिक्त तर्क भी दिए। प्रस्तुतियाँ जो इस प्रकार हैं:

सबसे पहले, विद्वान वकील ने इंडियन होटल में इस न्यायालय के फैसले में तय किए गए कानूनी सिद्धांतों का समर्थन लिया और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1)। उन्होंने तर्क दिया कि उस मामले में अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया और शराबबंदी लागू करने का कोई आधार या औचित्य नहीं पाया।

44. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अधिनियम और नियम और कुछ नहीं बल्कि एक नई बोतल में पुरानी शराब है जिसमें उसी तरह के प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) में पहले ही रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, श्री नय्यर का तर्क था कि नैतिक चिंता और राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए कारण

कानून पूरी तरह से तर्कहीन हैं और बिना प्रदर्शन योग्य सबूत या सबूत के हैं। सचित्र रूप से: (I) बार लड़कियों का सामाजिक विवरण: यह दावा किया गया है कि बार गर्ल आमतौर पर नाबालिग होती हैं या तस्करी या वेश्यावृत्ति और अन्य रूपों की शिकार होती हैं

मांस का व्यापार। हालाँकि, राज्य सरकार समर्थन में कोई भी सामग्री-चाहे वह अपराध के आंकड़े हों या कोई अन्य अध्ययन-प्रस्तुत करने में विफल रही है। दूसरी ओर, बार नृत्य पर कुछ उपलब्ध ऐतिहासिक साहित्य और शोध अध्ययन एक तिरछे विपरीत दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कई महिला कलाकारों ने शोषणकारी देह व्यापार से खुद को उबारने के लिए नृत्य करना शुरू किया। उपरोक्त सभी सामाजिक कारक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बार लड़कियों ने गरिमा के साथ रहने और अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वेच्छा से डांस बार को अपनाया है। इसके अलावा, उपलब्ध साहित्य में आगे कहा गया है कि डांस बार में महिला कलाकारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इसने नए अवसर खोले हैं और यदि वे चाहें तो शोषणकारी यौन कार्य छोड़ने का विकल्प है। 9 एना मोर्कम, कोर्टिसंस, बार गर्ल्स और डांसिंग बॉयज़: भारतीय नृत्य की अवैध दुनिया (हैचेट इंडिया, 2014)

((ii) गैर-अश्लील प्रदर्शनः किसी भी मामले में, यह भारतीय न्यायालय

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1) और कई अन्य उच्च न्यायालयों ने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि डांस बार में प्रदर्शन को 'अश्लील' नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य में बंबई उच्च न्यायालय बनाम। जॉयस ज़ी उर्फ टेमिको 1 0, कैबरे शो से निपटते हुए, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" एक वयस्क व्यक्ति, जो भुगतान करता है और एक होटल में कैबरे शो में भाग लेता है

उसके स्वाद के अनुसार बहुत अश्लीलता से। यहाँ तक कि अनुमान भी लगाएँ कि ऐसा होटल जहाँ कोई भी टिकट खरीद सकता है, संबंधित है

एक सार्वजनिक स्थान होने के नाते, यह नहीं माना जा सकता है कि अश्लीलता

और नाराज़गी जो आई. पी. सी. के S.294 के तहत दंडनीय है। इस तरह की सहमति, व्यक्त या निहित के बिना किए जाते हैं

वयस्क व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति आपराधिक अदालत में शिकायत नहीं कर सकता है।

नाराज़गी की "।

(जोर दिया गया)

इस प्रस्ताव को साधना बनाम में दोहराया और उसका पालन किया गया है।

राज्य 1 1 और नरेंद्र एच. खुराना बनाम। पुलिस आयुक्त 1 2. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विवादित अधिनियम और नियम एक मिथक को कायम रखते हैं कि डांस बार कानून और व्यवस्था के लिए कोई खतरा पैदा करते हैं या शांति और शांति में खलल डालते हैं।

((iii) विश्वसनीय आंकड़ों की कमीः यह ध्यान देने योग्य है कि

2005 से पूरे महाराष्ट्र राज्य में डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से जिस आंकड़े पर भरोसा किया गया है, वह न केवल नगण्य है, यदि कोई हो, बल्कि पुराना भी है। जो भी हो, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा घोषित कारणों पर ही इस न्यायालय द्वारा भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) में ठोस साक्ष्य के अभाव में विचार किया गया है और खारिज कर दिया गया है। इसलिए, राज्य सरकार का यह विश्वास कि डांस बार में काम करने वाली महिलाएं वेश्यावृत्ति जैसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं, या कि नाबालिगों को काम पर रखा जा रहा है, पूरी तरह से निराधार और तर्कहीन है।

((iv) कार्य की शर्तेंः राज्य सरकार की चिंताएँ

यह पूरी तरह से गलत है कि महिला नर्तकियों को असुरक्षित और शोषणकारी कार्य स्थितियों के अधीन किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कई बार लड़कियों ने समर्थन नेटवर्क के कारण सलाखों में अधिक सुरक्षा महसूस की।

10 (1973) आई. एल. आर. 1299 (बम)

1 1 (1981) 19 डीएलटी 210

2 माह एल. जे. 72 [2019] 1 एस. सी. आर.

नर्तकियों के साथ-साथ मालिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा। यह भी ध्यान दिया गया कि बार मालिक, बार गर्ल्स द्वारा की गई मांगों पर, देर से यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा प्रदान करते हैं।

रात। हालाँकि बार की लड़कियाँ बार मालिकों की निरंतर नज़रों में काम करती थीं, लेकिन वे न तो संविदात्मक रूप से कार्यरत हैं और न ही उनके अधीन हैं। कुछ अन्य कलाकारों ने भी अपनी इच्छा से एक डांस बार से दूसरे में स्थानांतरित होने की पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्त की है। इसलिए, यह दावा कि महिला कलाकार असुरक्षित या शोषणकारी परिस्थितियों में काम कर रही हैं, बहुत अतिरंजित है। यह कहने के बाद, निश्चित रूप से बार लड़कियों की काम करने की स्थितियों में सुधार करने की गंभीर आवश्यकता है। हालांकि, यह महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करके हासिल किया जा सकता है और

याचिकाकर्ता जैसे संगठन-संघ के हस्तक्षेप के बिना राज्य उपकरण।

(v) सामाजिक असुरक्षाएँः डांस बार पर लंबे समय तक प्रतिबंध का बार लड़कियों और महिला मनोरंजनकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिबंध के बाद,

आर. सी. डब्ल्यू. एस. और एफ. ए. ओ. ओ. डब्ल्यू. अध्ययन ने बताया कि लगभग सभी महिलाओं की आय उनकी मूल आय के 50 प्रतिशत से कम हो गई थी, और कम से कम एक चौथाई महिलाओं ने पाया कि उनकी आय उनकी मूल आय के 90 प्रतिशत तक कम हो गई थी। कम से कम महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपनी सारी बचत का उपयोग आभूषण, नकदी या संपत्ति के रूप में किया है और इनमें से कम से कम 26 प्रतिशत महिलाओं को अतिरिक्त ऋण लेने के लिए मजबूर किया गया है, जो कुछ हजारों से लेकर लाखों के बीच है। अध्ययन ने आगे बताया कि नर्तकियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच में भारी कमी आई है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा की कमी के परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न हुआ है और महिलाओं को शोषणकारी यौन संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित किया है

काम करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, और कथित उद्देश्यों के विपरीत, राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुए हस्तक्षेप से राज्य को और अधिक खतरा हो सकता है।

महिलाओं की आजीविका। इस अदालत ने भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) में भी नाराजगी व्यक्त की क्योंकि डांस बार पर प्रतिबंध 'पूरी तरह से प्रतिकूल साबित हुआ है' क्योंकि कई महिला कलाकार थीं।

(vi) अतिरिक्त वाणिज्यः राज्य सरकार ने तर्क दिया कि नृत्य-जब शराब के साथ मिलाया जाता है-तो इसके परिणामस्वरूप अवांछित या अवांछनीय परिणाम होते हैं। हालाँकि, भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) में इस न्यायालय ने इसी तरह के तर्क पर विचार किया और देखा कि हम इनमें से किसी भी प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुति 'निराधार धारणा पर आधारित थी कि महिलाओं को सलाखों में ले जाया जा रहा है/तस्करी की जा रही है'।

उनके अनुसार, विवादित अधिनियम को महिलाओं को किसी भी कीमत पर डांस बार में प्रदर्शन करने से वंचित करने के लिए एक जवाबी उपाय के रूप में लागू किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि तथ्यों और मान्यताओं की विधायी घोषणा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से झूठी और पूरी तरह से तर्कहीन है और किसी भी सामग्री से रहित है। 45. उन्होंने आगे कहा कि निष्पक्षता और तर्कसंगतता को उचित ठहराने की जिम्मेदारी राज्य की है जो राम कृष्ण डालमिया बनाम के मामले में निर्धारित कानून का सिद्धांत है। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और Ors.13। महाराष्ट्र राज्य और अन्र. वी. बसंतीबाई मोहनलाल खेतान और अन्य। 1 4 और मेसर्स लक्ष्मी खंडसारी और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। 1 5 15.

उनके अनुसार, राज्य ने इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है।

46. श्री नय्यर ने विभिन्न निर्णयों में निर्धारित मापदंडों और इस विषय पर कानून के विकास के अनुसार इस देश में प्रचलित 'अश्लीलता' के मानकों पर भी विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं। इस रंग में, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सार्वजनिक नीति या सामान्य सार्वजनिक हित संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए वैध आधार नहीं हो सकते हैं। न तो बहुसंख्यकवादी या सामाजिक धारणाओं ने इस तरह के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का आधार बनाया। उनके अनुसार,

इसके विपरीत, व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत विकल्पों के संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए, जिन्हें निजता के अधिकार के पहलू के रूप में माना गया है, जो इसे मौलिक अधिकारों का दर्जा देते हैं। उनकी दलील थी कि विवादित कानून और नियम भी ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 47. श्री जयंत भूषण की तरह श्री नय्यर ने भी अधिनियम और नियमों के विशिष्ट प्रावधानों को छुआ। अधिनियम की धारा 2 (8) पर, उनका निवेदन था कि यह एक ऐसा प्रावधान है जो पूरी तरह से अस्पष्ट था और

एक शीतल प्रभाव पैदा करता है; नृत्य पर प्रतिबंध लगाता है जो अत्यधिक और असमान होते हैं; और कठोरता, अति विस्तार और स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित होते हैं। जहां तक अधिनियम की धारा 8 (4) का संबंध है, जो ग्राहकों द्वारा कलाकारों को सुझाव देने से रोकती है, श्री नय्यर का निवेदन है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है क्योंकि यह प्रावधान अपराधीकरण को और अन्यथा सौम्य या हानिरहित कार्य में डालता है और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथागत प्रथा के विपरीत था जिससे स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित था।

48. विद्वान वकील ने लाइसेंस की कुछ शर्तों की वैधता पर भी हमला किया। इस संबंध में उनका निवेदन था कि

13 (1959) एससीआर 279

14 (1986) 2 एस. सी. सी. 516 15 1 5 (1981) 2 एस. सी. सी. 600

धारा 12 के तहत गठित शिकायत निवारण समिति विवादित अधिनियम अत्यधिक अपर्याप्त और असमान है। महिलाओं की सेवा की उचित शर्तों को सुनिश्चित करने के कर्तव्य के साथ समिति की संरचना में कोई भागीदारी या प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है।

किसी भी तरह से बार नर्तकियों का। नियम 10 द्वारा प्रदान की गई समिति की संरचना समूह 'ए' के अधिकारियों तक ही सीमित है। चूंकि यह इन महिलाओं का कार्यस्थल है, इसलिए यह जरूरी है कि जब उनकी काम करने की स्थिति के बारे में कोई मुद्दा तय किया जा रहा हो तो उनका प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

49. श्री नय्यर ने शर्त बी (2) को असमान बताया,

अत्यधिक और अत्यधिक अधिकार विवादित अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। प्रावधान महिला नर्तकियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं (i) उनकी इच्छा पर एक बार से दूसरे बार में जाने की उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, अगर काम की स्थिति या वापसी उपयुक्त नहीं है; (ii) उन्हें वेतन या साझा सुझाव प्राप्त करने के अलावा अन्य नृत्यों का मुद्रीकरण करने से रोकते हैं। अधिक

महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार महिला कलाकारों की पसंद को कम करने के लिए कोई सम्मोहक जनहित दिखाने में विफल रही है। 50. शर्त बी (7) और बी (8) पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि महिला नर्तकियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव, पुरस्कार या पुरस्कार प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

उनके संरक्षकों द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक अनुचित, अत्यधिक, स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार की ओर से यह सुझाव कि बिल में सुझाव जोड़े जा सकते हैं या वेटरों को सौंपे जा सकते हैं, तर्कहीन है।

51. स्थिति बी (9) जिसमें नृत्य प्रदर्शन 6 तक सीमित हैंः 00 रात 11 बजे तकः 30 पीएम को अनुचित और स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई है

मनमाना। 11 के बाद नृत्य को प्रतिबंधित करना अतार्किक और स्पष्ट रूप से मनमाना हैः 30 दोपहर, जब प्रतिष्ठान 1 बजे तक खुले रह सकते हैंः 30 सुबह (अगले दिन) या 12 बजेः 30 सुबह (अगले दिन), जैसा भी मामला हो सकता है। 52. उनके अनुसार, शर्त बी (12) जिसमें बार मालिकों को उन क्षेत्रों में कोई भी मादक पेय परोसने से प्रतिबंधित किया गया है जहां

नृत्यों का मंचन असमान और स्पष्ट रूप से मनमाना होता है। राज्य सरकार कोई ठोस सामग्री प्रदान करने या कोई उचित आधार प्रदर्शित करने में विफल रही है जो इस प्रकृति के हस्तक्षेप की गारंटी देता है। इस प्रकार, प्रतिबंध अत्यधिक है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अन्य लाइसेंस शर्तों (दूरी, रेलिंग, ग्रीन रूम, आयु प्रतिबंध, आदि) पर विचार करना असमान है।

1 6 अधिसूचना (एम. एस. ए. वाली) देखें। 07 / 2016 / सी. आर. 218 / राज्य सरकार द्वारा जारी लैब-10) को भी 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 576 में इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा गया है।

53. धारा बी (20) की वैधता जिसमें गतिविधियों की पूरी निगरानी और रिकॉर्डिंग बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश है।

ऐसे स्थानों पर अत्यधिक के रूप में सवाल उठाया जाता है, अनुचित आक्रमण का कारण बनता है

निजता और अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 का उल्लंघन। समर्थन में, उन्होंने के. एस. पुट्टास्वामी के पैरा 247 (3) और एक अन्य का उल्लेख किया जिसमें यह न्यायालय

'अलोकप्रिय गोपनीयता' की अवधारणा की जांच की-जिनमें से दो पहलू विशेष रूप से प्रासंगिक हैं-अर्थात्। " (ग) निर्णयात्मक गोपनीयता जो नागरिकों के राज्य द्वारा घुसपैठ से अपने अधिकारों के बारे में अंतरंग विकल्प चुनने के अधिकार की रक्षा करती है; (घ) स्वामित्व गोपनीयता जो किसी की प्रतिष्ठा की सुरक्षा से संबंधित है। डांस बार से जुड़े सामाजिक कलंक को देखते हुए, नृत्य प्रदर्शनों की निगरानी, रिकॉर्डिंग, भंडारण और प्रतिधारण गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है और यहां तक कि महिला कलाकारों को धमकी और ब्लैकमेल भी किया जाता है। यदि चिंता सुरक्षा की है, तो इसे प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है। इसलिए, परिसर के अंदर गतिविधियों की पूर्ण निगरानी अत्यधिक और असमान है।

श्री नय्यर द्वारा निषिद्ध को अत्यधिक अस्पष्ट, अत्यधिक के रूप में लेबल किया गया है और नर्तकियों पर एक डरावना प्रभाव पैदा करता है। 55. श्री नय्यर ने भी विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए अपनी उपरोक्त दलीलों का समर्थन किया, जिन पर बाद में ध्यान दिया जाएगा और चर्चा की जाएगी।

स्टेज।

56. श्री नाफडे द्वारा उपरोक्त तर्कों का खंडन किया गया था,

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए और सुश्री पिंकी आनंद द्वारा समर्थित, विद्वान ए. एस. जी. जिन्होंने भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया। 57. श्री नाफडे ने इस दलील के साथ अपना तर्क खोला कि मनमानेपन या अनुचितता मूल्य निर्णय हैं और उपरोक्त मापदंडों पर किसी भी कानून को उस 'संदर्भ' को ध्यान में रखते हुए आंका जाना चाहिए जिसमें ऐसा कानून पारित किया जाता है। विवादित अधिनियम के संदर्भ में, उन्होंने अधिनियम की प्रस्तावना का उल्लेख किया जो निम्नानुसार निर्धारित करती हैः

" होटल, रेस्तरां, बार रूम और अन्य प्रतिष्ठानों में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध लगाने और काम की स्थितियों में सुधार करने के लिए एक अधिनियम, ऐसे स्थानों पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना ताकि उनके शोषण को रोका जा सके।

58. उपरोक्त से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता हैः

(क) होटल, रेस्तरां, बार रूम और अन्य प्रतिष्ठानों में अश्लील नृत्य को प्रतिबंधित करना;

(ख) महिला नर्तकियों और उसमें काम करने वाली अन्य महिलाओं के काम की स्थितियों में सुधार करना; और

(ग) ऐसी महिलाओं की गरिमा के साथ-साथ सुरक्षा की रक्षा करना।

59. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की नैतिक संरचना उपरोक्त प्रस्तावना से प्रवाहित होती है। उनके अनुसार, यह किसी के द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता था, न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था, कि उपरोक्त उद्देश्य थे

वैध और व्यापक लोक हित में, विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर काम करने वाली महिलाओं के हित में। उस आधार पर कार्यवाही करते हुए, श्री नाफडे ने प्रस्तुत किया कि जहां तक लाइसेंस के माध्यम से गतिविधि को नियंत्रित करने का संबंध है, याचिकाकर्ताओं द्वारा भी इसे स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 3, जिसमें होटल, रेस्तरां, बार रूम या कोई अन्य स्थान जहां नृत्य का मंचन किया जाता है, शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, को चुनौती नहीं दी गई है। यह अधिनियम का मूल है। इसके अलावा, धारा 14 को कोई चुनौती नहीं है जो राज्य सरकार को आगे बढ़ाने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है।

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला नहीं था कि विवादित अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम अधिकार से बाहर थे और जहां तक अधिनियम का संबंध है, राज्य विधानमंडल या जहां तक नियमों का संबंध है, राज्य सरकार की क्षमता के भीतर नहीं थे। अनुज्ञप्ति की आवश्यकता से संबंधित अधिनियम की धारा 3 के अलावा, उन्होंने अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख किया जो ऐसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों से संबंधित है और प्रस्तुत किया कि विचार में अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सख्त शर्तें होनी चाहिए।

60. इस परिचयात्मक टिप्पणी के साथ, श्री नाफडे ने अधिनियम और नियमों के व्यक्तिगत प्रावधानों को निम्नलिखित तरीके से निपटायाः अधिनियम की धारा 2 (8), जो 'अश्लील नृत्य' को परिभाषित करती है, का यह तर्क देते हुए बचाव किया गया कि यह अस्पष्ट नहीं है या इसमें अस्पष्ट परिभाषा है क्योंकि इसमें एक ऐसा नृत्य शामिल है जिसका उद्देश्य दर्शकों की 'व्यापक रुचि' को जगाना है और जहां नृत्य के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने तर्क दिया कि 'प्रचलित हित' अभिव्यक्ति का शब्दकोश में एक निश्चित अर्थ है और यह अभिव्यक्ति आई. पी. सी. की धारा 292 में भी पाई जाती है जो अश्लीलता को अपराध बनाती है।

इसलिए, भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v ने तर्क दिया। महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

विद्वान वरिष्ठ वकील, यह न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों की पुष्टि करता है। इस संबंध में आगे प्रस्तुतिकरण यह था कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नैतिकता के मानक समय के साथ बदल गए हैं, हालाँकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि रेखा कहाँ खींची जाए। इसे विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में

इस मामले में, विधायिका ने अपने ज्ञान में विशेष प्रकार के नृत्यों को अश्लील माना है जो विधायिका के ज्ञान में अश्लीलता का उचित मानक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि "तर्कसंगतता" की परीक्षा ही तरल है और इसलिए, यह स्थिति केंद्रित है। चूंकि, अधिनियम का उद्देश्य अश्लील नृत्य को प्रतिबंधित करना है, इसलिए अश्लीलता के मानक को उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। उन्होंने रंजीत डी. उदेशी बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य 1 7 जहाँ न्यायालय द्वारा 'अश्लील' शब्द का निम्नलिखित तरीके से अर्थ लगाया गया हैः

" 8. संविधान के संदर्भ में यह शायद ही दावा किया जा सकता है कि अश्लीलता जो विनम्रता या शालीनता के लिए आक्रामक है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिए गए संवैधानिक संरक्षण के भीतर है, क्योंकि अधिकार से संबंधित अनुच्छेद इसे बाहर करता है। वह पोषित अधिकार जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, राजनीतिक या सामाजिक स्थितियों को बदलने या मानव ज्ञान की उन्नति के लिए स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है। यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है जिसे आम जनता के हित में आवश्यक माना जा सकता है और ऐसा ही एक सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता का हित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292

स्पष्ट रूप से इस तरह के प्रतिबंध का प्रतीक है क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ कानून, निश्चित रूप से, सही ढंग से समझा और लागू किया गया है, सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। अश्लीलता शब्द वास्तव में अस्पष्ट नहीं है क्योंकि यह एक अच्छा शब्द है।

यह तब भी समझा जाता है जब लोग अपने दृष्टिकोण में भिन्न होते हैं कि क्या अश्लील है और क्या नहीं। लॉरेंस ने सोचा कि जेम्स जॉयस की यूलिसीज़ एक अश्लील पुस्तक दमन के योग्य थी लेकिन इसे वैध बना दिया गया और वह जेन आयर को अश्लील मानते थे लेकिन बहुत कम लोग

वह उससे सहमत हो जाएगा।

9. पहला उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि यह उत्सर्जक कार्यों से संबंधित था और दूसरा क्योंकि यह यौन दमन से संबंधित था। (देखें।

सेक्स, लिटरेचर सेंसरशिप पीपी। 26 , 201) . अश्लीलता की निंदा लोगों की आदतों पर उतनी ही निर्भर करती है जितनी व्यक्ति पर। यह हमेशा डिग्री का सवाल होता है या जैसा कि वकील कहने के आदी हैं कि रेखा कहाँ खींची जानी है। यह है,

हालाँकि, यह स्पष्ट करें कि सार्वजनिक हित या लाभ के विचारों, विचारों और सूचनाओं के प्रचार में अश्लीलता का अपने आप में बहुत कम मूल्य है। जब चिकित्सा पाठ के बिना पुस्तक के रूप में एकत्र किए गए विचारों, विचारों और तस्वीरों का प्रचार किया जाता है तो अलग हो सकता है क्योंकि तब समाज का हित होता है

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में तराजू झुकाएं। यह है।

मई

अश्लील हो लेकिन वही चित्र और तस्वीरें जो चिकित्सा पाठ के बिना पुस्तक के रूप में एकत्र की गई हैं, निश्चित रूप से अश्लील माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 इस अर्थ में अश्लीलता से संबंधित है और इस प्रकार अनुच्छेद 19 के दूसरे खंड को देखते हुए इसे अमान्य नहीं कहा जा सकता है। अगला सवाल यह है कि किसी वस्तु को अश्लील कब कहा जा सकता है?

XX

XX

XX

28. यही वह जगह है जहाँ कानून आता है। कानून संरक्षण नहीं चाहता है वे जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके संवेदनशील मन कामुक लेखन से आनंद और गुप्त यौन आनंद लेते हैं। नहीं।

संदेह है कि यह एक कलाकार द्वारा सेक्स के साथ व्यवहार कर रहा है और इसलिए सेक्स की कुरूपता में भी कुछ कविता है। लेकिन जैसा कि जज हैंड ने कहा कि अश्लीलता कई चरों का एक कार्य है। यदि भाषा में वर्णित यौन मुठभेड़ों के विवरणों की एक श्रृंखला जो अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती है, तो कुछ सामाजिक भलाई के परिणामस्वरूप हमारे लिए पुस्तक पर विचार करने की गुंजाइश होगी। लेकिन इसमें कोई अन्य आकर्षण नहीं है किताब। जैसा कि, जे. बी. प्रीस्टली ने कहा, "बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से उन्होंने केवल इन उग्र आवेगों का वर्णन करने के बजाय उन पर दार्शनिक विचार करने की कोशिश कीः वह एक रूटे हुए संसार का कवि है, और हाल ही में वह इसका पैगंबर बन गया है, जिसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम उसकी कल्पना में आए हैं। [द इंग्लिश नॉवेल, पी। 142 (नेल्सन)]। निष्कासित प्रति उपलब्ध है लेकिन वे लोग जो

गैर-निष्कासित प्रति को खरीदेंगे, इसकी परवाह न करें। शायद इसका कारण है जैसा कि मिडलटन मरे ने संक्षेप में कहा थाः

" वस्तुनिष्ठ रूप से, यह एक थकाऊ और दमनकारी पुस्तक है;

एक थके हुए और निराश व्यक्ति का काम। यह वास्तव में उल्लेखनीय है।

अपने जानबूझकर उपयोग या अप्रकाशित शब्दों के लिए कुख्यात। " पूरी पुस्तक में वास्तव में उनके विस्तृत विवरण शामिल हैं।

यौन पूर्ति। वे आक्रामक नहीं होते हैं, कभी-कभी बहुत

सुंदर, लेकिन कुल मिलाकर अजीब तरह से थकाऊ।

वातावरण दमघोंटू हो रहा है। इस यौन वातावरण के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ", [महिलाओं का पुत्र (जोनाथन केप)]।

इसमें कोई शक नहीं कि मर्रे का कहना है कि बहुत कम समय में और बार-बार पढ़ने पर मन उनके आदी हो जाता है, लेकिन उनका कहना है कि तब पुस्तक का मूल्य कम हो जाता है और यह कुछ भी स्थायी नहीं छोड़ता है।

प्रभाव पड़ता है। जिस कविता और संगीत को लॉरेंस ने यौन संबंध बनाने का प्रयास किया, वह स्पष्ट रूप से इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता है और उनके बिना यह पुस्तक कुछ भी नहीं है। पुस्तक में संदेश के रूप में विशेष रूप से लिंग के क्षेत्र में अचेतन लोगों के संकेतों का सुझाव दिया गया है। लेकिन आम पाठक के लिए इसे ढूंढना आसान नहीं है। मशीनी युग और सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव, जो इसका द्वितीयक विषय है, पाठकों के लिए दिलचस्प नहीं है, जिनकी सुरक्षा के लिए, जैसा कि हमने कहा, कानून बनाया गया है।

61. श्री नाफडे ने कहा कि इसके बाद दिए गए इस न्यायालय के फैसलों से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार, यह परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या किसी विशेष नृत्य प्रदर्शन में अनैतिक प्रभावों द्वारा भ्रष्ट और भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति है। के अनुसार

उसके लिए, किसी दिए गए मामले में, यह परीक्षण/मानक हमेशा न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है कि कोई विशेष नृत्य प्रदर्शन अश्लील है या नहीं। श्री नाफडे ने पवन कुमार बनाम के मामले में भी फैसले पर भरोसा किया। हरियाणा राज्य और अन्र। 18 जहां 'नैतिक अधमता' अभिव्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा नैतिकता के मानकों को अश्लीलता के साथ जोड़कर परिभाषित किया गया है और यह सामाजिक मानदंडों और उनके बारे में सोचने से आता है, जिसे उस निर्णय के निम्नलिखित अंश में उजागर किया गया हैः

" 12. " नैतिक अधमता "एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग कानूनी और सामाजिक बोलचाल में ऐसे आचरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से आधार, नीच, भ्रष्ट या भ्रष्टता दिखाने वाला कोई संबंध रखता है। द.

हरियाणा सरकार के प्रश्न पर विचार करते हुए

पूर्व दोषियों के पुनर्वास ने भारत सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक नीतिगत निर्णय लिया, जिसमें कहा गया था कि नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व दोषियों को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाना चाहिए। उन अपराधों की सूची जिन पर विचार किया गया था नैतिक अधमता को शामिल करते हुए उस संबंध में जानकारी और मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया था। उल्लेखनीय है कि आई. पी. सी. की धारा 295 नैतिक अधमता का गठन करने वाले अपराधों की सूची में सूचीबद्ध नहीं पाई गई है।

बाद में, आगे विचार करने पर, हरियाणा सरकार ने

18 (1996) 4 एससीसी 17 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17 / 26-3-1975 2-2-1973 के नीतिगत निर्णय की व्याख्या की और इसके निर्धारण को सुव्यवस्थित करके पहले के निर्णय को संशोधित करने का निर्णय लिया

नैतिक अधमता इस प्रकार हैः

..... निम्नलिखित शर्तों को आम तौर पर यह तय करने में लागू किया जाना चाहिए कि क्या किसी निश्चित अपराध में नैतिक अधमता शामिल है या नहीं।

(1) क्या दोषसिद्धि की ओर ले जाने वाला कार्य ऐसा था जो सामान्य रूप से समाज के नैतिक विवेक को झकझोर सकता था।

(2) क्या वह उद्देश्य जिसके कारण यह कृत्य किया गया, एक आधार था।

(3) चाहे वह कार्य किए जाने के कारण अपराधी को भ्रष्ट चरित्र का माना जा सकता था या ऐसा व्यक्ति जिसे समाज द्वारा नीचा देखा जाना था।

हालाँकि, प्रत्येक मामले में निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि

मामले की परिस्थितियों और सक्षम प्राधिकारी को उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेते समय अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। आपकी जानकारी के लिए उन अपराधों की सूची संलग्न की गई है जिनमें नैतिक अधमता शामिल है और मार्गदर्शन करें। हालाँकि, इस सूची को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है और ऐसे अपराध हो सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन जो कुछ स्थितियों और परिस्थितियों में नैतिक हो सकते हैं।

उथल-पुथल "।

आई. पी. सी. की धारा 295 अभी भी सूची से बाहर है। इस प्रकार आई. पी. सी. की धारा 295 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि में अपने आप में नैतिक अधमता शामिल नहीं होगी जो उसे राज्य की सेवा करने के अवसर से वंचित करती है जब तक कि तथ्य और परिस्थितियाँ, जिनके कारण दोषसिद्धि हुई, उपरोक्त नीतिगत निर्णय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं।

62. श्री नाफडे ने सी. टी. ओ. आर. जनरल, दूरदर्शन और अन्य महानिदेशालय में निम्नलिखित चर्चा पर भी जोर दिया। वी.

डी. पटवर्धन और एन. आर. 19 :

" 22. सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक समाज को संभावित नुकसान से बचाने की आवश्यकता को संतुलित करना है जो इससे हो सकता है।

अश्लील सामग्री, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और सूचना और विचारों के मुक्त प्रवाह को संरक्षित करने की आवश्यकता।

संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन अनुच्छेद 19 (2) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य उचित तरीके से लागू कर सकता है। सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के हित में प्रतिबंध।

06) 8 एस. सी. सी. 433 आई. ए. एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

23. इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि "अश्लीलता क्या है?" अश्लीलता से संबंधित कानून दंड की धारा 292 में निर्धारित किया गया है।

संहिता, जो 1969 के अधिनियम 36 द्वारा बनाई गई थी।

24. दंड संहिता की वर्तमान धारा 292 और धारा 293 के तहत, सार्वजनिक भलाई के लिए या विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा की किसी अन्य शाखा के प्रामाणिक उद्देश्य के लिए प्रकाशन को अश्लील साहित्य घोषित किए जाने का खतरा है क्योंकि उन्हें उन धाराओं के संचालन से छूट देने के लिए अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

25. वर्तमान प्रावधान इतना अस्पष्ट है कि इसे बनाना मुश्किल हो जाता है।

इसे लागू करें। अश्लीलता की परिभाषा को उद्देश्यपूर्ण रूप से छोड़ने के कारण दंड संहिता की धारा 292 पर हमला किया गया है क्योंकि यह दंडात्मक प्रावधान के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए बहुत अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या

प्रावधानों का अर्थ है। यह अस्वीकार्य रूप से बड़ा "धूसर क्षेत्र", जो यौन सामग्री को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों में आम है, मसौदा तैयार करने वालों या विधायकों की ओर से क्षमता या प्रयास की कमी का परिणाम नहीं प्रतीत होता है। 26. अश्लीलता पर दंड संहिता अंग्रेजी कानून से विकसित हुई, जिसने अदालत को सार्वजनिक नैतिकता का संरक्षक बना दिया। यह महत्वपूर्ण है कि जहां निकाय विवेक का प्रयोग करते हैं, जो संवैधानिक अधिकारों के आनंद में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वह विवेक पर्याप्त कानून के अधीन होना चाहिए। व्यापक प्रावधानों का प्रभाव

विवेकाधीन नियामक शक्तियाँ अप्रत्याशित हैं और वे मनमाने दुरुपयोग के लिए खुली हैं।

27. समरेश बोस बनाम। अमल मित्रा [(1985) 4 एससीसी 289: 1985 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 523] इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थीः (एस. सी. सी पी. 314 , पैरा

29)

" अश्लीलता की अवधारणा को उन लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत हद तक ढाला जाता है जिनसे आम तौर पर पुस्तक पढ़ने की उम्मीद की जाती है। यह विवाद से परे है कि अवधारणा

अश्लीलता आमतौर पर देश के आधार पर भिन्न होती है।

विभिन्न देशों में समकालीन समाज की नैतिकता के मानकों पर। हमारी राय में, अश्लीलता के प्रश्न का न्याय करने में, न्यायाधीश को सबसे पहले खुद को लेखक के पद पर रखने की कोशिश करनी चाहिए और लेखक के दृष्टिकोण से न्यायाधीश को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लेखक क्या व्यक्त करना चाहता है और क्या लेखक जो बताता है उसमें कोई साहित्यिक [2019] 1 एस. सी. आर. है।

और कलात्मक मूल्य। इसके बाद न्यायाधीश को खुद को नियुक्त करना चाहिए।

प्रत्येक आयु वर्ग के एक पाठक की स्थिति जिसके हाथों में

पुस्तक के मन में संभावित प्रभाव होने की संभावना है पाठकों। इसके बाद एक न्यायाधीश को अपने न्यायिक दिमाग को लागू करना चाहिए।

आई. पी. सी. की धारा 292 के अर्थ में अश्लील कहा गया समग्र रूप से पुस्तक का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और

परिच्छेदों को अलग से अश्लील बताया गया है।

28. यह अदालतों द्वारा दिए गए कुछ उदार निर्णयों में से एक है। चिंता की बात यह है कि न्यायाधीश को निर्णय लेने की शक्ति दी गई है

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अश्लीलता को परिभाषित करने की जिम्मेदारी और मीडिया में आने वाले मामलों को अश्लील या अन्यथा के रूप में वर्गीकृत करें। यह

न्यायालय ने समय-समय पर निर्धारित अश्लीलता की कसौटी को अपनाया है कॉकबर्न, सी. जे. द्वारा अश्लीलता की परीक्षा है, क्या प्रवृत्ति है

अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले का उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करना है

जिनके मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं, और जिनके मन में हाथ इस तरह के मीडिया में एक प्रकाशन गिर सकता है।

XX

XX

XX

37. रमेश बनाम के एक अन्य मामले में। भारत संघ [(1988) 1 एससीसी 668: 1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 266] इस न्यायालय ने कहा हैः

(एस. सी. सी पी. 676, पैरा 13)

कि शब्दों के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए

उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी लोगों के मानक

पुरुष, और न ही कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले, और न ही उन लोगों के जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे की गंध लेते हैं। यह हमारे

राय, प्रदर्शनी के प्रभाव का आकलन करने में सही दृष्टिकोण है एक फिल्म या एक किताब पढ़ने की। यह सामान्य का मानक है

उचित व्यक्ति या जैसा कि वे अंग्रेजी कानून में कहते हैं 'द मैन ऑन द

क्लैफम ऑम्निबस का शीर्ष "।

63. एक अन्य निर्णय, जिसके द्वारा पोषण किया गया था

एड वरिष्ठ वकील अजय गोस्वामी बनाम हैं। भारत संघ & Ors.20 फिर से 'समाज के मानदंड' परीक्षण न्यायालय द्वारा लागू किया गया था

विंग तरीके सेः

7) 1 एस. सी. सी. 143 आई. ए. एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

" 67. यह निर्णय लेने में कि क्या कोई विशेष कृति अश्लील है, समकालीन रूढ़ियों और राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने लेडी चैटरली के प्रेमी को अश्लील माना, इंग्लैंड में जूरी ने प्रकाशकों को यह पाते हुए बरी कर दिया कि प्रकाशन अश्लीलता परीक्षण के लिए गलत नहीं था। ब्रिटेन में साहित्यिक स्वतंत्रता की लड़ाई में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। शायद "सामुदायिक रूढ़ियों और मानकों" ने अंग्रेजी जूरी से अलग दृष्टिकोण लेते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक भूमिका निभाई। यह परीक्षण इंटरनेट युग के संदर्भ में कुछ हद तक पुराना हो गया है जिसने पारंपरिक बाधाओं को तोड़ दिया है और दुनिया भर के प्रकाशनों को क्लिक के साथ उपलब्ध कराया है।

एक चूहे से।

XX

XX

XX

70. एस. रंगराजन बनाम। पी. जगजीवन राम [(1989) 2 एस. सी. सी. 574], अनुच्छेद 19 (2) की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने स्पष्ट और वर्तमान खतरे के अमेरिकी परीक्षण से उधार लिया और कहाः (एससीसी पीपी। 595-96 , पैरा 45)

दबा नहीं जा सकता जब तक कि अनुमति देने से पैदा हुई परिस्थितियाँ स्वतंत्रता दबाव में है और सामुदायिक हित है

खतरे में है। प्रत्याशित खतरा दूर नहीं होना चाहिए,

अनुमानात्मक या दूरगामी। इसमें निकटवर्ती और प्रत्यक्ष होना चाहिए।

अभिव्यक्ति के साथ संबंध। विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए

सार्वजनिक हित के लिए आंतरिक रूप से खतरनाक होना। [दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति अविभाज्य रूप से होनी चाहिए] जैसे एक के समकक्ष

' एक पावर केग 'में चिंगारी।

71. किसी कार्य का मूल्यांकन करने की कसौटी सामान्य ज्ञान और विवेक वाले सामान्य व्यक्ति की होनी चाहिए न कि "सामान्य या अतिसंवेदनशील व्यक्ति" की। जैसा कि हिदायतुल्ला, सी. जे. ने के. ए. अब्बास [के. ए. अब्बास बनाम। भारत संघ, (1970) 2 एस. सी. सी. 780]: (एस. सी. सी पी. 802, पैरा 49)

" अगर भ्रष्ट लोग इन चीजों में और क्या देखना शुरू कर देते हैं।

एक औसत व्यक्ति, बहुत हद तक उसी तरह से, जैसा है

गलत कहा गया, एक फ्रांसीसी हर चीज में एक महिला के पैर देखता है,

इसकी मदद नहीं की जा सकती। "

XX

XX

75. अश्लीलता की परिभाषा संस्कृति से संस्कृति में, एक ही संस्कृति के भीतर समुदायों के बीच और उन समुदायों के भीतर व्यक्तियों के बीच भी भिन्न होती है। कई संस्कृतियों ने अश्लील और सेंसरशिप को परिभाषित करने के लिए कानून बनाए हैं।

76. अश्लीलता शब्द का उपयोग अक्सर कानूनी संदर्भ में उन अभिव्यक्तियों (शब्दों, छवियों, कार्यों) का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो प्रचलित यौन नैतिकता को आहत करते हैं। दूसरी ओर, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अधिकार में किसी भी मुद्दे पर किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण शामिल होगा। हालाँकि, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यदि इस तरह का भाषण और अभिव्यक्ति अत्यधिक स्थूल है और मानकों का बुरी तरह से उल्लंघन करेगी। समाज की नैतिकता। इसलिए, कोई भी अभिव्यक्ति उचित प्रतिबंध के अधीन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने हमारे स्वतंत्र समाज के विकास और कल्याण में बहुत योगदान दिया है।

64. जहां तक अधिनियम की धारा 6 (4) का संबंध है, श्री नाफडे की याचिका थी कि इसके लिए लाइसेंस की सख्त शर्तें लागू करने का विचार था।

65. धारा 8 (2) के अनुसार, विद्वान वरिष्ठ वकील का औचित्य यह था कि इस प्रावधान को अधिनियम की धारा 8 (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 8 (1) धारा 3 के उल्लंघन में स्थान का उपयोग करने के अधिनियम को दंडनीय अपराध बनाता है। इस रंग में, धारा 8 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे स्थान को अश्लील नृत्य या शोषण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे स्थान पर किसी भी अनैतिक उद्देश्य के लिए कोई भी कामकाजी महिला, जो ऐसे अधिनियम को भी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध बनाती है। श्री नाफडे ने तर्क दिया कि इस अर्थ में, धारा 8 (2) एक अलग कानून में निर्धारित एक अलग अपराध है जो महाराष्ट्र अधिनियम के तहत है जो आई. पी. सी. की धारा 292 से अलग है।

66. अधिनियम की धारा 8 (4) के संबंध में जो नर्तकियों को सुझाव देने का निर्देश देती है, श्री नाफडे ने प्रस्तुत करने के साथ इसका बचाव किया।

कि यह समाज के सांस्कृतिक लोकाचार का विषय है। इसमें, जब उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना होगा, तो इस तरह का निषेध होगा -

न्यायसंगत है। इस तरह के प्रावधान के समर्थन में उनका आगे का तर्क यह था कि पैसे की बौछार प्रलोभन का एक तरीका है जिसे होना चाहिए

जाँच की। किसी भी मामले में, भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v को प्रेरित करने वाली राज्य की धारणा ऐसी है।

विधायिका इस तरह का प्रावधान करे, जिसे काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। श्री नाफडे ने आई. पी. सी. की धारा 354 ए का भी उल्लेख किया जिसने 'यौन उत्पीड़न' का दायरा बढ़ाया है और इसे अपराध बना दिया है। उन्होंने कहा कि इसे समाज की नैतिक संहिता के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, धारा 8 (4) को इस तरह के चश्मे से आंका जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप में, उन्होंने तर्क दिया कि पृथक्करण के सिद्धांत को हमेशा लागू किया जा सकता है और प्रावधान को अपमानजनक भागों को हटाकर बचाया जाना चाहिए। वहाँ से।

67. 'आपराधिक रिकॉर्ड' को परिभाषित करने वाले नियमों के नियम 2 (बी) को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई थी कि यह प्रावधान स्थापित करने के लिए किया गया है।

सार्वजनिक जीवन में शुद्धता। यह 'नैतिक अधमता' से अपना रंग लेता है जैसा कि परिभाषा में ही उल्लेख किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, सवाल यह था कि क्या ऐसा रिकॉर्ड दोषसिद्धि पर आधारित होना चाहिए या तब भी जब किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी/शिकायत हो।

जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जाता है। इस संबंध में उनका सुझाव था कि यह प्रावधान पढ़ने में सक्षम है और न्यायालय ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

68. याचिकाकर्ताओं का तर्क संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर आधारित है, अर्थात्, डांस बार के मौलिक अधिकार या

नर्तकियों को इस समर्पण के साथ शांत करने की कोशिश की गई थी कि एक ओर उस अधिकार के बीच संतुलन और अश्लीलता की रोकथाम दूसरे हाथ की आवश्यकता थी। इस संबंध में उन्होंने अनुच्छेद 19 के खंड (2) का उल्लेख किया जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

'सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता' के हित में। इसलिए, इन प्रावधानों की वैधता पर निर्णय लेते समय नैतिकता के पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया। इसी तर्ज पर, श्री नाफडे ने अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत शरण लेकर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) पर आधारित तर्क को पूरा करने का भी प्रयास किया, जो राज्य को आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने की अनुमति देता है।

69. नियम 3 के तहत अनुसूची के संबंध में, श्री नाफडे की शर्त संख्या 2 का बचाव यह था कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसी तरह, भाग ए की शर्त संख्या 11 नीति का विषय है और दूरी तय करना कानून निर्माता का विशेषाधिकार है। भाग बी की शर्त संख्या 2 के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन था कि यह आर्थिक वास्तविकता पर आधारित है कि इस तरह के कार्य खंड का दोहन है और इसलिए, नियम निर्माता ने सही शर्त रखी है कि कामकाजी महिलाओं को मासिक वेतन पर एक लिखित अनुबंध के तहत नियोजित किया जाना चाहिए जो [2019] 1 एस. सी. आर.

श्री नाफडे ने यह तर्क देते हुए मामले को दूसरे स्तर पर ले गए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति नैतिकता के आधार पर कानून बनाना है। ऐसा महान उद्देश्य जो इस अधिनियम को प्राप्त करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निम्नलिखित कानूनी प्रस्ताव के साथ इसकी व्याख्या कीः

(i) आपराधिक रंग की गतिविधि को हमेशा विधायिका द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

((ii) अतिरिक्त वाणिज्य के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो यह बताता है कि उन आर्थिक अधिकारों में कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

ऐसी गतिविधियाँ जो उपरोक्त अधिकतम के अंतर्गत आती हैं। हालाँकि, यह राज्य ही है जो अभी भी इन गतिविधियों की अनुमति देता है और इसलिए, राज्य को एक विशेष नियामक ढांचे के भीतर ऐसी गतिविधि की अनुमति देने का पूरा अधिकार है। यह वही है जो अधिनियमों और नियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों द्वारा सटीक रूप से किया गया था।

((iii) तर्कसंगतता का परीक्षण प्रासंगिक है और विभिन्न स्थितियों में भिन्न होता है। यह आनुपातिकता पर आधारित है। यह परीक्षण और कड़ा होगा।

जहाँ व्यापार की स्वतंत्रता है और इस तरह के एक सख्त परीक्षण में उचित है

वर्तमान संदर्भ।

70. सुश्री पिंकी आनंद, विद्वान ए. एस. जी. ने श्री नाफड़े की उपरोक्त प्रस्तुतियों का समर्थन किया और उन्हें अपनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान

अधिनियम विनियामक था और प्रकृति में निषेधात्मक नहीं था। अधिनियम के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) के मामले में वर्ष 2013 का पिछला निर्णय लागू नहीं होगा। विद्वान ए. एस. जी. का एक और निवेदन था कि अधिनियम अश्लीलता को प्रतिबंधित करता है, जो आई. पी. सी. के तहत अन्यथा भी अवैध है, इसलिए, रेज़ एक्स्ट्रा कॉमर्सियम का सिद्धांत लागू होगा। उन्होंने अपने समर्पण को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख कियाः

((i) बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला और Anr.[21]

" 41. पूर्वगामी टिप्पणियों से यह बहुत स्पष्ट होगा कि प्राचीन काल से इस देश में जिन गतिविधियों की निंदा की गई है, वे समान रूप से हतोत्साहित और हतोत्साहित प्रतीत होती हैं।

21 1957 एस. सी. आर. 874 और होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

संविधान निर्माताओं को व्यापार, वाणिज्य का दर्जा दिया जाएगा या संभोग और विषय बनाया जाना-अनुच्छेद 19 (1) (छ) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का विषय। हम मुश्किल पाते हैं

स्वयं को आश्वस्त करें कि जुआ का उद्देश्य कभी भी इस प्राचीन देश के व्यापार, वाणिज्य या संभोग का कोई भी हिस्सा बनाना था जिसे अनुच्छेद 301 के तहत मुक्त घोषित किया जाना था। यह हमारा उद्देश्य नहीं है

न ही इस मामले को तय करने में हमारे लिए "व्यापार", "व्यवसाय" या "संभोग" शब्द की एक विस्तृत परिभाषा का प्रयास करना आवश्यक है। हालाँकि, हमारी स्पष्ट राय है कि जो कुछ भी अर्थ के भीतर आता है या नहीं माना जा सकता है

ये शब्द, जुआ को निश्चित रूप से उनमें से एक के रूप में नहीं लिया जा सकता है। हम आश्वस्त और संतुष्ट हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 301 का वास्तविक उद्देश्य संभवतः जुआ खेलने की स्वतंत्रता की गारंटी या घोषणा करना नहीं हो सकता था। उनसे जुआ गतिविधियाँ

हालांकि व्यापार के बाहरी रूपों, औपचारिकताओं और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है और वे हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) या अनुच्छेद 301 द्वारा संरक्षित नहीं हैं।

) तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व इसके सचिव, गृह, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग और अन्य ने किया। वी. के. बालू & Anr.22

" 16. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों को बंद करने की केंद्र सरकार की नीति शराब पीकर गाड़ी चलाने को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकती है। मोटर वाहन का चालक यात्रा शुरू होने से पहले या राष्ट्रीय या अन्य स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर यात्रा के दौरान भी शराब ले सकता है।

राज्य राजमार्ग। शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए भी कानून

उचित प्रवर्तन की आवश्यकता है। यह कहने के बाद, न्यायालय को

एक से अधिक के लिए केंद्र सरकार की नीति को स्वीकार करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से भारी वाहनों में मानव जीवन की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की नीति को लागू करना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने में, न्यायालय अपनी नीति नहीं बनाता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को लागू करता है। विशेषज्ञ निकायों के सुविचारित दृष्टिकोण के आधार पर।

न्यायालय द्वारा विचारः

71. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1) मामले में,

धारा 33 ए को असंवैधानिक माना गया क्योंकि इसमें गड़बड़ी पाई गई थी।

इस उद्देश्य के लिए, धारा 33 ए किसी भी खाने के घर, परमिट रूम या भालू बार में किसी भी प्रकार या प्रकार के नृत्य के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करती है। इस निषेध को प्रभावी बनाने के लिए, पहले दिए गए ऐसे सभी लाइसेंस थे - उक्त वैधानिक प्रावधान द्वारा निरस्त। इस तरह के प्रदर्शन के आयोजन को भी दंडनीय अपराध बना दिया गया था। साथ ही, धारा 33 बी ने धारा 33 ए को अपवाद प्रदान किया क्योंकि धारा 33 ए को भारतीय होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर) v बना दिया गया था।

कुछ मामलों में अनुपयुक्त। धारा 33 बी के अनुसार, धारा 33 ए के प्रावधान नृत्य प्रदर्शन के आयोजन पर लागू नहीं होते थे। ड्रामा थिएटर, सिनेमा थिएटर और ऑडिटोरियम; या स्पोर्ट्स क्लब या जिमखाना,

जहां प्रवेश केवल इसके सदस्यों के लिए प्रतिबंधित है, या तीन सितारा या उससे ऊपर के होटल या किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में, जो - (क) राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पर्यटन नीति; या (ख) सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

72. इन प्रावधानों की दो विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता हैः

73. धारा 33 ए के प्रावधानों को भेदभावपूर्ण बताते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी वर्गीकरण का कोई उचित आधार नहीं है उन स्थानों के बीच जहां धारा 33 ए के तहत नृत्य के इस तरह के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया था और उन स्थानों के बीच जहां महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 बी में निर्दिष्ट इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति थी। इस संबंध में चर्चा, विशेष रूप से, पैरा 118 में निहित है -

122 निर्णय जो पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। यह कारण यहाँ विवादित अधिनियम और नियमों पर लागू नहीं हो सकता है

क्योंकि अब ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है। साथ ही, इस निर्णय की कुछ चर्चा प्रासंगिक होगी। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि धारा 33 ए ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) को आहत किया है क्योंकि नृत्य अभिव्यक्ति का एक रूप है और उक्त प्रावधान निम्नलिखित के बराबर है -

अनुचित प्रतिबंध जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) द्वारा संरक्षित नहीं है। इसके अलावा, जिस आधार पर धारा 33 ए को अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने वाला पाया गया, वह भी प्रासंगिक हो सकता है। इसलिए, हम भारतीय में निहित चर्चा की मुख्य विशेषताओं को बाहर निकालना चाहेंगे।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1) इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (1)। ये हैंः

(क) ऐसी बहुत कम या कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर राज्य यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि निषिद्ध प्रतिष्ठानों में नृत्य था

सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को अपमानित करने या चोट पहुँचाने की संभावना।

इन टिप्पणियों को करते समय, न्यायालय ने विशेष रूप से प्रयास और शुभदा चौकर की रिपोर्ट में निष्कर्षों को खारिज कर दिया। (ख) बोधगम्य भिन्नता के आधार पर प्रावधान को उचित ठहराने के लिए राज्य का तर्क। , कि महिलाएं जो प्रतिबंधित प्रतिष्ठान में प्रदर्शन करती हैं

बेहद वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं और एक कमजोर समूह हैं जिन्हें बार नृत्य में तस्करी की जाती है, विशेष रूप से इंगित करके अस्वीकार कर दिया गया था

कि इस तरह की याचिका का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री/सबूत नहीं था। इस ओर से उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कुछ भी नहीं कहा गया था और इस याचिका को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में पेश किया गया था। अदालत ने इस प्रक्रिया में कहा कि इस तरह की याचिका प्रयास और शुभदा चौकर की रिपोर्ट पर आधारित थी। न्यायालय की राय में, इसमें दिए गए अलग-अलग उदाहरण धारा 33 ए के तहत आने वाले डांस बार का तस्करी से संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

(ग) ऐसे स्थानों पर नृत्य का प्रदर्शन रेज़ एक्स्ट्रा कॉमर्सियम के सिद्धांत द्वारा कवर नहीं किया जा सकता था। इस तरह के व्यापार पर प्रतिबंध

गतिविधि, जो एक मौलिक अधिकार था, को 'उचित प्रतिबंध' की कसौटी पर खरा उतरना था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि राज्य यह स्थापित करने में विफल रहा है कि प्रतिबंध उचित है या यह आम जनता के हित में है। (घ) पहले से ही पर्याप्त नियम और विनियम और विधान हैं जो, यदि कुशलता से लागू होते हैं, तो नियंत्रित होंगे (यदि नहीं

(क) आक्षेपित विधान की प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के विवरण में समाज के लिए गिने गए सभी खतरों को समाप्त करना। इस तरह के विधानों के साथ-साथ नियमों और विनियमों को विशेष रूप से पैरा 127 से 131 में नोट किया गया था।

(ङ) न्यायालय ने निर्णय के पैरा 132 में अभिनिर्धारित किया कि बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत नियम जनता के हित में बनाए गए हैं।

सुरक्षा और सामाजिक कल्याण और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के साथ-साथ महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए। राज्य द्वारा अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि मौजूदा कानूनों के ढांचे के भीतर स्थिति से निपटना संभव नहीं था, सिवाय इसके कि

प्रस्तावना के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के कथन में अभिलिखित निराधार निष्कर्ष।

(च) राज्य का तर्क कि विवादित अधिनियम अतिरिक्त विनियमन का एक रूप है, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि लाइसेंस की मौजूदा प्रणाली और लगातार बढ़ते डांस बार की समस्या से निपटने के लिए परमिट अपर्याप्त थे, विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

(छ) न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में धारा 33 क के प्रभाव का भी उल्लेख किया हैः

" 136. किसी भी प्रकार के नृत्य के निषेध का अंतिम परिणाम

धारा 33-ए के तहत आने वाले प्रतिष्ठान केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2005 के बाद से, अधिकांश नृत्य बार प्रतिष्ठानों को वास्तव में बंद कर दिया गया है। इससे 75,000 से अधिक महिला श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि उनमें से कई अपने रखरखाव के लिए आवश्यकता के कारण वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर हुए हैं।

परिवार। हमारी राय में, विवादित कानून पूरी तरह से प्रतिकूल साबित हुआ है और इसे अधिकार से बाहर होने के कारण बनाए नहीं रखा जा सकता है

अनुच्छेद 19 (1) (छ)। ”

74. इसके विपरीत, विवादित अधिनियम का उद्देश्य होटलों में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करना है।

रेस्तरां, बार रूम और अन्य प्रतिष्ठान। यह काम की स्थितियों में सुधार करने के साथ-साथ ऐसे स्थानों पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करने का भी प्रयास करता है ताकि उनके शोषण को रोका जा सके। के रूप में

ऊपर बताया गया है कि यह अधिनियम ऐसे सभी होटलों, रेस्तरां, बार रूम और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 ए और 33 बी के विपरीत ऐसे स्थानों की दो श्रेणियों को नहीं बनाता है। उस अर्थ में, दो बनाने के आधार पर भेदभाव का तर्क

बिना किसी उचित आधार के वर्ग उपलब्ध नहीं हैं, न ही यह तर्क दिया गया था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त उद्देश्य सामान्य हैं।

जनहित में क्योंकि कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता है कि अश्लील नृत्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और न ही यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे स्थानों पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए उनके शोषण को रोकने के लिए उपयुक्त प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों की वैधता पर पूरी तरह से सवाल नहीं उठाया है। इसके बजाय, वे कुछ प्रावधानों से व्यथित महसूस करते हैं जो उनके अनुसार हैं -

अनुचित और पूर्ण निषेध लगाने का प्रभाव पड़ता है

किसी भी प्रकार के नृत्य प्रदर्शन, भले ही वे अश्लील न हों। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिनियम और नियमों द्वारा लगाई गई शर्तें और प्रतिबंध इतने गंभीर और असंभव हैं कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि भारतीय होटल और रेस्तरां [2019] 1 एस. सी. आर. में स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद।

एसोसिएशन (1) का मामला कि राज्य के समक्ष इस दलील का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि ऐसे स्थानों पर महिलाओं का शोषण किया गया था, विधायिका ने इस अधिनियम को लगभग उसी तर्ज पर पारित किया है जिस पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में धारा 33 ए डाली गई थी, बिना किसी नए अभ्यास या अनुभवजन्य अध्ययन के। अधिनियम और नियमों के विशिष्ट प्रावधानों पर विचार करते समय इन तर्कों को छुआ जाएगा, जिनकी वैधता पर इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया है। वास्तव में हम कर सकते हैं इस मोड़ पर ही इंगित करें कि अब तक किसी भी प्रतिष्ठान को विवादित अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। यह श्री नाफडे द्वारा बार में दिया गया स्पष्ट बयान था। यह दर्शाता है कि अधिनियम और नियमों द्वारा लगाई गई कुछ शर्तें और प्रतिबंध ऐसे हैं जिनका पालन करना असंभव है और इसलिए, प्रत्येक मामले में, बिना किसी अपवाद के, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस देने के लिए आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।

75. हम इस स्तर पर नैतिकता के तर्क से निपटना चाहेंगे,

जैसा कि श्री नाफडे ने कहा था। सवाल यह है कि किस हद तक

क्या राज्य अपने नागरिकों पर 'नैतिकता' थोप सकता है? सबसे पहले हम इस पहलू को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देंगे। पंजाब और अन्र राज्य में चर्चा के बाद। वी. देवन्स मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और Anr.2[3] इस संबंध में प्रासंगिक हो सकते हैं:

" 48. कानून द्वारा शासित किसी वस्तु में लेनदेन को स्वाभाविक रूप से हानिकारक और हानिकारक नहीं कहा जा सकता है। समाज ऐसा नहीं कर सकता। किसी व्यवसाय की निंदा करना और न ही इस संबंध में कोई धारणा मौजूद है यदि इस तरह के व्यवसाय को वैधानिक के तहत करने की अनुमति है।

उसके लिए सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम। द.

विधायिका नैतिकता के बारे में अंतिम मध्यस्थ होने के नाते या

अन्यथा सभ्य समाज को यह भी बताना होगा कि

व्यवसाय जिसमें अनुच्छेद आपराधिक प्रकृति का होगा। इस मामले में समाज की कोई भूमिका नहीं होगी। समाज की उस मामले में राय हो सकती है जिस पर अदालत में केवल सामान्य कानून के तहत विचार किया जा सकता था, न कि जब अधिकार और दायित्व क्षेत्र में काम करने वाले कानूनों से बाहर निकलते हैं। आम जनता का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण फिर से विधायिका के लिए विधायी अधिनियमों द्वारा परिभाषित करने और प्रतिबंधित करने या विनियमित करने का मामला हो सकता है। विनियामक क़ानूनों को संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के अनुरूप उन व्यापारों से निपटने के लिए अधिनियमित किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से हानिकारक और हानिकारक प्रकृति के होते हैं।

23 (2004) 11 एस. सी. सी. 26 आई. ए. एन. होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

अपराध यद्यपि वैधानिक अधिनियमन के संदर्भ में अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का लेन-देन करना अपराध है या नहीं, यह केवल एक वैधानिक विषय हो सकता है। अधिनियमन।

XX

XX

XX

हर शंकर [(1975) 1 एससीसी 737: आकाशवाणी 1975 एससी 1121: (1975) 3 एस. सी. आर. 254] या खोडे डिस्टिलरीज [(1995) 1 एस. सी. सी. 574] यह प्रतीत होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी अप्रिय मामले में सौदा करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर पदार्थ। इसलिए राज्य को किसी भी व्यापार या वाणिज्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का अधिकार है।

पीने योग्य शराब। हालाँकि, इस तरह की पाबंदी लागू नहीं की गई है। एक बार जब किसी व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति शराब का व्यवसाय करने में अपराध कर रहा है, हालांकि वह लाइसेंस के नियमों और शर्तों और क्षेत्र में संचालित क़ानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करता है? यदि उक्त प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया जाना है

सकारात्मक रूप से यह तबाही मचाएगा और अराजकता और न्यायिक स्थिति की ओर ले जाएगा

निर्विवाद रूप से उसे व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहां तक कि खाद्य वस्तुओं या अन्य आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के संबंध में भी किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के मामले में या तो पूर्ण निषेध या प्रतिबंध लगाए गए हैं, सिवाय उस ओर से निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा उस ओर से दिए गए लाइसेंस के संदर्भ में। इसलिए, किसी कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए कानूनी या अवैध रूप से किए जा रहे व्यापार या व्यवसाय के बीच के अंतर का निर्णय इस तथ्य से किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा व्यवसाय कानून (ओं) के प्रावधानों के अनुपालन में किया जा रहा है या नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक इस तरह के व्यवसाय [2019] 1 एस. सी. आर. को जारी रखने की अनुमति नहीं है।

एक कानून के कारण, किसी भी अपराध को नहीं कहा जा सकता है

इस संबंध में प्रतिबद्ध। रेस एक्स्ट्रा का सिद्धांत

इस प्रकार, वाणिज्य आकर्षित नहीं होगा, जहाँ से कोई व्यक्ति

के संदर्भ में दिए गए लाइसेंस के तहत व्यवसाय करता है

विनियामक कानूनों के प्रावधान।

XX

XX

XX

317. यह मामला वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। अदालत ने

समानता, स्वतंत्रता या वाणिज्य के खंडों की व्याख्या नहीं कर सकते

संविधान को इस तरह से हटाने के लिए

न्यायपालिका से विरोधाभासी माना जाता है नैतिकता या अन्यथा कुछ पर विचार करने का अधिकार

समाज में प्रचलित चीजें।

76. हम लाभ के साथ निम्नलिखित चर्चा पर भी ध्यान दे सकते हैं -

एन. डी वी. मध्य प्रदेश राज्य & Anr.24:

सावधानी से जाँच की जानी चाहिए और केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब एक महत्वपूर्ण प्रतिवर्ती ब्याज बेहतर दिखाया गया है। अगर अदालत ऐसा करती है

पता लगाएँ कि दावा किया गया अधिकार मौलिक रूप से संरक्षण का हकदार है।

ब्याज परीक्षण। तब सवाल यह होगा कि क्या राज्य का हित है। ऐसा सर्वोपरि महत्व है जो उल्लंघन को उचित ठहराए

दाहिनी ओर से। जाहिर है, अगर नैतिकता का प्रवर्तन आयोजित किया गया था

एक बाध्यकारी और साथ ही एक अनुमेय राज्य हित होने के लिए,

दावा किए गए अधिकार का मौलिक गोपनीयता अधिकार के रूप में वर्णन

इसका महत्व बहुत कम होगा। सवाल यह है कि क्या

नैतिकता को लागू करना राज्य का हित है जिसे उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है।

एक मौलिक गोपनीयता अधिकार का उल्लंघन आवश्यक नहीं है

इस मामले के उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा और इसलिए

हम विवादास्पद झाड़ी में प्रवेश करने से इनकार करते हैं कि क्या

नैतिकता का प्रवर्तन राज्य का एक कार्य है।

कुछ नैतिक पहलुओं की चर्चा इस संदर्भ में की गई है -

श्री नाफडे द्वारा उद्धृत निर्णयों में भी द्वेष।

5) 2 एस. सी. सी. 148 भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

77. यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं जिन्हें समाज अनैतिक मानता है। इसमें जुआ शामिल हो सकता है।

(हालाँकि यह भी अब एक विवादास्पद मुद्दा बनता जा रहा है), वेश्यावृत्ति आदि। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समाज में नैतिकता के मानक समय के साथ बदलते रहते हैं। एक विशेष गतिविधि, जिसे अनैतिक माना जाता था

कुछ दशक पहले शायद अब ऐसा नहीं था। सामाजिक मानदंड बदलते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं - निरंतर या विकासवादी और असंतत या क्रांतिकारी। परिवर्तन का सबसे सामान्य रूप निरंतर है।

सामाजिक विश्लेषण में यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ परिवर्तन एक सूक्ष्म, लेकिन गतिशील कारक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गरिमापूर्ण रूपों में नृत्य प्रदर्शन सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं और कोई भी इसके अपवाद नहीं है। दूसरी ओर, अश्लीलता को अनैतिक माना जाता है। इसलिए, अश्लील नृत्य प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हो सकता है और राज्य अश्लील नृत्यों को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित कर सकता है। हालांकि, एक ऐसी प्रथा जो सामाजिक मानकों द्वारा अनैतिक नहीं हो सकती है, उसे राज्य द्वारा नैतिकता की अपनी धारणा के साथ समाज पर अनैतिक नहीं माना जा सकता है और इस तरह 'सामाजिक नियंत्रण' का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, और किसी भी मामले में, इस तरह के किसी भी कानून को संवैधानिक प्रावधानों को भी पारित करना पड़ता है। हमने उपरोक्त संदर्भ में उठाए गए मुद्दों की जांच की है।

78. यह हमें रेज़ एक्स्ट्रा कॉमर्सियम के सिद्धांत पर लाता है।

जहाँ तक नृत्य प्रदर्शनों का संबंध है, यह पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

कि यह अतिरिक्त व्यापार नहीं है। हम, इस स्तर पर, फिर से भारतीय होटल और रेस्तरां संघ (1) का उल्लेख करेंगे जहां इन पहलुओं को नीचे दिया गया हैः

(i) मानव तस्करीः राज्य सरकार ने तर्क दिया कि

कई महिला कलाकार अवैध तस्करी या नाबालिगों की शिकार होती हैं, और डांस बार का उपयोग देह व्यापार के लिए किया जाता है। यह सुझाव दिया गया था कि बार लड़कियां भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आती हैं, और इसलिए, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत वेश्यावृत्ति और अन्य अपराधों की चपेट में आ सकती हैं। इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में उक्त तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दियाः

" 119. ..... वस्तुओं और कारणों के अवलोकन से पता चलता है कि

विवादित कानून एक परिकल्पना पर आगे बढ़ता है कि अलग

डांस बार का उपयोग अपराधियों के मिलने के स्थान के रूप में किया जा रहा है और

लड़कियों के अंक उठाएँ। लेकिन उद्देश्य और कारण कुछ नहीं कहते हैं।

सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य के बारे में

25 ए. एट्ज़ियोनी और ई. एट्ज़ियोनी (संस्करण), सामाजिक परिवर्तन (1964) देखें; डब्ल्यू. मूर, सोशल चेंज (1963), डब्ल्यू. मूर और आर. कुक (संस्करण), रीडिंग्स ऑन सोशल चेंज (1967)।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि ये डांस बार महिलाओं की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

वास्तव में, महिलाओं की तस्करी के संबंध में इस याचिका को पेश किया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में पहली बार। द.

धारा 33-ए तस्करी के साथ। इसलिए, हम अस्वीकार करते हैं अपीलार्थियों का निवेदन कि प्रतिबंध लगा दिया गया है

कमजोर महिलाओं की सुरक्षा के लिए।

(जोर दिया गया)

((ii) सार्वजनिक नैतिकता को चोटः न्यायालय ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया

यह तर्क कि डांस बार जनता के मनोबल को प्रभावित करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। प्रासंगिक भाग में, इस न्यायालय ने कहा किः

" 120. .....हमारी राय में, राज्य के पास न तो अनुभवजन्य डेटा था

यह निष्कर्ष निकालें कि निषिद्ध प्रतिष्ठान में नृत्य करना आवश्यक है

सार्वजनिक नैतिकता की भ्रष्टता और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है और न ही वहाँ था

आम सहमति थी कि ऐसी स्थिति थी।

(iii) अतिरिक्त वाणिज्यः राज्य सरकार ने तर्क दिया

कि ऐसे प्रतिष्ठानों में नृत्य प्रदर्शन महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करते हैं और सार्वजनिक नैतिकता में भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने उचित ठहराया कि निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत "आम जनता के हित में" आवश्यक एक उचित प्रतिबंध है। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी "यह स्थापित करने में विफल रहा कि प्रतिबंध उचित है या यह आम जनता के हित में है"। इस न्यायालय ने आगे कहा कि निषेध इस तरह के प्रतिबंध और मौजूदा नियामक ढांचे की अपर्याप्तता को सही ठहराने के लिए प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव के सिद्धांत को संतुष्ट करने में विफल रहता है।

79. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम विज्ञापन देते हैं

विशिष्ट प्रावधान।

रीः अधिनियम की धारा 2 (8) (i)

80. धारा 2 (8) अश्लील नृत्य को परिभाषित करती है। मुख्य शरीर में, यह

इसमें कहा गया है कि कोई भी नृत्य जो आई. पी. सी. की धारा 295 और कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अर्थ के भीतर आता है, उसे 'अश्लील भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v' के रूप में माना जाएगा।

नृत्य '। इस हद तक कोई झगड़ा नहीं है। तर्क यह है कि अश्लील नृत्य की परिभाषा का विस्तार आई. पी. सी. की धारा 295 से परे विशेष रूप से नृत्य के निम्नलिखित रूपों को शामिल करके किया गया है:

" 2 (8) (i) जो केवल प्रचलित रुचि को जगाने के लिए बनाया गया है

दर्शक; और

((ii) जिसमें एक यौन क्रिया, कामुक गतिविधियाँ, यौन प्रस्ताव के उद्देश्य के लिए इशारे या नर्तक के लिए यौन पहुंच की उपलब्धता का संकेत होता है, या जिसके दौरान, नर्तक अपने जननांगों को उजागर करता है या, यदि एक महिला, टॉपलेस है;

आई. पी. सी. की धारा 292 स्वयं इसी अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जब यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसी पुस्तकें आदि अश्लील मानी जाएंगी यदि वे 'कामुक या प्रचलित हित को आकर्षित करने वाली' हैं। एक तरह से, इसलिए, धारा 2 (8) में आई. पी. सी. में निर्धारित अश्लीलता की परिभाषा को शामिल किया गया है जो अश्लील पुस्तकों आदि को भी बनाता है। (आई. पी. सी. की धारा 292) के साथ-साथ अश्लील कृत्य और गीत (आई. पी. सी. की धारा 295) दंडनीय अपराधों के रूप में। 82. संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश (दसवां संस्करण, संशोधित) 'प्रुरियंट' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" प्रुरियंट-एडज। अत्यधिक रुचि होना या उसे प्रोत्साहित करना

यौन मामले।

- व्युत्पन्न प्रुरियेंस एन। प्रुरियेंसी एन। स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं।

- मूल C16 ('लालसा होने' के अर्थ में): एल. प्रुरियंट से-,

'खुजली, लंबे समय तक, बेफिक्र रहो'।

83. इस अभिव्यक्ति को दिए गए अन्य शब्दकोश अर्थ हैं: " (i) यौन संबंध में अत्यधिक रुचि की विशेषता; अपरिवर्तनीय विचार। जब एक अत्यधिक रुचि को जगाना या अपील करना

सेक्स; प्रचलित साहित्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनोविज्ञान, एक व्यक्ति जो असामान्य रूप से या रुग्ण रूप से रुचि रखता है यौन विचारों या प्रथाओं को प्रुरियंट के रूप में जाना जाता है। इसी तरह,

कुछ भी जो कामुकता और/या कामुकता को उत्तेजित या प्रोत्साहित करता है

प्रुरियंट कहल जाइत अछि। अंग्रेजी भाषा के अनुसार, इसलिए, साहित्य या अन्य कार्य जो चिह्नित हैं या उत्तेजित करने की प्रवृत्ति रखते हैं

यौन इच्छा या रुचि या लातुरस के हैं, अश्लील, कामुक,

दृश्यदर्शी को प्रचलित माना जाएगा और इसके रूप में वर्गीकृत किया जाएगा अश्लील "।

84. इस प्रकार, नृत्य प्रदर्शन के संदर्भ में रुचि

डी एक ऐसा प्रदर्शन है जो अत्यधिक है या जो इसे प्रोत्साहित करता है

यह यौन मामलों में है।

85. हम यह भी बता सकते हैं कि अभिव्यक्ति 'प्रचलित ब्याज'

न्यायिक निर्धारण के लिए भी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट रॉकेट बनाम। स्पोकेन आर्केड्स Inc.26 ने दुश्मनी के मुद्दे पर चर्चा की है और इस प्रक्रिया में, विशेष रूप से अभिव्यक्ति 'इएंट' के साथ निपटा गया है, जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणियों से देखा जा सकता हैः

" 9. अपील न्यायालय का विचार था कि न तो रोथ बनाम। संयुक्त राज्य, 354 यू. एस. 476,77 एस. सी. टी. 1304, 1 L.Ed.2d 1498 (1957), और न ही बाद के मामलों को परिभाषा के भीतर शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए

अश्लीलता उन सामग्रियों को जो केवल सामान्य यौन संबंध को आकर्षित करती हैं भूख लगना। रोथ ने माना कि प्रथम संशोधन का संरक्षण

अश्लील भाषण तक विस्तारित नहीं हुआ, जिसकी पहचान की जानी थी

यह पूछते हुए कि क्या औसत व्यक्ति के लिए, समकालीन को लागू करना सामुदायिक मानक, ली गई सामग्री का प्रमुख विषय

समग्र रूप से प्रचलित ब्याज के लिए अपील "। आईडी. , 489, 77 एस. सी. टी., 1311 पर (फुटनोट हटा दिया गया)। इससे पहले अपनी राय में, आईडी। , 487, एन. 20 , 77 एस. सी. टी., 1310, एन. 20 , न्यायालय ने ऐसी सामग्री को परिभाषित किया था जो संबंधित है।

यौन संबंध के साथ इस तरह से जो प्रचलित रुचि को आकर्षित करता है "जैसे किः

" आई. ई. , कामुक विचारों को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति रखने वाली सामग्री।

वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी (अनएब्रिज्ड, 2 डी संस्करण। ,

1949) प्रासंगिक भाग में प्रुरियंट को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" ..... खुजली; लालसा; इच्छा या लालसा के साथ असहज; व्यक्तियों की, खुजली, रुग्ण, या कामुक लालसा; इच्छा, जिज्ञासा, या प्रवृत्ति, अशिष्ट। ..... '

5 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 165: 472 यूएस 491 (1985): 105 एस. सी. 2794:

86 L.Ed.2d 394 आई. ए. एन. होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

" प्रासंगिकता को प्रासंगिक भाग में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" " ..... रूखे होने का गुण; कामुक इच्छा या विचार।

... . ”

" म्यूचुअल फिल्म कार्पोरेशन को भी देखें। वी. औद्योगिक आयोग, 236 यू. एस. 230,242 [35 एस. सी. टी. 387, 390, 59 एल. एड. 552 (1915)] जहाँ इस न्यायालय ने चलचित्रों के बारे में कहाः ‘ ..... वे अपने आकर्षण को सामान्य रुचि से लेते हैं, जो उनके विषयों में उत्सुक और स्वस्थ हो सकती है, लेकिन एक प्रचलित रुचि उत्साहित हो सकती है और अपील की जा सकती है। . . . ' (जोर दिया गया।) "हम अश्लीलता के अर्थ में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं समझते हैं।

मामला कानून और ए. एल. आई., मॉडल दंड संहिता, § 207.10 (2) (तम्बू) की परिभाषा में विकसित किया गया। मसौदा संख्या 6,1957), अर्थात। :

" . . . एक चीज अश्लील है यदि, समग्र रूप से माना जाए तो, इसकी प्रमुख अपील प्रचलित ब्याज, यानी नग्नता, लिंग या विसर्जन में शर्मनाक या रुग्ण रुचि है, और यदि यह ऐसे मामलों के विवरण या प्रतिनिधित्व में स्पष्टता की प्रथागत सीमाओं से काफी अधिक है। . . . ' टिप्पणी, आईडी देखें। , 10 पर, और पृष्ठ 29 और सेक पर चर्चा।

XX

XX

XX

12. अपील न्यायालय इस बात से अवगत था कि रोथ ने फुटनोट 20 में संकेत दिया था कि प्रासंगिक हित को अपील करने वाली सामग्री थी

“ कामुक विचारों को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति रखने वाली सामग्री "लेकिन यह नहीं मानते थे कि रोथ का इरादा अश्लील सामग्री के रूप में चिह्नित करना था जो केवल सामान्य, स्वस्थ यौन इच्छाओं को उकसाती थी। हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, "प्रचलित हित" को आकर्षित करने वाली सामग्री ही रोथ में घोषित अश्लीलता की परिभाषा थी; और हमें पूरा यकीन है कि फुटनोट 20 में "कामुक विचारों" शब्दों का उपयोग करके, न्यायालय उन यौन प्रतिक्रियाओं का उल्लेख कर रहा था जिन्हें सामान्य के रूप में चिह्नित किया जाएगा। उस फुटनोट के अंत में, जैसा कि अपील न्यायालय ने कहा,

रोथ की राय ने अश्लीलता की आदर्श दंड संहिता की परिभाषा का उल्लेख किया-ऐसी सामग्री जिसकी प्रमुख अपील "एक शर्मनाक" है। या नग्नता, लिंग, या उत्सर्जन में रुग्ण रुचि "और संकेत दिया कि यह उस परिभाषा के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं समझता है और

केस लॉ में अश्लीलता का अर्थ विकसित हुआ।

किसी भी निष्कर्ष को प्रभावी रूप से नकार दिया कि फुटनोट में पहले उपयोग किए गए "कामुक विचार" सामान्य यौन संबंध तक सीमित या शामिल थे।

प्रतिक्रियाएँ। [इस निष्कर्ष को एक बाद के फुटनोट, 354 यू. एस., 489, एन. से बल मिलता है। 26 , 77 एस. सी. टी., 1311, एन. 26 , "वासना" या "वासना" के संदर्भ में अश्लीलता को परिभाषित करने वाले कई मामलों का उल्लेख करते हुए। परमेली वी. देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका, 72 App.D.C. 203,210,113 F. 2d 729,736 (1940) (सामग्री संरक्षित है यदि "कामुक पदार्थ को वासना को बढ़ावा देने के लिए पेश नहीं किया जाता है"); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। डेनेट, 39 एफ. 2 डी 564,569 (सीए 2 1930) (यौन शिक्षा पुस्तिका अश्लील नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति "वासना जगाने के बजाय [यौन] भावनाओं को तर्कसंगत और सम्मानित करने" की है); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। "यूलिसिस" नामक एक पुस्तक, 5 F.Supp। 182 , 184 (एस. डी. एन. वाई. 1933), ए. एफ. ए. डी., 72 एफ. 2 डी 705 (सी. ए. 2 1934) ("अश्लील" शब्द का अर्थ है "यौन आवेगों को भड़काना या यौन रूप से अशुद्ध और कामुक विचारों की ओर ले जाना"); राष्ट्रमंडल बनाम। इसेनस्टैड, 318 मास। 543 , 549-550 , 62 N.E.2d 840,844 (1945) (सामग्री अश्लील है यदि इसमें "कामुक विचारों को उकसाकर अपने पाठकों को बदनाम करने या भ्रष्ट करने की पर्याप्त प्रवृत्ति है या कामुक इच्छा जगाना "); मिसौरी बनाम। बेकर, 364 मो। 1079, 1085, 272 S.W.2d 283,286 (1954) (सामग्री अश्लील हैं यदि वे "कामुक विचारों को उकसाती हैं, कामुक इच्छा को जगाती हैं"); एडम्स थिएटर कंपनी।

वी. कीनन, 12 एन. जे. 267,272,96 ए. 2 डी 519,521 (1953)

(ब्रेनान, जे.) (सवाल यह है कि क्या "का प्रमुख नोट

प्रस्तुति कामुक आकर्षण है 'कामुकता को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति और

लालची इच्छा ')। इसकी आवश्यकता संभव से अधिक होगी। फुटनोट 20 में अस्पष्टता हमें यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती है कि न्यायालय का इरादा अश्लील के रूप में चिह्नित करना और किसी भी यौन संबंध को उत्तेजित करने वाले किसी भी और सभी भाषण को प्रथम संशोधन के संरक्षण से बाहर करना था।

प्रतिक्रियाएँ, चाहे सामान्य हों या रुग्ण। ”

86. दक्षिण अफ्रीकी न्यायालय ने उपरोक्त अमेरिकी का अनुसरण किया

एच, जिसे पैट्रिक बनाम में निम्नलिखित चर्चा से देखा जा सकता है। सुरक्षा और सुरक्षा 27:

" 40. एक निश्चित, निश्चित और लागू करने के प्रयास

अश्लीलता की संतोषजनक परिभाषा ने सरलता पर कर लगाया है अमेरिकी न्यायाधीश। जैकोबेलिस वी। ओहायो, जस्टिस पॉटर स्टीवर्ट

प्रसिद्ध रूप से घोषित कियाः " मैं आज [अश्लीलता] को परिभाषित करने का और प्रयास नहीं करूँगा. और शायद मैं कभी भी समझदारी से सफल नहीं हो सका।

ऐसा करना। लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे पता चलता है। [378 अमेरिका 184,197 (1964)

5 एससीसी ऑनलाइन जेडएसीसी 8:

[1996] जेड. ए. सी. सी. 7 भारतीय होटल और विश्राम संगठन (ए. एच. ए. आर.) v. महाराष्ट्र राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

(सहमत हैं)।] अदालत ने मिलर परीक्षण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए यौन संबंध में "प्रचलित" रुचि को "शर्मनाक या रुग्ण" के रूप में परिभाषित किया है।

ब्याज, "सामान्य और स्वस्थ" ब्याज के विपरीत। [ब्रॉकेट वी. स्पोकेन आर्केड्स, इंक. ,, 472 यू. एस. 491,504-05 (1985)।] मेरी राय में, यह विस्तार अपने आप में बहुत कुछ प्रस्तुत नहीं करता है। मार्गदर्शन "।

87. यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अमेरिकी न्यायालयों द्वारा इस विषय से निपटने के तरीके को स्वीकार किया है, जिसे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों से देखा जा सकता है। ओम पाल सिंह हूं 28:

" 22. एफ. सी. सी. बनाम में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी सवाल उठा। 'अभद्र' शब्द के अर्थ के बारे में पैसिफिका फाउंडेशन (1978) 438 यू. एस. 726)। यह तर्क दिया गया था, कुछ फैसलों पर भरोसा करते हुए कि रेडियो प्रसारण में उपयोग किए गए विशेष शब्द नहीं थे

' अश्लील 'और इसलिए' अभद्र 'नहीं, क्योंकि दोनों शब्द समानार्थी थे। अदालत के बहुमत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

तर्क इस प्रकार दिया गया थाः " हालाँकि, पैसिफिका का तर्क है कि इस न्यायालय ने संबंधित कानूनों में 'अभद्र' शब्द को अश्लील माना है। उसी को अस्वीकार करते हुए, स्टीवंस, जे ने कहाः

" 'अश्लील, अभद्र या अपवित्र' शब्द असंगत हैं, इसका अर्थ है कि प्रत्येक का एक अलग अर्थ है। प्रबल अपील अश्लील का एक तत्व है, लेकिन इसकी सामान्य परिभाषा है

' अभद्रता 'केवल स्वीकार किए गए के साथ गैर-अनुरूपता को संदर्भित करता है

नैतिकता के मानक "।

उन्होंने वेबस्टर के थर्ड न्यू इंटरनेशनल से अर्थ उद्धृत किया।

शब्दकोश (1960): " अनुचित रूप से, आम तौर पर अनुरूप नहीं

नैतिकता के स्वीकृत मानक "।

88. राज कपूर और अन्य में यह अदालत। वी. राज्य और Ors.29 ने इस प्रश्न पर विचार कियाः सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाने वाली फिल्म की निंदा कब की जा सकती है?

परिभाषा। 89. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक नृत्य जिसका उद्देश्य दर्शकों की रुचि पैदा करना है, वह अस्पष्ट शब्द है, जो करने में असमर्थ है।

28 1996 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 268: (1996) 37 डी. आर. जे. 352 (डी. बी.) 2 9 29 (1980) 1 एस. सी. सी. 43 [2019] 1 एस. सी. आर.

निश्चित अर्थ। यह तब है जब आई. पी. सी. की धारा 292 विशेष रूप से अश्लीलता से संबंधित प्रावधान में इस अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

रीः क्या अधिनियम की धारा 6 (4) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में निहित समानता खंड का उल्लंघन करती है?

90. यह प्रावधान डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस देने से मना करता है जहां इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया जाता है। इसके विपरीत यह इस अधिनियम के तहत उस स्थान के लिए लाइसेंस देने से भी मना करता है जिसके लिए डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी विशेष स्थान के संबंध में, लाइसेंस या तो डांस बार या डिस्कोथेक/ऑर्केस्ट्रा के लिए दिया जाएगा, न कि दोनों उद्देश्यों के लिए। प्रस्तुतिकरण यह है कि इस तरह के प्रावधान के लिए कोई तर्क नहीं है। द्वारा दिया गया जवाब उत्तरदाताओं का कहना है कि उपरोक्त प्रावधान के पीछे का उद्देश्य डांस बार के लिए सख्त लाइसेंस शर्तें रखना है, जो डिस्कोथेक या ऑर्केस्ट्रा के साथ-साथ उसी स्थान पर भी संभव नहीं होगा जहां डांस बार है। हम शायद ही इसे एक वैध औचित्य पाते हैं। हमारे विचार में, विवादित प्रावधान पूरी तरह से मनमाना और तर्कहीन है और जिसका तथाकथित उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम हड़ताल करते हैं।

अधिनियम की धारा 6 (4) को असंवैधानिक करार दिया।

रीः क्या धारा 8 (2) के तहत सजा का प्रावधान किया गया है

अधिनियम भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

संविधान?

91. इस ओर से याचिकाकर्ताओं का सटीक निवेदन है कि यह सजा उन लोगों के लिए है जो अश्लील नृत्य आदि की अनुमति देते हैं। अश्लीलता भी है

आई. पी. सी. की धारा 295 के तहत एक अपराध जो कारावास से दंडनीय है।

यह तीन महीने तक बढ़ सकता है। इसके विपरीत, विवादित प्रावधान के अनुसार, कारावास तीन साल तक बढ़ सकता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि एक ही अपराध के लिए, जबकि केंद्रीय अधिनियम निर्धारित करता है

तीन महीने तक की कैद, अधिनियम की धारा 8 (2) में तीन साल तक की कैद का प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और आई. पी. सी. यानी केंद्रीय कानून के साथ टकराव में है। हम प्रभावित नहीं हैं यह तर्क। जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा सही तर्क दिया गया है, उप-धारा (2) को धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 8 (1) के तहत, यदि उस स्थान का उपयोग धारा 3 के उल्लंघन में किया जाता है, तो इसे दंडनीय अपराध बनाया जाता है। इसका मतलब है कि जहां किसी होटल, रेस्तरां, बार रूम या किसी भी स्थान का उपयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नृत्य करने के लिए किया जाता है, उसे दंडनीय अपराध बना दिया जाता है। हालांकि, अगर लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, तो

इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस स्थान का उपयोग अश्लील नृत्य भारतीय होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर) v के लिए किया जा सकता है।

प्रदर्शन या किसी अनैतिक उद्देश्य के लिए कामकाजी महिलाओं का शोषण करने के लिए। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें उप-धारा (2) के तहत दंडनीय बनाया गया है। इस तरह से, धारा 8 (2) के तहत अपराध कुछ अलग है

आई. पी. सी. की धारा 294 में निर्धारित अपराध जो धारा 294 की भाषा से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार हैः

(ख) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाना, पढ़ना या बोलना, किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
92. अतः अधिनियम की धारा 8 (2) की वैधता को चुनौती देते हुए,

असफल हो जाता है।

रीः क्या अधिनियम की धारा 8 (4) मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?

93. इस प्रावधान को शर्त संख्या के साथ पढ़ा जाना है। 6 , 7 और भाग बी का 8. यह सिक्कों, मुद्रा नोटों या किसी भी चीज़ को फेंकने या बौछार करने का काम करता है।

ऐसी वस्तु या कुछ भी जिसे मंच पर मुद्रीकृत किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से ऐसे नोट एक नर्तक को सौंपना प्रतिबंधित है और इसे अपराध माना जाता है।

इन प्रावधानों में आगे की शर्त यह है कि दी जाने वाली कोई भी टिप केवल बिल में जोड़ी जानी चाहिए और कलाकारों आदि को नहीं दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा दिया गया औचित्य यह है कि धन की बौछार आदि प्रलोभन का एक तरीका है जिस पर इस बात को ध्यान में रखते हुए अंकुश लगाया जाना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना है। उत्तरदाताओं के अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 354 ए जो समाज और राज्य की एक नैतिक संहिता है, केवल इस तरह के प्रावधान को लागू करके इस नैतिक संहिता को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि जहां तक सिक्कों, मुद्रा नोटों आदि को फेंकने या वर्षा करने का संबंध है, यह प्रावधान उचित है क्योंकि इसका उद्देश्य है।

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में अभद्रता की स्थिति पैदा करने की प्रवृत्ति है। इसलिए, जो भी पैसा, किसी भी नृत्य प्रदर्शन की कोई प्रशंसा करनी होती है, उसे ऐसे सिक्के आदि फेंके या बौछार किए बिना किया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह के सुझाव देने में केवल उस स्थान के प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले बिलों में जोड़कर कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा किया जाता है, तो जो व्यक्ति इस तरह की युक्तियों का सही प्राप्तकर्ता है, उसे [2019] 1 एस. सी. आर. से वंचित किया जा सकता है।

एक ही। इसके अलावा, राज्य टिपिंग का एक विशेष तरीका लागू नहीं कर सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से एक ओर नियोक्ता और कलाकार और दूसरी ओर कलाकार और आगंतुक के बीच का मामला है। इसलिए, हम इस प्रावधान को बरकरार रखते हैं क्योंकि यह सिक्कों, मुद्रा नोटों या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को मंच पर फेंकने या बौछार करने से रोकता है जिसका मुद्रीकरण किया जा सकता है। हालाँकि, नर्तकियों को व्यक्तिगत रूप से नोट्स सौंपना अनुचित नहीं है। हम सुझावों को केवल बिलों में जोड़कर देने के प्रावधान को भी अलग करते हैं।

बार नर्तकियों का भी प्रतिनिधित्व। हालाँकि, ऐसा प्रतिनिधित्व वांछनीय हो सकता है, जो अपने आप में किसी कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस पर विचार करने का काम कानून निर्माताओं पर छोड़ते हैं। पहलू।

कुछ नियमों की वैधता

95. जहाँ तक नियम 3 (3) (i) का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के निवेदन में एक सार है कि यह काफी अस्पष्ट है। इस उपखंड के अनुसार

जहाँ तक आपराधिक रिकॉर्ड के इतिहास का संबंध है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड किसी मामले में दोषसिद्धि पर आधारित है या केवल प्राथमिकी दर्ज करने को आपराधिक रिकॉर्ड कहा जाएगा। इसलिए, हम वर्तमान रूप में प्रावधान को रद्द करते हैं, लेकिन साथ ही, नियम बनाने वाले प्राधिकरण को सटीक प्रकृति का उपयुक्त प्रावधान रखने की स्वतंत्रता देते हैं। नतीजतन, वर्तमान रूप में भाग बी की शर्त संख्या 16 को भी उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ अलग कर दिया गया है। 96. सामान्य स्थितियों (जी. ओ. सी.) के भाग ए की शर्त संख्या 2 को ध्यान में रखते हुए, इसे निम्नानुसार विच्छेदित किया जा सकता हैः

(i) बार रूम में मंच का आकार 10 फीट x से कम नहीं होना चाहिए।

12 पैर। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(ii) यह आगे निर्धारित करता है कि बार रूम में मंच होटल, रेस्तरां और बार रूम भारतीय होटल और विश्राम संगठन (एएएचएआर) v के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ होना चाहिए।

क्षेत्र। संक्षेप में, यह बार रूम क्षेत्र को होटल से अलग करता है और रेस्तरां।

(iii) परमिट कक्ष और नृत्य के बीच निश्चित विभाजन निर्धारित किया गया है।

कमरा।

97. यह वह भाग है जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा अपवाद के रूप में लिया गया है। हम पाते हैं कि इससे पहले एक अवसर पर इसी तरह की स्थिति को समाप्त कर दिया गया था

इस न्यायालय द्वारा। अन्यथा भी, हम कोई तर्कसंगतता नहीं पाते हैं या

ऐसी शर्त को लागू करने में औचित्य जो काफी अनुचित प्रतीत होता है और इस प्रावधान में कोई तर्क नहीं हो सकता है

किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है।

98. जहां तक भाग ए की शर्त का संबंध है, जिसमें कहा गया है कि जिस स्थान पर नृत्य किया जाना है, वह शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से कम से कम 1 किमी दूर होगा, याचिकाकर्ताओं का यह कहना सही है कि ऐसी शर्त जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखती है, विशेष रूप से मुंबई शहर में जहां किसी भी ऐसी जगह को ढूंढना मुश्किल होगा जो किसी भी शिक्षा संस्थान या धार्मिक संस्थान से 1 किमी दूर हो। इसलिए यह एक असंभव शर्त को पूरा करने के बराबर है और इसका प्रभाव यह है कि

मुंबई में, लाइसेंस दिया जाएगा। इसलिए, इस शर्त को भी मनमाना और अनुचित माना जाता है और उत्तरदाताओं को शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से दूरी निर्धारित करने की स्वतंत्रता के साथ रद्द कर दिया जाता है, जो उचित और व्यवहार्य है।

99. जहाँ तक भाग बी की शर्त संख्या 2 का संबंध है, यह अधिरोपित करता है

नियोक्ताओं पर इस आशय का दायित्व कि कामकाजी महिलाओं, नर्तकियों और वेटर्स/वेट्रेस को एक लिखित आदेश के तहत नियुक्त किया जाना चाहिए।

मासिक वेतन पर अनुबंध। इसके अलावा, यह मासिक वेतन कानून के तहत आवश्यक सभी लाभों के साथ उनके बैंक खातों में जमा किया जाना है। ऐसे अनुबंधों की प्रति लाइसेंस प्राधिकरण के पास भी जमा की जानी है। जहाँ तक लिखित अनुबंध करने के साथ-साथ बैंक खातों में पारिश्रमिक जमा करने से संबंधित प्रावधान का संबंध है, यह उचित प्रतीत होता है क्योंकि यह उन शर्तों को बनाएगा जिन पर कामकाजी महिलाओं, नर्तकियों और वेटर/वेट्रेस को नियुक्त किया जाता है।

पारदर्शी होने से शोषण या अन्य विवादों की किसी भी संभावना को समाप्त या कम किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों को मासिक वेतन पर नियुक्त करने की शर्त न्यायिक जांच में नहीं आती है। इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों को एक विशेष तरीके से यानी मासिक आधार पर नियोजित किया जाना है।

कानून में अनुमत रोजगार के अन्य तरीके हो सकते हैं और नियोक्ताओं को ऐसे तरीके अपनाने का कानूनी अधिकार है। उदाहरण के लिए, यह अनुबंध के आधार पर रोजगार हो सकता है यानी जहां प्रत्येक प्रदर्शन के लिए पारिश्रमिक तय किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ऐसे श्रमिकों के अधिकारों को भी बाधित करता है जो अन्यथा एक से अधिक स्थानों पर अपना प्रदर्शन देने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए, यह ऐसे कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगाता है और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में ऐसी महिलाओं की ओर से यह शिकायत की गई है।

श्री नय्यर ने तर्क दिया कि प्रावधान महिला नर्तकियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं (i) उनकी इच्छा पर एक बार से दूसरे बार में जाने की उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, अगर काम की स्थिति या वापसी उपयुक्त नहीं है; (ii) उन्हें वेतन या साझा सुझाव प्राप्त करने के अलावा अन्य नृत्यों का मुद्रीकरण करने से रोकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार महिलाओं की पसंद को कम करने के लिए कोई सम्मोहक जनहित दिखाने में विफल रही है

कलाकार। हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में सार पाते हैं और इसलिए, शर्त संख्या 2 के इस भाग को अलग करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि लिखित अनुबंध, कर्मचारी के बैंक खातों में पारिश्रमिक जमा करने के साथ-साथ लाइसेंस प्राधिकरण के साथ इन लिखित अनुबंधों को जमा करने के प्रावधान उचित हैं। शेष प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है। 100. भाग बी की शर्त संख्या 9 जो इस तरह के नृत्य प्रदर्शनों का समय केवल शाम 6 बजे से 11 बजे के बीच निर्धारित करती हैः 30 पीएम, हम इसे स्पष्ट रूप से अनुचित नहीं पाते हैं। सिर्फ इसलिए कि

प्रतिष्ठान अन्यथा 1 तक खुले हैंः 30 सुबह (अगले दिन) या 12 बजेः 30 सुबह (अगले दिन) का मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास नृत्य प्रदर्शन के समय को 11 बजे तक सीमित करने का कोई अधिकार नहीं हैः 30 पीएम। यहां तक कि शाम 6 बजे से 11 बजे तक की अवधिः 30 नृत्य प्रदर्शन के लिए पी. एम. काफी पर्याप्त और पर्याप्त है क्योंकि यह इस तरह के प्रदर्शन के साढ़े पाँच घंटे की अनुमति देता है। इसलिए हम इस शर्त को बरकरार रखते हैं।

101. भाग बी की शर्त संख्या 12 बार रूम में शराब परोसने का निर्देश देती है जहाँ नृत्यों का मंचन किया जाता है। यह पूरी तरह से अनुचित, अनुचित और मनमाना है। हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि ऐसी जगहों पर शराब क्यों नहीं परोसी जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य गलत धारणा के तहत नैतिक निहितार्थ से अधिक प्रभावित है कि इसके बाद के व्यक्ति शराब पीने से नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। यदि ऐसा है, तो इस तरह की धारणा बार रूम पर भी समान रूप से लागू होगी जहां महिला वेट्रेस द्वारा शराब परोसी जाती है। हालाँकि, अदालतों द्वारा ऐसी शर्तों को अनुचित माना गया है। इस प्रकृति की विचलन या छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं जो न केवल उन स्थानों पर हो सकती हैं जहां नृत्य प्रदर्शन का मंचन किया जाता है, बल्कि बार इंडियन होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन (एएएचएआर) v सहित अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं।

कमरे और यहाँ तक कि मुख्य रेस्तरां भी। इस तरह की बारीकियों की जांच के लिए अन्य उपाय अपनाने होंगे। मादक पेय पदार्थ परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है। इसलिए हम शर्त संख्या 12 को रद्द करते हैं।

102. भाग बी की शर्त संख्या 20 सीसीटीवी लगाने का आदेश देती है।

कैमरे। यह फिर से पूरी तरह से अनुचित होगा और इसके बराबर होगा

निजता पर आक्रमण और इस प्रकार, के. एस. पुट्टास्वामी मामले में संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (ए) और 21 का उल्लंघन है, जहां न्यायालय

देखा गयाः

" 247.3 . अनीता एलन ने 2011 के एक प्रकाशन में विकसित किया है

"अलोकप्रिय गोपनीयता" की अवधारणा [आईडी, पी। 500] . उनके अनुसार,

सरकारों को "अलोकप्रिय" गोपनीयता कानूनों और कर्तव्यों को तैयार करना चाहिए भले ही निजता को मजबूर किया जा रहा हो, आम भलाई की रक्षा करें

वे लोग जो इसे नहीं चाहते हैं। इसके तहत व्यक्ति

दृष्टिकोण

उन्हें अपने गोपनीयता अधिकारों को माफ करने की अनुमति नहीं है। इनमें से

घटक तत्व जो वह नोटिस करती हैं वे हैंः ((a) भौतिक या स्थानिक

गोपनीयता-घर में गोपनीयता द्वारा सचित्र; (बी) सूचनात्मक व्यक्तियों या उनके बारे में जानकारी डेटा या तथ्यों सहित गोपनीयता

संचार; (ग) निर्णयात्मक गोपनीयता जो अधिकार की रक्षा करती है।

घुसपैठ से अपने अधिकारों के बारे में अंतरंग विकल्प चुनने के लिए नागरिकों का राज्य द्वारा; (घ) स्वामित्व गोपनीयता जो संरक्षण से संबंधित है

किसी की प्रतिष्ठा की; (ई) सहयोगी गोपनीयता जो सुरक्षा करती है निर्धारित करने के लिए कुछ परिभाषित विशेषताओं वाले समूहों का अधिकार

जिन्हें वे शामिल या बहिष्कृत कर सकते हैं। [आईडी, पीपी पर। 500-501] "

इस शर्त को भी अलग रखा गया है।

103. अलग होने से पहले, हम इस बात पर फिर से जोर देना चाहेंगे कि राज्य

डांस बार में प्रदर्शन का नैतिक आधार नहीं होता है। प्रारंभ में यह कानून वर्ष 2005 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 में धारा 33 ए और 33 बी जोड़कर पारित किया गया था। उस समय, उक्त संशोधन द्वारा, राज्य ने खाने में नृत्य के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध की इच्छा व्यक्त की थी हाउस, परमिट रूम या बेयर बार इस आधार पर कि इस तरह के प्रदर्शन हमेशा अभद्र, अश्लील या अश्लील होते हैं। यह इस धारणा पर भी था कि इस तरह के प्रदर्शन महिलाओं के शोषण को भी जन्म दे रहे थे। हालाँकि, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए को असंवैधानिक घोषित करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, यह न्यायालय [2019] 1 एस. सी. आर.

पाया गया और विशेष रूप से माना गया कि राज्य द्वारा प्राप्त उपरोक्त धारणा में कोई सामग्री या अनुभवजन्य डेटा नहीं था। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि विवादित प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों को पारित नहीं करता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (ए) और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने वाला पाया गया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियमों और नियमों की संख्या में पर्याप्त वैधानिक प्रावधान थे

104. वर्तमान कानून को उन स्थानों को विनियमित करने के लिए नियामक व्यवस्था लाने का अधिकार दिया गया है जहां नृत्य प्रदर्शन होते हैं। के लिए इस उद्देश्य के लिए, विवादित अधिनियम अधिनियम की धारा 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, यह अश्लील नृत्य को दंडात्मक अपराध बनाता है। इस पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, साथ ही, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। यही कारण है कि वर्ष 2014 में पारित होने के बाद भी किसी भी प्रतिष्ठान को विवादित अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। वास्तव में, 2005 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन के बाद, डांस बार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। इस प्रकार, जब विवादित अधिनियम प्रकृति में नियामक प्रतीत होता है, तब भी वास्तविक परिणाम और प्रभाव इस तरह के डांस बार को प्रतिबंधित करना है।

इस प्रकार, राज्य का लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा हासिल करना है जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सका। ऐसी स्थिति समझ से परे है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमने अधिनियम और नियमों के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिन्हें हमने अनुचित और असंवैधानिक पाया है। हम आशा करते हैं कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर अब अधिक निष्पक्ष और खुले दिमाग से विचार किया जाएगा ताकि अधिनियम में निर्धारित स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध न हो। 105. रिट याचिकाओं की आंशिक रूप से अनुमति है और इनका उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

लेखन याचिकाओं

की आंशिक रूप से अनुमति है।